



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13062023-246469
CG-DL-E-13062023-246469

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 144]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 12, 2023/ज्येष्ठ 22, 1945

No. 144]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 12, 2023/JYAISHTHA 22, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली 12 जून, 2023

[मामला सं. एडी (एसएसआर)-01/2023]

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "फ्लैट बेस स्टील व्हील्स" के आयात पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच का अंतिम जांच परिणाम।

फा. सं. 7/02/2023-डीजीटीआर.—क. मामले की पृष्ठभूमि:—

- फा.सं.7/1/2018-डीजीएडी-1995 में यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसके बाद इसे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) ने चीन जन.गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "वाणिज्यिक वाहनों में ट्यूब, टायर वाले अनुप्रयोग में प्रयुक्त 16" नोमिनल व्यास से 20" नोमिनल व्यास आकार के फ्लैट बेस स्टील व्हील्स" (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) के आयातों संबंधी पूर्ववर्ती जांच में पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी।

2. यतः, प्राधिकारी द्वारा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल जांच की शुरुआत अधिसूचना सं. 14/8/2005-डीजीएडी दिनांक 31 मई, 2006 के माध्यम से की गई थी। प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना 14/8/2005-डीजीएडी दिनांक 12 जनवरी, 2007 द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए गए थे और सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 51/2007 दिनांक 29 मार्च, 2007 द्वारा राजस्व विभाग द्वारा अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना सं. 14/8/2005-डीजीएडी दिनांक 28 नवंबर, 2007 के माध्यम से निश्चयात्मक शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए अंतिम जांच परिणाम जारी किए गए थे। अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर अधिसूचना सं. 124/2007-सीमा शुल्क दिनांक 31 दिसंबर, 2007 के माध्यम से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।
3. यतः, कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणामों के विरुद्ध सेस्टेट के समक्ष अपील दायर की थी। माननीय सेस्टेट ने 11 अगस्त, 2011 के अपने आदेश द्वारा मामले को अपीलकर्ताओं के लिए निर्णय पश्चात सुनवाई करने हेतु और ऐसी निर्णय पश्चात सुनवाई के परिणामस्वरूप अंतिम जांच परिणामों में यथा आवश्यक सुधार करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास वापस भेजा था। यतः, माननीय सेस्टेट के आदेश के अनुपालन में और कानून तथा सिद्धांत के मामले संबंधी आदेशों को चुनौती देने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के अधिकारों से पक्षपात किए बिना प्राधिकारी ने 13 दिसंबर, 2011 को ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों के लिए निर्णय पश्चात सुनवाई की थी और पूर्ववर्ती अधिसूचना सं. 14/8/2005-डीजीएडी दिनांक 28 नवंबर, 2007 के माध्यम से किए गए अपने अंतिम जांच परिणाम और उनमें की गई सिफारिशों की पुनः पुष्टि करते हुए अधिसूचना सं. 14/8/2005-डीजीएडी दिनांक 10 फरवरी, 2012 द्वारा निर्णय पश्चात जांच परिणाम जारी किए थे।
4. यतः, प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 15/22/2011-डीजीएडी दिनांक 24 फरवरी, 2012 के माध्यम से चीन जन.गण. से "फ्लैट बेस स्टील व्हील्स" के आयातों से संबंधित पहली निर्णायक समीक्षा शुरु की थी। अधिसूचना 15/22/2011-डीजीएडी दिनांक 20 फरवरी, 2013 द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी, जिसमें मूल जांच में अनुशंसित शुल्क को बढ़ाया गया था और शुल्क की इकाई को आईएनआर से यूएस डॉलर में संशोधित किया गया था। ये शुल्क केन्द्र सरकार द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 3/2013-सीमा शुल्क दिनांक 26 मार्च, 2013 के माध्यम से लगाए गए थे।
5. यतः, प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 07/01/2018-डीजीएडी दिनांक 8 फरवरी, 2018 के माध्यम से चीन जन.गण. से "फ्लैट बेस स्टील व्हील्स" के आयातों से संबंधित दूसरी निर्णायक समीक्षा शुरु की थी। प्राधिकारी ने अपनी अधिसूचना सं. 07/01/2018-डीजीएडी दिनांक 9 अगस्त, 2018 के माध्यम से शुल्क जारी रखने की सिफारिश की थी। शुल्कों को केन्द्र सरकार द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 46/2018-सीमा शुल्क दिनांक 13 सितंबर, 2018 द्वारा लगाया गया था। उक्त शुल्क 5 वर्ष की अवधि के लिए लगाए गए थे और 12 सितंबर, 2023 को इनका समाप्त होना निर्धारित है।
6. और यतः, अधिनियम और नियमावली के अनुसार व्हील्स इंडिया लिमिटेड (व्हील्स इंडिया) और स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड (स्टील स्ट्रिप्स), (जिन्हें आगे आवेदक/याचिकाकर्ता कहा गया है, ने चीन जन.गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित उक्त वस्तु के पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की संभावना का आरोप लगाते हुए एक विधिवत् रूप से सांख्यिकित आवेदन प्रस्तुत किया और चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्लैट बेस स्टील व्हील्स के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के लिए निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया है।
7. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत पाटन तथा क्षति की संभावना के प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार संबद्ध जांच¹ की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना सं. 7/02/2023-डीजीटीआर दिनांक 24 मार्च, 2023 द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की ताकि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की जरूरत की समीक्षा की जा सके और इस बात की जांच की जा सके कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

¹ जांच दल में श्री राजवीर शर्मा, एडीजी (एफटी), श्री जी.एस. साहु, सलाहकार (लागत), श्री राजीव कुमार सोनी, सं.निदेशक(एफटी), श्री मनोज कुमार, उप निदेशक (लागत) शामिल थे।

8. वर्तमान निर्णायक समीक्षा के दायरे में अंतिम जांच परिणाम सं. 07/01/2018-डीजीएडी दिनांक 09 अगस्त, 2018, और सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 46/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 13 सितंबर, 2018 के सभी पहलू शामिल हैं।

ख. प्रक्रिया

9. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है।
- क. प्राधिकारी ने एडी नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरुआत की कार्यवाही से पहले पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
- ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 24 मार्च, 2023 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
- ग. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादक और निर्यातक, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और उपलब्ध सूचना के अनुसार घरेलू उद्योग को जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी थी। हितबद्ध पक्षकारों को विहित समय सीमा के भीतर लिखित में संगत सूचना देने और अपने अनुरोधों से अवगत कराने की सलाह दी गई थी।
- घ. प्राधिकारी ने एडी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत में संबद्ध देश के दूतावास के ज़रिए उसकी सरकार को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति भी उपलब्ध कराई थी।
- ड. प्राधिकारी ने एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावलियां भेजी थी:-
- i. चाइना जेनिक्स ऑटो इंटरनेशनल लिमिटेड
 - ii. फुजियन झेंगजिंग व्हील कंपनी लिमिटेड
 - iii. हांगझोऊ फोरलॉग इम्पैक्स कंपनी लिमिटेड
 - iv. जियाजिंग हेंको ऑटो स्पेयर पार्ट्स कंपनी लिमिटेड
 - v. जिनिंग जुंडा मशीनरी मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
 - vi. निंगबो लुजियांग ऑटोपार्ट्स मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
 - vii. शांगडोंग जीनिंग व्हील फैक्टरी
 - viii. शांगडोंग झेंगशांग व्हील टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
 - ix. शांगडोंग झेंगयु व्हील ग्रुप कंपनी लिमिटेड
 - x. शांगडोंग शेंग ताई, व्हील कंपनी लिमिटेड
 - xi. शांगडोंग जिंगमिन व्हील कंपनी लिमिटेड
 - xii. शंघाई याता इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
 - xiii. शेंघताई ग्रुप शानडोंग डेटोंग व्हील्स कंपनी
 - xiv. जियामेन सनराइज व्हील
 - xv. जियामेन टोपु इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स कंपनी लिमिटेड
 - xvi. सिंगमिन ग्रुप
 - xvii. योंगकांग युइफेई व्हील कंपनी लिमिटेड
 - xviii. झेजियांग जिनगु कंपनी लिमिटेड
 - xix. झेंगजिंग व्हील ग्रुप कंपनी लिमिटेड
 - xx. झेनजियांग आर एंड डी ऑटो पार्ट्स कंपनी लिमिटेड

- च. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से उनके देश के निर्यातकों/उत्पादकों को विहित समय-सीमा के भीतर प्राधिकारी द्वारा जारी प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का भी अनुरोध किया गया था। संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों के साथ उत्पादकों/निर्यातकों को पत्र और प्रश्नावली की एक-एक प्रति भी भेजी गई थी।
- छ. संबद्ध देश से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में उत्तर नहीं दिया है या निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।
- ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाते हुए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी थी:
- i. अशोक लिमिटेड लिमिटेड
 - ii. एशिया मोटो वर्क्स लिमिटेड
 - iii. आयशर मोटर लिमिटेड
 - iv. किंग कावेरी ट्रेडिंग कंपनी
 - v. महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लिमिटेड
 - vi. मान, फोर्स ट्रक (आई) लिमिटेड
 - vii. स्वराज माजदा लिमिटेड (वर्तमान में एसएमएल इसुजु के नाम से जाना जाता है)
 - viii. टाटा मोटर्स लिमिटेड
 - ix. वीई कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड (वोल्वो आयशर ज्वाइंट वेंचर कंपनी)
 - x. वोल्वो ट्रक्स इंडिया (वोल्वो-आयशर ज्वाइंट वेंचर कंपनी)
 - xi. यार्क ट्रांसपोर्ट इक्यूपमेंट (एशिया) पीटीई लिमिटेड
 - xii. यार्क ट्रांसपोर्ट इक्यूपमेंट, झारखंड
- झ. भारत में संबद्ध वस्तु के किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने उत्तर नहीं दिया है या वर्तमान जांच में आयातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।
- ञ. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण हेतु उपलब्ध रखा था। तथापि, किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच में भागीदारी नहीं की है।
- ट. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से क्षति जांच अवधि और जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के सौदा-वार ब्यौरे देने का अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी को यह प्राप्त हुए हैं और इस अधिसूचना में इन पर विचार किया गया है।
- ठ. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और एडी नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और उसे बेचने के तर्कसंगत लाभ के आधार पर क्षति-रहित कीमत (जिसे आगे 'एनआईपी' कहा गया है) ज्ञात की गई है। ऐसी एनआईपी पर यह पता लगाने के लिए विचार किया गया है कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- ड. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों का आवश्यक सीमा तक सत्यापन किया गया है और इस अंतिम जांच परिणाम के लिए भरोसा किया गया है। घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक समझी गई सीमा तक सूचना मांगी गई थी। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी गई सीमा तक घरेलू उद्योग के परिसर में डेस्क सत्यापन और वास्तविक सत्यापन भी किया था।
- ढ. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 जनवरी 2022-31 दिसंबर, 2022 (12 महीने) की है (जिसे आगे 'जांच अवधि' या 'पीओआई' भी कहा गया है)। क्षति जांच अवधि में 2019-20, 2020-21, 2021-22 और जांच की अवधि पर विचार किया गया है।

- ण. प्राधिकारी ने एडी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार मौखिक रूप से सूचना देने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकार को 18 मई, 2023 को मौखिक सुनवाई का अवसर दिया था। केवल घरेलू उद्योग ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए और उससे 22 मई, 2023 तक मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, जिसे प्राधिकारी द्वारा 24 मई, 2023 तक बढ़ाया गया था।
- त. 05 जून 2023 को इच्छुक पक्षों को जांच में आवश्यक तथ्यों से युक्त एक प्रकटीकरण विवरण जारी किया गया था, जो अंतिम निष्कर्षों का आधार बना है। प्रकटन विवरण पर हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों पर अंतिम जांच परिणाम में प्रासंगिक पाई गई सीमा तक विचार किया गया है।
- थ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना की ऐसे गोपनीय दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई है। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने आवश्यक जांच के बाद जहां जरूरी हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा उसका प्रकटन नहीं किया है।
- द. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराया है, या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकार को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपनी समुक्ति दर्ज की है।
- ध. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सभी तर्कों और सूचनाओं पर उनके साक्ष्य द्वारा समर्थित होने और वर्तमान जांच से संगत समझे जाने की सीमा तक विचार किया है।
- न. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 यूएसडॉलर=79.26 रु. है।
- प. इस अंतिम जांच परिणाम में “****” चिन्ह गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत और नियमावली के अन्तर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।

ग. विचाराधीन उत्पाद (“पीयूसी”) और समान वस्तु

10. विचाराधीन उत्पाद “फ्लैट बेस स्टील व्हील्स” है जिसे ‘स्टील व्हील्स’ के नाम से भी जाना जाता है। इसे वाणिज्यिक वाहनों में ट्यूब, टायर अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाता है और इसका नोमिनल व्यास 16” से 20” होता है।

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

11. किसी भी उत्पादक/निर्यातक/आयातक/अन्य हितबद्ध पक्षकार ने इस संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

12. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. चूंकि वर्तमान जांच पाटनरोधी शुल्क का समय बढ़ाने के लिए निर्णायक समीक्षा से संबंधित है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा यथा-परिभाषित उत्पाद के समान रहेगा।
- ख. इस अवधि के दौरान कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है।
- ग. घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद संबद्ध देश से आयातित उत्पाद की समान वस्तु बना हुआ है।
- घ. संबद्ध वस्तु को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 87 के उपशीर्ष 8708 7000 के अन्तर्गत आयातित किया गया है।
- ड. स्टील व्हील्स टायरों के साथ घटक के रूप में प्रयुक्त डिमाउंटेबल रिंग के साथ रिम और डिस्क का एक संयोग है, जो वाणिज्यिक वाहनों, जिनमें बस, ट्रक, ट्रेलर, टैंपों आदि सहित लॉरी शामिल है, में वाहन का आवागमन संभव बनाता है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

13. मूल जांच में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत है:

“11. विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. के मूल का अथवा वहां से निर्यातित ‘वाणिज्यिक वाहनों में ट्यूब टायर अनुप्रयोग में प्रयुक्त 12” नोमिनल व्यास से 20” नोमिनल व्यास के आकार का फ्लैट बेस स्टील व्हील”)संबद्ध वस्तु) है।

12. फ्लैट बेस स्टील व्हील्स डिमाउंटेबल रिंग के साथ रिम और डिस्क का संयोजन है। रिम और डिस्क को पृथम लाइनों में उत्पादित किया जाता है और एक पहिया बनाने के लिए एक साथ वैल्ड किया जाता है, जिसे वाहन की एक्सल पर चढ़ाया जाता है और वाहन चलाने के लिए टायर के साथ फिट किया जाता है। वाणिज्यिक वाहनों में बस, ट्रक, ट्रेलर, टैंपो आदि सहित लॉरियां शामिल हैं। व्हील्स को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 87 के अन्तर्गत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और आईटीसी एचएस वर्गीकरण के उपशीर्ष 8708.70 के अन्तर्गत “रेलवे या ट्रामवे रोलिंग स्टॉक और उसके कलपुर्जे तथा सहायक सामान से इतर वाहन” की श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार बाध्यकारी नहीं है।

14. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है। विचाराधीन उत्पाद के दायरे की समीक्षा का अनुरोध करते हुए किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है। विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जांच में यथा-परिभाषित के समान रहेगा।
15. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित वस्तु रासायनिक विशेषताओं, उत्पाद विनिर्देशनों, तकनीकी विनिर्देशनों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। तदनुसार, प्राधिकारी इस निष्कर्ष का प्रस्ताव करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के ‘समान वस्तु’ माना जाए।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

16. घरेलू उद्योग के दायरे या उसकी स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कोई अनुरोध नहीं किए हैं।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

17. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के दायरे और उसकी स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. यह आवेदन व्हील्स इंडिया लिमिटेड और स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।
- ख. आवेदकों के अलावा भारत में संबद्ध वस्तु के एकमात्र अन्य उत्पादक कल्याणी मैक्सियान व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड ने भी आवेदकों द्वारा दायर आवेदन का समर्थन किया है।
- ग. मैक्सियान ने वायरस अटैक के कारण आवेदन के दौरान उसके समक्ष आई तकनीकी चुनौतियों को प्राधिकारी को बताते हुए एक पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी वजह से वे अपने आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर सका था। तत्पश्चात, मैक्सियान ने प्राधिकारी के समक्ष समस्त संगत लागत और क्षति संबंधी सूचना प्रस्तुत की है और वर्तमान जांच के लिए अपने आंकड़ों पर विचार करने का अनुरोध किया है। मैक्सियान ने तब से प्राधिकारी के अनुरोध के अनुसार समस्त संगत सूचना और आंकड़े शेयर किए हैं।
- घ. आवेदक कंपनियों ने न तो संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देश में किसी निर्यातक या भारत में किसी आयातक से संबंधित हैं।
- ड. आवेदक कंपनियों ने नियमावली के नियम 5(3) और नियम 2(ख) में निर्धारित समस्त अपेक्षाओं को पूरा किया है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

18. वर्तमान आवेदन व्हील्स इंडिया लिमिटेड (व्हील्स इंडिया) और स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड (स्टील स्ट्रिप्स) द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों के अलावा, देश में केवल एक अन्य उत्पादक अर्थात् कल्याणी मैक्सियान व्हील्स

प्राइवेट लिमिटेड (मैक्सियॉन) है जिसने जांच शुरुआत के समय आवेदन का समर्थन किया है और निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत के बाद लागत और क्षति संबंधी समस्त संगत सूचना प्रस्तुत की है।

19. आवेदकों अर्थात् व्हील्स इंडिया लिमिटेड और स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड का उत्पादन भारत में कुल घरेलू उत्पादन का ***प्रतिशत है। चूंकि वर्तमान समीक्षा लागू पाटनरोधी शुल्क उपायों की समाप्ति की समीक्षा है और संबद्ध देश से कोई आयात नहीं हुए हैं। इसलिए प्राधिकारी के लिए यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। प्राधिकारी ने कल्याणी मैक्सियान व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड को घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना है। तथापि, मैक्सियान द्वारा प्रदत्त सूचना की फिर भी यह पता लगाने के लिए अलग से जांच की गई है कि क्या उनका निष्पादन आवेदक घरेलू उद्योग की तुलना में वास्तविक रूप से अलग स्थिति दर्शाता है।
20. आवेदक संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या उत्पादक या भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं हैं।
21. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अन्तर्गत यथा-परिभाषित 'घरेलू उद्योग' हैं। यद्यपि स्थिति संबंधी अपेक्षाएं समीक्षा जांच पर लागू नहीं होती हैं। तथापि, प्राधिकारी इस निष्कर्ष का प्रस्ताव करते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ड. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

22. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

23. जांच की प्रक्रिया के दौरान सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. चीन जन.गण. को चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध 1 नियम 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी ने हाल की सभी जांचों में चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना है।
- ख. 11 दिसंबर, 2016 को चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के केवल अनुच्छेद 15(क)(ii) (के प्रावधान समाप्त हुए थे परंतु अनुच्छेद 15(क)(i) (अब भी लागू है जिसमें चीन जन.गण. से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए यह सिद्ध करना अपेक्षित है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की दशाओं में प्रचालन कर रहे हैं।
- ग. चीन ने 2001 में डब्ल्यूटीओ में शामिल होते समय चीन के डब्ल्यूटीओ एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुबंध 6 में उल्लिखित कुछ उत्पादों पर सीमित शुल्कों को छोड़कर निर्यातों पर शुल्क या कर नहीं लगाने की वचनबद्धता की थी। दो दशक बाद भी चीन ने अब तक बाजार अर्थव्यवस्था बनने के लिए एक्सेसन प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं किया है।
- घ. 2021 में चीन ने उच्च शुद्धता ढलवा लोहे, फ़ैरोक्रोम आदि पर निर्यात टैरिफ को 2001 से निर्यात शुल्कों को बनाए रखते हुए 20 प्रतिशत से बढ़ाकर क्रमशः 40 प्रतिशत कर दिया। यूएस और ईयू जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं चीन द्वारा लागू निर्यात टैरिफ को रद्द करने के लिए डब्ल्यूटीओ में असफल रही, जबकि भारत ने इस मामले में कभी कोई प्रयास नहीं किया। पीयूसी के उत्पादन में प्रयुक्त निम्नलिखित मूल कच्ची सामग्रियां चीन द्वारा निर्यात शुल्क के अधीन हैं, जिसकी वजह से चीन में इस्पात की कीमत उचित बाजार मूल्य से काफी कम है।
 - i. गैर अलॉय ढलवा लोहा जिसमें ढलवा, ब्लॉक या अन्य प्राथमिक रूपों में फास्फोरस की भार के अनुसार >0.5% मात्रा होती है।
 - ii. ढलवा, ब्लॉक या अन्य प्राथमिक रूपों में अलॉय ढलवा लोहा और स्पाइजलाइसेन
 - iii. फ़ेरो-मैंगनीज
 - iv. फ़ेरो-सिलिकॉन

- v. फेरो-सिलिको-मैगनीज
- vi फेरो-क्रोमियम
- vii. कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील, अलॉय स्टील, टिंड ऑयरन या स्टील का अपशिष्ट और स्क्रेप।
- viii. लोहा या स्टील का फेरस अपशिष्ट और स्क्रेप
- ix. लोहा और स्टील के रिमेल्टिंग स्क्रेप इनगाट्स
- ड. चीन द्वारा मुख्य मुख्य कच्ची सामग्रियों पर निर्यात नियंत्रण से चीन के विनिर्माताओं को काफी प्रतिस्पर्धी बढत मिलती है। इसके अलावा, चीन में इस्पात की प्रचलित कीमत दिसंबर, 2022 के लिए प्रमुख व्यापार पत्रिका² के आधार पर भारत की तुलना में चीन में कीमत और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत के बीच कीमत का औसत अंतर 300 डॉलर/एमटी दर्शाती है।
- च. भारत सहित अनेक डब्ल्यूटीओ सदस्यों ने चीन जन.गण. को बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार नहीं दिया है। 2015 और 2016 में इस संबंध में चर्चा के बावजूद डीजीटीआर ने चीन जन.गण. को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा नहीं दिया था। यह प्रक्रिया अब पिछले वर्षों में विभिन्न जांचों में स्थापित हो गई है।
- छ. चीन को बाजार अर्थव्यवस्था नहीं मानने के डीजीटीआर की परिपाटी को भारतीय न्यायालय के समक्ष चीन की सरकार ने कभी चुनौती नहीं दी थी। वास्तव में, चीन जन.गण. ने अन्य देशों के विरुद्ध गैर-बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के संबंध में डब्ल्यूटीओ निपटान निकाय से संपर्क किया था परंतु भारत के विरुद्ध नहीं। तथापि, चीन ने अन्ततः अपना अनुरोध वापस ले लिया था।
- ज. चीन जन.गण. से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने इस समीक्षा जांच में भाग नहीं लिया है। अतः यह अनुरोध है कि प्राधिकारी पाटन मार्जिन और संभावना निर्धारण के संबंध में प्रतिकूल तथ्यों को लागू करें।
- झ. परिकलित सामान्य मूल्य को भारत में उत्पादन लागत को बिक्री, घरेलू उद्योग के सामान्य और प्रशासनिक लागतों तथा तर्कसंगत लाभ को शामिल करके विधिवत रूप से समायोजित करने के बाद उसके आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
- ञ. संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के कोई ज्ञात आयात नहीं हुए हैं और उत्पाद को संबद्ध देशों से इस समय आयात नहीं किया गया है। तथापि, इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि शुल्क समाप्त होने पर पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
- ट. क्षति अवधि के दौरान आयातों की गैर-मौजूदगी के कारण निर्यात कीमत को (क) ब्राजील को चीन से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत, (ख) वैश्विक बाजारों को चीन में संबद्ध वस्तु के लिए कारखानाद्वारा निर्यात कीमत और (ग) चीन से भारत को संबद्ध वस्तु के लिए तुलनीय उत्पाद के आयात के आधार पर निर्धारित किया गया था।
- ठ. वर्तमान निर्यातों के लिए पाटन मार्जिन पीओआई में आयातों की गैर-मौजूदगी के कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तथापि, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की घरेलू उद्योग द्वारा ऊपर प्रस्तावित पद्धति के आधार पर तुलना करने पर चीन से पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है बल्कि काफी अधिक है और शुल्क समाप्त होने पर चीन के उत्पादक भारत को निर्यात करेंगे।

ड.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

सामान्य मूल्य

24. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के अनुसार, किसी वस्तु के संबंध में 'सामान्य मूल्य' का तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू

² अनुबंध 5.1 – घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के साथ प्रस्तुत भारत की तुलना में चीन में इस्पात की कम कीमत का साक्ष्य

बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

25. चाइनीज एसेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता" (के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

(क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में

प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

26. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii)में दिए गए प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं। तथापि, एक्सेसन प्रोटोकॉल के 15(क)(i) के अधीन दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधानों में भारत की नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे संबंधी पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के ज़रिए पूरा करना अपेक्षित है।
27. आवेदकों ने ध्यान दिलाया है कि चीन जन.गण. स्टील बनाने के लिए अपेक्षित मूल कच्ची सामग्री पर दशकों से निर्यात टैरिफ को बनाए हुए है और उसने डब्ल्यूटीओ में चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के प्रावधानों का अनुपालन अब तक नहीं किया है। चीन की सरकार भी पीयूसी के उत्पादन के लिए प्रयुक्त प्रमुख कच्ची सामग्री पर निर्यात टैरिफ को बनाए हुए है और 2021 में अन्य के साथ-साथ उच्च शुद्धता डलवा लोहे, फेरोक्रोम जैसी मर्दों पर क्रमशः 20 प्रतिशत और 40 प्रतिशत के निर्यात टैरिफ में वृद्धि की है।³
28. प्राधिकारी घरेलू उद्योग के अनुरोध से नोट करते हैं कि चीन में स्टील की कीमत जो पीयूसी के उत्पादन में प्रमुख कच्ची सामग्री है, उचित बाजार कीमतों से कम है और चीन में घरेलू उत्पादकों के पास सस्ती कच्ची सामग्री की उपलब्धता के कारण भारी बढत मौजूद है। उच्च निर्यात टैरिफ ने चीन से कच्ची सामग्री खरीदने में भारत सहित तीसरे देशों को असमर्थ बना दिया है।
29. चीन में किसी भी निर्यातक/उत्पादक या भारत में उपभोक्ताओं ने जांच में भागीदारी नहीं की है। इस प्रकार, उक्त स्थिति को देखते हुए और चीन की किसी निर्यातक कंपनी द्वारा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की मान्यता के खंडन के अभाव में प्राधिकारी चीन जन.गण. को वर्तमान जांच में एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानना उचित समझते हैं और चीन जन.गण. के मामले में नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण का प्रस्ताव करते हैं।
30. कल्याणी मैक्सियान व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड के संबंधित पक्षकार तुर्की और ब्राजील में संबद्ध वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। आवेदकों ने इन देशों में इस कंपनी से ई-मेल सूचना के रूप में बाजार अर्थव्यवस्था के तीसरे देशों अर्थात् ब्राजील और तुर्की में प्रचलित कीमत उपलब्ध कराई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान में घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य इन देशों में कीमतों के अल्प साक्ष्य हैं और साक्ष्य पूरी तरह से जांच की अवधि से संबंधित नहीं हैं और यह पूरी तरह से जांच अवधि के दौरान की गई बिक्री के लिए मौजूद नहीं पाया गया था। प्राधिकारी को संपूर्ण जांच अवधि के लिए की गई बिक्री के आधार पर सूचना की आवश्यकता है, इसलिए, सामान्य मूल्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में प्रचलित कीमतों के आधार पर परिकलित नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, आवेदकों ने तीसरे देशों में उत्पादन लागत संबंधी संगत सूचना प्रस्तुत नहीं की है। इसलिए प्राधिकारी तीसरे देश में उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य परिकलित नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, चूंकि विचाराधीन उत्पाद का कोई समर्पित कोड नहीं है, इसलिए, ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात कीमत निर्धारित नहीं की जा सकती है।
31. अतः, प्राधिकारी ने एडी नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 7 में यथा-निर्धारित 'भारत में वस्तुतः प्रदत्त या देय कीमत' के अनुसार चीन में संबद्ध आयातों के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इसे बिक्री, सामान्य तथा प्रशासनिक व्यय और लाभ के लिए तर्कसंगत योग के साथ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर परिकलित किया गया है।

निर्यात कीमत

32. चीन से किसी भी निर्यातक ने निर्यात कीमत के ब्यौरे देते हुए कोई सूचना नहीं दी है। डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के कोई आयात नहीं दर्शाते हैं। अतः प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि भारत में कोई वर्तमान आयात नहीं हुए हैं और इसलिए उन्होंने भारत में वास्तविक आयातों के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित नहीं की है।

पाटन मार्जिन

³<https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3143021/china-raises-steel-export-tariffs-again-bid-boost-carbon>

33. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीओआई के दौरान संबद्ध देश से संबंधित उत्पाद के कोई ज्ञात आयात नहीं हुए हैं। अतः पीओआई में निर्यातों के संबंध में वास्तविक पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया गया है। प्राधिकारी मानते हैं कि भारत में वर्तमान आयातों के अभाव को देखते हुए भारत में विचाराधीन उत्पाद का कोई वर्तमान पाटन नहीं हुआ है।

च. क्षति के जारी रहने की संभावना – क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

34. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

35. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. भारत में संबंधित उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत में आधार वर्ष से 2020-21 तक गिरावट आई है और उसके बाद पीओआई तक वृद्धि हुई है। आधार वर्ष और 2020-21 में मांग में निम्नलिखित कारणों की वजह से गिरावट आई है:
- ट्रकों की एक्सल भार वहन क्षमता को सरकार द्वारा लगभग 20 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया जिससे एक बार में किसी ट्रक द्वारा वहन किए जाने वाले भार में भारी वृद्धि हो गई। परिणामस्वरूप सड़क पर ट्रकों की संख्या में गिरावट आई जिससे नए ट्रकों की मांग प्रभावित हुई क्योंकि उत्पाद में केवल नए ट्रकों की मांग शामिल है।⁴
 - ईंधन उत्सर्जन के मानकों को 2017 में सरकार द्वारा भारत स्टेज VI तक अद्यतन किया गया और उसके बाद इसे सीधे भारत स्टेज VI में बदला गया ताकि उत्सर्जन के वैश्विक मानकों से तालमेल रखा जा सके। ईंधन उत्सर्जन मानकों का पालन करने में ट्रक के कुछ महत्वपूर्ण कलपुर्जों में काफी अधिक पुनः डिजाइनिंग आवश्यक है जिसके लिए समय और निवेश, दोनों की जरूरत है तथा परिणामी वाहन भी काफी महंगा होता है। इसकी वजह से पीयूसी की मांग में गिरावट आई थी।⁵
 - सड़क परिवहन के विपरीत किफायत के कारण रेल परिवहन के प्रयोग में वृद्धि के कारण ट्रकों और बसों की मांग में और अधिक गिरावट आई है।
 - कोविड-19 महामारी के वैश्विक प्रभाव ने भी 2020-21 में वाणिज्यिक वाहनों की मांग को प्रभावित किया है।
- ख. पाटनरोधी शुल्क के पहली बार लागू होने के बाद चीन से आयातों में वृद्धि हुई क्योंकि चीन के उत्पादकों ने पाटनरोधी शुल्क को खपा लिया। इसके परिणामस्वरूप पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में वृद्धि हुई और फलस्वरूप निर्णायक समीक्षा के समय पाटनरोधी शुल्क को बढ़ाया गया। पहली निर्णायक समीक्षा के बाद पाटनरोधी शुल्क में वृद्धि होने से चीन से आयातों में गिरावट आई। वर्तमान में क्षति अवधि के दौरान चीन से कोई आयात नहीं हुए हैं। चीन से आयात पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के कारण नहीं हुए हैं।
- ग. चीन से आयातों के अभाव में कोई कीमत कटौती और कीमत ह्रास/न्यूनीकरण नहीं हुआ है।
- घ. निम्नलिखित के विश्लेषण से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि चीन के उत्पादक तीसरे देशों को पाटित और क्षतिकारी कीमत पर निर्यात कर रहे हैं और पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने पर पाटित और क्षतिकारी कीमत पर भारत को निर्यात होने की संभावना है:-
- चीन से ब्राजील को निर्यात कीमत⁶
 - वैश्विक बाजारों को चीन में संबद्ध वस्तु के लिए कारखानाद्वारा निर्यात कीमत⁷

⁴ अनुबंध 5.2 – घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के साथ प्रस्तुत उत्सर्जन में परिवर्तन और ट्रकों के एक्सल लोड में परिवर्तन का साक्ष्य

⁵ तदैव

⁶ घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत लिखित अनुरोध का अनुबंध 6.1

⁷ घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत लिखित अनुरोध का अनुबंध 6.3

- iii. भारत को चीन से संबद्ध वस्तु के लिए तुलनीय उत्पाद के आयात⁸
- ड. घरेलू उद्योग की क्षमता स्थिर रही है। घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में आधार वर्ष से 2020-21 तक गिरावट आई है और उसके बाद वृद्धि हुई है। क्षमता उपयोग इष्टतम स्तर तक नहीं रहा है और वर्तमान में क्षमताओं के अनुसार तुलनात्मक रूप से कम मांग के कारण वर्ष 2018 के उपयोग के स्तर से भी कम पर प्रचालन हो रहा है।
- च. चीन से आयातों में पहली समीक्षा में शुल्क बढ़ने के बाद गिरावट आई है और इस समय संबद्ध आयात शून्य हैं। इसलिए चीन का बाजार हिस्सा शुल्क में पूर्ववर्ती बदलाव के बाद कम हुआ है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग अपना बाजार हिस्सा बढ़ाने में सक्षम हुआ है और संबद्ध वस्तु की मांग में सुधार के साथ उनकी स्थिति में सुधार हुआ है।
- छ. आधार वर्ष के दौरान, घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और आरओआई ऋणात्मक रहे थे और उसके बाद पीओआई के दौरान इस्पात की कीमतों में वृद्धि की वजह से उत्पादन लागत में अस्थिरता के कारण 2021-22 तक उनमें वृद्धि हुई और पीओआई में गिरावट आई।
- ज. घरेलू उद्योग मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) के साथ सहमत कीमतों के कारण संबद्ध वस्तु की बिक्री कीमत में वृद्धि करने में बाधा के कारण प्रभावित हुआ है जो आमतौर पर कतिपय अवधि/चक्र के लिए होता है। यह चक्र अवधि आमतौर पर 3-6 महीने की होती है, जिसके दौरान कीमत में वृद्धि नहीं की जा सकती है।
- झ. ओईएम के लिए बिक्रियों हेतु भुगतान को खाते में जाने में सामान्यतः *** दिन लगते हैं। इसके अलावा, ओईएम के लिए क्रेडिट अवधि संबद्ध वस्तु के ओईएम कारखाना या भंडागार में पहुंचने पर भी शुरू होती है जिससे भुगतान में और अधिक देरी होती है।
- ञ. घरेलू उद्योग की मालसूची में आधार वर्ष से 2021-22 तक गिरावट आई है परंतु पीओआई के दौरान भारी वृद्धि हुई है। पीओआई के दौरान मालसूची में वृद्धि के लिए घरेलू उद्योग की औसत मालसूची धारण अवधि को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जो *** दिनों के बीच होती है।
- ट. कर्मचारियों की संख्या में आधार वर्ष से 2021-22 तक पीओआई में मामूली गिरावट के साथ वृद्धि हुई है। प्रति कर्मचारी उत्पादकता में उत्पादन में वृद्धि के साथ पूरी क्षति अवधि में वृद्धि हुई है।
- ठ. प्रदत्त मजदूरी देश में प्रचलित कानून के अनुसार है और 2020 - 21 को छोड़कर आधार वर्ष से पीओआई में इसमें वृद्धि हुई है जिसमें कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण गिरावट आई थी। कर्मचारियों को आमतौर पर वार्षिक रूप से और उत्पादन में वृद्धि के साथ *** प्रतिशत की वेतन वृद्धि दी जाती है, संविदागत कर्मचारियों के वेतन भी बढ़ाए जाते हैं जिससे प्रदत्त मजदूरी में समग्र वृद्धि होती है।
- ड. मात्रा और कीमत मापदंडों, दोनों में घरेलू उद्योग की वृद्धि 2020-21 में ऋणात्मक रही, 2021-22 में वृद्धि हुई और पीओआई में गिरावट आई। पीओआई में कीमत मापदंडों की वृद्धि ऋणात्मक रही है। यद्यपि घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है परंतु वर्तमान शुल्क हटने की स्थिति में वह गिरावट के प्रति संवेदनशील है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

36. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत अनुरोध और साक्ष्य को नोट किया है। प्राधिकारी द्वारा नीचे वर्णित क्षति विश्लेषण में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार किया गया है।
37. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9(क)(5) के अनुसार लागू पाटनरोधी शुल्क को यदि पहले न हटाए जाए तो उसके लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के बाद स्वतः निष्प्रभावी हो जाते हैं, बशर्ते कि यदि केन्द्र सरकार की किसी समीक्षा में यह राय हो कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो वह समय-समय पर उसके लागू होने की अवधि को आगामी पांच वर्षों के लिए बढ़ा सकती है और ऐसी आगामी अवधि ऐसे समय विस्तार की तारीख से शुरू होगी।

⁸ घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आवेदन का अनुबंध 5

38. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि यह पहले से लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा है, इसलिए घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के जारी रहने तथा वास्तविक क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना की संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के वास्तविक या संभावित आयातों के संदर्भ में जांच किए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान मामले में प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात आयात नहीं हुए हैं। अतः किसी भी तरह घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण न तो निरंतर क्षति हो सकती है और न ही घरेलू उद्योग ने निरंतर क्षति होने का दावा किया है।
39. फिर भी, प्राधिकारी ने वर्तमान क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच की है क्योंकि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग की संभावित स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए जबकि आयात न हुए हों, घरेलू उद्योग के निष्पादन का मूल्यांकन करना संगत है।
40. इस संबंध में प्राप्त अनुरोधों पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने संबद्ध देश से आयातों के कारण पाटन और क्षति की संभावना के पहलुओं की जांच करने से पहले घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, की जांच पहले की है।

च.3.1 मांग का आकलन

41. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में संबद्ध वस्तु की मांग या स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में परिभाषित किया है। विचाराधीन उत्पाद की मांग निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	146	192
समर्थकों की बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	79	73	116
संबद्ध आयात	एमटी	-	-	-	-
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-	-	-
अन्य देशों के आयात	एमटी	-	-	-	-
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-	-	-
कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	135	181
घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	108	106
समर्थकों का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	54	64
संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा	%	-	-	-	-
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-	-	-
अन्य देशों के आयात का बाजार हिस्सा	%	-	-	-	-
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-	-	-

42. यह देखा गया है कि पीयूसी की मांग में आधार वर्ष 2020-21 में गिरावट आई है और उसके बाद पीओआई तक वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार यह नोट किया गया है कि मांग में परिवर्तन विशेष रूप से क्षति अवधि के पहले दो वर्षों के दौरान ऐसे कारकों की वजह से हुआ है जो उनके नियंत्रण में नहीं थे, जिनमें कुछ नीतिगत परिवर्तन और अन्य व्यापक आर्थिक कारक जैसे सड़क परिवहन की तुलना में रेल परिवहन के उपयोग में वृद्धि और कोविड-19 महामारी शामिल थे।

च.3.2 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

संबद्ध देश की आयात मात्रा और हिस्सा

43. संबद्ध देश से पाटित आयातों और अन्य देशों से आयातों के हिस्से के प्रभाव की जांच की गई है। यह देखा गया है कि वर्तमान क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के कोई आयात नहीं हुए थे। आयातों में पहली निर्णायक समीक्षा जांच में पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने पर गिरावट आनी शुरू हुई थी और वर्तमान में पूरी क्षति अवधि में संबद्ध देश से कोई आयात नहीं हुए हैं। इसके अलावा, अन्य किसी देश से भी भारतीय बाजार में कोई आयात नहीं हुए हैं।
44. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि संबद्ध देश से कोई आयात नहीं हुए हैं, इसलिए पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

च.3.3 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

45. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में भारी कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में हो गई होती।

क. कीमत कटौती

46. यह नोट किया गया है कि वर्तमान क्षति अवधि के दौरान चीन जन.गण. से कोई आयात नहीं हुए थे। अतः, घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति अवधि के दौरान आयातों से कीमत कटौती का नुकसान नहीं हुआ है।
47. घरेलू उद्योग ने बताया कि उद्योग को आयातों के कारण अपनी कीमत में किसी कटौती का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि इस अवधि में आयात नहीं हुए थे। तथापि, यदि वर्तमान शुल्क हटाया जाता है तो घरेलू उद्योग को भारी कीमत कटौती का सामना करने की संभावना है। यह बात उस कीमत से साफतौर पर सिद्ध होती है जिस पर चीन के उत्पादकों ने पहियों का निर्यात किया है। घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित रूप में निर्यात कीमत का साक्ष्य दिया है।
- चीन से ब्राजील को ट्यूबलेस टायर अनुप्रयोग के लिए प्रयुक्त स्टील व्हीलों की निर्यात कीमत।
 - चीन के उत्पादक से एक ई-मेल पत्र द्वारा यथा-साक्ष्यांकित ट्यूबलेस और ट्यूब प्रकार के टायरों के लिए पहियों की प्रचलित कीमत – तथापि प्राधिकारी ने केवल विचाराधीन उत्पाद की कीमत पर विचार किया है।
 - 'व्हील रिम ए17 18X8जे, मैट ब्लैक लाल और नीली लाइनों/क्रोम रेबेट्स सहित, -वाणिज्यिक वाहनों के लिए ट्यूबलेस व्हील की सीआईएफ आयात कीमत जो पीयूसी की लागत और कीमत संरचना के अनुसार पीओआई के लिए समानता वाला एक उत्पाद है।

48. ऊपर उल्लिखित रूपों के आधार पर कीमतों पर विचार करने पर यह देखा गया है कि यदि चीन के उत्पादकों को भारतीय बाजार में इन कीमतों पर बिक्री करनी है तो घरेलू उद्योग को भारी कीमत कटौती झेलनी पड़ेगी, जैसा नीचे तालिका से स्पष्ट है:

विवरण	इकाई	ब्राजील को निर्यात कीमत	विश्व को चीन की निर्यात कीमत	भारत में तुलनीय उत्पाद के आयात
भारत में संभावित पहुंच मूल्य	आईएनआर/ एमटी	77,422	79,595	97,661

बिक्री कीमत	आईएनआर/ एमटी	***	***	***
कीमत कटौती	आईएनआर/ एमटी	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***
कीमत कटौती	% सूचीबद्ध	25 - 45	25 - 45	15 - 35

ख. कीमत ह्रास/न्यूनिकरण

49. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या घरेलू उद्योग अपनी कीमतों पर ह्रासकारी या न्यूनकारी प्रभाव झेल रहा है, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की लागत और कीमत के रुझानों पर विचार किया है। निम्नांकित तालिका बाजार में घरेलू उद्योग की लागत और कीमत के रुझानों के संबंध में वास्तविक स्थिति दर्शाती है:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
बिक्री की लागत	रु. /एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	118	126
बिक्री कीमत	रु. /एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	132	136

50. यह देखा गया है कि बिक्री कीमत और बिक्री लागत, दोनों 2020-21 के बाद से समान दिशा में आगे बढ़े हैं। तथापि, परिवर्तन की मात्रा लागत और कीमत के संबंध में अलग-अलग रही है। समग्र आधार पर यह देखा गया है कि यद्यपि बिक्री लागत और बिक्री कीमत, दोनों में वृद्धि हुई है, तथापि, घरेलू उद्योग क्षति अवधि के केवल अंतिम दो वर्षों के दौरान संबद्ध वस्तु को लाभ में बेचने में सक्षम रहा था। पीओआई में बिक्री कीमत, बिक्री लागत से केवल मामूली अधिक थी।
51. घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया है कि पाटित आयातों के अभाव में घरेलू उद्योग निविष्टि इस्पात की कीमतों से तालमेल बनाने में सक्षम रहा था, तथापि लागत में वृद्धि और उसे उपभोक्ताओं पर डालने में हमेशा समय का अंतर था। इसके अलावा, चूंकि उत्पाद की मांग में तेजी से गिरावट आई, इसलिए उत्पादन में तेजी से गिरावट आई जिसकी वजह से अतिरिक्त लागतों के बोझ में वृद्धि हुई। इसे उच्चतर कीमतों के रूप में उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जा सकता था क्योंकि ओईएम के लिए उत्पादन में गिरावट के कारण उच्चतर अतिरिक्त लागतों का वहन करने की आशा नहीं थी।
52. चूंकि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के कोई ज्ञात आयात नहीं हुए हैं, इसलिए संबद्ध आयात से वर्तमान क्षति अवधि में बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर कोई न्यूनकारी या ह्रासकारी प्रभाव नहीं पड़ा था। घरेलू उद्योग ने बताया है कि विदेशी उत्पादकों द्वारा शुल्क की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग की कीमत से कम कीमत पर उत्पाद की बिक्री किए जाने की संभावना है और यदि ऐसा होता है तो घरेलू उद्योग को अत्यधिक कीमत ह्रास का सामना करना पड़ेगा जिसकी वजह से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होगी।

च.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

53. नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी। नियमावली में घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने का प्रावधान है जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तदनुसार घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न आर्थिक मापदंडों की यहां नीचे चर्चा की गई है:

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्रियां

54. पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्रियां नीचे दी गई हैं:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
प्रति वर्ष क्षमता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	161	194
उत्पादन-पीयूसी	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	149	198
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	161	194
घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	146	192

55. यह देखा गया है कि:

- क. घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता क्षति अवधि के दौरान स्थिर रही है।
- ख. घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में आधार वर्ष से 2020-21 में गिरावट आई है और उसके बाद वृद्धि हुई है।
- ग. घरेलू उद्योग की बिक्री में भी आधार वर्ष से 2020-21 तक गिरावट आई है। उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में पीओआई में काफी वृद्धि हुई है।
- घ. भारत में स्थापित क्षमताएं मांग से काफी अधिक हैं। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उन्होंने ओईएम द्वारा लगाए गए अनुमानों के अनुसार क्षति अवधि से पहले अपनी क्षमता में वृद्धि की थी। तथापि, इस अवधि में वास्तविक मांग ऑटोमोबाइल उद्योग द्वारा पहले से लगाए गए अनुमानों की सीमा तक नहीं बढ़ी थी जिसका कारण ट्रकों की एक्सल भार वहन क्षमता में वृद्धि, ईंधन उत्सर्जन मानकों में परिवर्तन, कोविड-19 महामारी और सड़क परिवहन की तुलना में रेल परिवहन के प्रयोग में वृद्धि रहा था।

ख. मांग में बाजार हिस्सा

56. संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों और घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा निम्नानुसार था। यह स्मरण किए जाए कि पूरी क्षति अवधि में उत्पाद के कोई आयात नहीं हुए थे।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	108	106
समर्थक	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	54	64
कुल	%	100.00	100.00	100.00	100.00

57. यह देखा गया है कि भारतीय उद्योग के पास देश में उत्पाद की मांग का पूरा हिस्सा रहा है।
58. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल जांच की पीओआई, जब देश में उत्पाद का पाटन शुरू हुआ, में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में भारी गिरावट आई थी। इसके अलावा, शुल्क को खपाने के कारण चीन के आयातों के बाजार हिस्से में पहली निर्णायक समीक्षा के समय और वृद्धि हुई। तथापि, शुल्क की राशि में वृद्धि के साथ आयातों में तेजी से गिरावट आई और अब वर्तमान क्षति में पूरी तरह बंद हो गए हैं।

ग. लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर आय

59. लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ संबंधी सूचना निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
विक्री लागत	र./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	118	126
विक्री कीमत	र./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	132	136
प्रति इकाई लाभ	र./एमटी	(***)	(***)	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(41)	67	6
कुल लाभ/(हानि)	लाख रु.	(***)	(***)	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(37)	97	11
नकद लाभ	लाख रु.	(***)	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	124	606	302
व्याज और कर पूर्व लाभ	लाख रु.	(***)	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	109	718	445
नियोजित पूंजी पर आय	%	(***)	***	***	***
प्रवृत्ति	रेंज	(100)	123	770	433

60. यह देखा गया है कि:

- क. घरेलू उद्योग को 2019-2020 और 2020-21 के दौरान वित्तीय घाटों की वजह से, उनके नियंत्रण से बाहर कुछ कारणों जैसे नीतियों में परिवर्तन और अन्य व्यापक आर्थिक कारकों जैसे कोविड-19 महामारी की वजह से वित्तीय घाटा हुआ है। घरेलू उद्योग ने 2021-22 में लाभ कमाया है, तथापि, वर्तमान पीओआई में उसे पुनः वित्तीय घाटा उठाना पड़ा है।
- ख. नकद लाभ और निवेश पर आय में भी लाभों जैसे प्रवृत्ति का अनुसरण किया है। घरेलू उद्योग को अप्रैल, 2019- मार्च, 2021 के दौरान नकद घाटे उठाने पड़े हैं और उसके बाद नकद लाभ हुआ है। तथापि, पीओआई में नकद लाभ में कमी आई है।
- ग. घरेलू उद्योग को 2019-20 में नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक आय प्राप्त हुई है। यद्यपि उसके बाद घरेलू उद्योग को सकारात्मक आय प्राप्त हुई थी, 2021-21 में आरओआई में सुधार हुआ और पीओआई में इसमें तत्पश्चात् गिरावट आई।

61. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग पहले से ही पीओआई में लाभप्रदता, नकद लाभ और आरओसीई की समस्याओं का सामना कर रहा है और शुल्क समाप्त होने पर घरेलू उद्योग के नकद घाटे और ऋणात्मक आरओसीई में अत्यधिक वृद्धि होने की संभावना है।
62. चूंकि घरेलू उद्योग ने आयातों की गैर-मौजूदगी के बावजूद इन कीमत मापदंडों के संबंध में अच्छा निष्पादन नहीं किया था, इसलिए इनके कारणों की विस्तार से जांच की गई थी। यह नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तु की मांग

में अप्रैल, 2019 - मार्च, 2021 के दौरान गिरावट आई है। प्राधिकारी ने पहले समाप्ति समीक्षा की थी जिसमें जांच अवधि अक्तूबर, 2016 से सितंबर, 2017 की थी और क्षति अवधि 2014-15 से रही थी। यह देखा गया है कि उस अवधि के दौरान उत्पाद की मांग ***एमटी (2014-15) और ***एमटी (पीओआई के लिए वार्षिकीकृत) थी। इसके विपरीत, अप्रैल, 2019 – मार्च, 2021 के दौरान उत्पाद की मांग ***एमटी (2019-20) और ***एमटी (2020-21) रही थी।

63. इस प्रकार, वर्तमान क्षति अवधि के पहले दो वर्षों के दौरान देश में उत्पाद की मांग में तेजी से गिरावट आई थी। इस प्रकार यह स्वाभाविक था कि घरेलू उद्योग अपनी पूरी लागतों को वसूली नहीं कर पाया था और उसे वित्तीय घाटा हुआ था। तथापि, 2021-22 में, जैसे ही उत्पाद की मांग में थोड़ा सुधार हुआ, घरेलू उद्योग कुछ लाभ कमाने में सक्षम हो गया। वर्तमान पीओआई में एक बार फिर घरेलू उद्योग को लाभ में गिरावट और कुछ घाटे का सामना करना पड़ा क्योंकि घरेलू उद्योग बिक्री लागत में वृद्धि के अनुपात में अपनी कीमत में वृद्धि करने में सक्षम नहीं था।

घ. मालसूची

64. क्षति अवधि के दौरान मालसूची संबंधी सूचना निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
आरंभिक	एमटी	***	***	***	***
अंतिम	एमटी	***	***	***	***
औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	97	69	87

65. यह देखा गया है कि आवेदकों की औसत मालसूची में आधार वर्ष से 2021-22 के दौरान गिरावट आई है और पीओआई के दौरान भारी वृद्धि हुई है।

ड. उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी

66. क्षति अवधि के दौरान उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी के संबंध में सूचना निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	109	118	116
वेतन एवं मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	82	122	162
प्रति दिन उत्पादकता	एमटी/दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	92	149	198
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	84	126	170

67. रोजगार स्तर में वृद्धि हुई है। प्रदत्त वेतन और मजदूरी में कोविड-19 महामारी के कारण 2020-21 को छोड़कर क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। प्रति कर्मचारी उत्पादकता ने भी वेतन और मजदूरी के समान ही प्रवृत्ति का पालन किया है।

च. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

68. यह देखा गया है कि निवेश पर अर्जित आरओसीई में आधार वर्ष से 2021-22 में सुधार हुआ है परंतु पीओआई में भारी गिरावट आई है।

छ. पाटन मार्जिन की मात्रा

69. कोई आयात नहीं हुए हैं इसलिए वास्तविक पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तथापि संभावित पाटन मार्जिन काफी अधिक है।

ज. वृद्धि

70. यद्यपि घरेलू उद्योग की समग्र वृद्धि 2021- 22 तक सकारात्मक रही थी, तथापि पीओआई में वृद्धि ऋणात्मक हो गई।

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	पीओआई
उत्पादन	वर्ष/वर्ष	(8)	63	32
घरेलू बिक्रियां	वर्ष/वर्ष	(10)	62	32
प्रति इकाई लाभ/ (हानि)	वर्ष/वर्ष	59	262	(91)
क्षमता उपयोग	वर्ष/वर्ष	(3)	23	11
औसत मालसूची	वर्ष/वर्ष	(3)	(29)	26
घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	वर्ष/वर्ष	2	6	(2)
लाभ/हानि (लाख रु.)	वर्ष/वर्ष	63	361	(89)
नकद लाभ	वर्ष/वर्ष	224	388	(50)
पीबीआईटी	वर्ष/वर्ष	209	557	(38)
नियोजित पूंजी पर आय	वर्ष/वर्ष	4%	10%	-5%

क्षति मार्जिन की मात्रा

71. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित अनुबंध III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त और जांच अवधि के लिए कार्यरत लागत लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति रहित कीमत पर क्षति मार्जिन की गणना के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना हेतु विचार किया गया है। क्षति रहित कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। सुविधाओं के साथ भी यही पद्धति अपनाई गई है। क्षति अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया कि उत्पादन लागत में कोई असाधारण या अनावर्ती व्यय प्रभारित न किए जाएं। प्राधिकारी ने पीयूसी के लिए उत्पादन लागत की गणना से संबंधित व्यय के कार्य को बाहर रखा है। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल स्थिर परिसंपत्ति जमा औसत कार्यशील पूंजी) पर नियमावली के अनुबंध -III में यथा विहित ब्याज, कारपोरेट कर और लागत की वसूली के लिए एक तर्कसंगत आय (कर-पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) की अनुमति दी गई है और पालन किया गया है। इस प्रकार निर्धारित एनआईपी पर क्षति मार्जिन की गणना हेतु विचार किया गया है।

72. चूंकि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के कोई आयात नहीं हुए हैं, इसलिए जांच अवधि के दौरान निर्यात पर आधारित क्षति मार्जिन की गणना नहीं की गई है। तथापि, प्राधिकारी ने संभावना जांच के लिए परिकल्पित एनआईपी पर भरोसा किया है।

छ. कारणात्मक संबंध और अन्य कारक (गैर-आरोपण विश्लेषण)

73. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमत, मांग में संकुचन या खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन। व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन तथा

उत्पादकता के संबंध में संगत कारकों का विश्लेषण शामिल है। प्राधिकारी इस बात की जांच करते हैं कि क्या पाटित आयातों से इतर कारकों की वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

74. यह देखा गया है कि अन्य देशों से कोई आयात नहीं हुए हैं। इस प्रकार तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती है।

ख. मांग में संकुचन

75. यह देखा गया है कि मांग में 2019-20 और 2020-21 के दौरान गिरावट आई है। तथापि, उसके बाद 2021-22 और पीओआई में मांग में वृद्धि हुई है।

ग. खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन

76. घरेलू उद्योग ने बताया है कि वैश्विक रूप से खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन हुआ है क्योंकि ट्यूबलेस व्हील अनुप्रयोग के लिए प्रयुक्त इस्पात के पहिये को ट्यूब वाले इस्पात के पहिये की तुलना में अधिक पसंद किया जा रहा है। तथापि, भारत में खपत की प्रवृत्ति में वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है। संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि हुई है। यह देखा गया है कि वर्तमान पीओआई में उत्पाद की मांग पूर्ववर्ती पीओआई में उत्पाद की मांग से अधिक रही है।

घ. प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

77. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच से प्रतिस्पर्धा की दशाओं या व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं में किसी परिवर्तन का पता नहीं चला है।

ड. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पूरी क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का कोई निर्यात नहीं हुआ है। आवेदकों ने घरेलू बाजार पर फोकस किया है। इस प्रकार निर्यात निष्पादन से घरेलू उद्योग का निष्पादन प्रभावित नहीं हो सकता है।

च. अन्य उत्पादों का निष्पादन

79. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षति संबंधी आंकड़े दिए हैं और क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने उन्हें स्वीकार किया है। आवेदकों द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों के निष्पादन पर विचार नहीं किया गया है।

80. जैसा ऊपर नोट किया गया है, प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि आवेदकों को संबद्ध आयातों की वजह से कोई क्षति नहीं हुई है।

ज. पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

81. क्षति और पाटन के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

82. क्षति और पाटन के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. भारत को चीन से संभावित निर्यात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत, उत्पादन लागत और क्षति रहित कीमत से वास्तव में कम है। चीन से संभावित निर्यात कीमत संबंधी अनेक साक्ष्यों से सिद्ध होता है।

विवरण	यूओएम	ब्राजील को निर्यात कीमत	चीन की एफओबी निर्यात कीमत	भारत में तुलनीय उत्पाद के आयात
पाटन मार्जिन गणना				
सामान्य मूल्य	आईएनआर/एमटी	***	***	***
निवल निर्यात कीमत	आईएनआर/एमटी	***	***	***
पाटन मार्जिन	आईएनआर/एमटी	***	***	***
पाटन मार्जिन	%	***	***	***
पाटन मार्जिन	% सूचीबद्ध	80 – 100	80 – 100	40 - 60
क्षति मार्जिन गणना				
क्षति रहित कीमत	आईएनआर/एमटी	***	***	***
पहुंच कीमत	आईएनआर/एमटी	***	***	***
क्षति मार्जिन	आईएनआर/एमटी	***	***	***
क्षति मार्जिन	%	***	***	***
क्षति मार्जिन	% सूचीबद्ध	45 – 65	45 – 65	15 – 35
कीमत कटौती गणना				
निवल बिक्री प्राप्ति	आईएनआर/एमटी	***	***	***
पहुंच कीमत	आईएनआर/एमटी	***	***	***
कीमत कटौती	आईएनआर/एमटी	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***
कीमत कटौती	% सूचीबद्ध	30 – 50	30 – 50	15 – 35

ख. यदि घरेलू उद्योग चीन से संभावित आयात कीमत से बराबरी करता है तो घरेलू उद्योग को काफी अधिक वित्तीय घाटे, भारी नकद घाटे और नियोजित पूंजी अत्यधि ऋणात्मक आय का सामना करना पड़ेगा।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	वास्तविक	संभावित स्थिति		
				ब्राजील को निर्यात कीमत	चीन की एफओबी निर्यात कीमत	भारत में तुलनीय उत्पाद के आयात
1	घरेलू उद्योग की बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
2	बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
3	प्रति यूनिट लाभ/हानि	रु./एमटी	***	(***)	(***)	(***)
4	घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
5	लाभ/(हानि)	लाख रु.	***	(***)	(***)	(***)
6	मूल्यह्रास	लाख रु.	***	***	***	***
7	नकद हानि	लाख रु.	***	(***)	(***)	(***)

8	ब्याज	लाख रु.	***	***	***	***
9	पीबीआईटी	लाख रु.	***	(***)	(***)	(***)
10	लगाई गई पूंजी	लाख रु.	***	***	***	***
11	नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***

- ग. शुल्क की समाप्ति से इस तथ्य के मद्देनजर भारी कीमत क्षति होगी कि चीन के उत्पादकों के पास भारतीय उद्योग को प्रतिस्थापित करने और देश में उत्पाद की संपूर्ण मांग को पूरा करने की क्षमता है। संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए चीन के उत्पादकों की ज्ञात क्षमताएं चीन की संपूर्ण मांग से काफी अधिक और भारतीय मांग से कई गुना अधिक है। चीन के अनेक उत्पादकों ने पूर्ववर्ती जांच की तुलना में अपनी क्षमता में वृद्धि की है। ये क्षमताएं भारतीय उद्योग के लिए खतरा हैं।
- घ. चीन का प्रमुख फोकस निर्यातों पर है, जैसा विभिन्न देशों को संबद्ध वस्तु के निर्यातों से सिद्ध होता है। औसतन चीन के उत्पादक 30 से अधिक देशों को संबद्ध वस्तु का निर्यात करते हैं। जियामेन सनराइज व्हील ग्रुप कंपनी लिमिटेड जैसी कंपनियां दावा करती हैं कि वे 100 से अधिक देशों को निर्यात करती हैं।
- ड. चीन के प्रमुख निर्यात बाजार यूएस और ईयू थे और झेजियांग जिनबु कंपनी लिमिटेड जैसी कंपनियां अपने कुल निर्यातों का 93 प्रतिशत से अधिक यूएस को निर्यात कर रही थी। तथापि, ईयू(50.03 प्रतिशत से 66.4 प्रतिशत के बीच एडीडी) और यूएस (388.31 प्रतिशत का सीवीडी) द्वारा हाल में व्यापार उपचारात्मक उपायों के परिणामस्वरूप चीन के बाजार को भारी घाटा हुआ है। 2018 के आंकड़ों के आधार पर चीन द्वारा गंवाए गए व्यवसाय की मात्रा भारतीय मांग का लगभग *** प्रतिशत है।

क्र.सं.	विवरण	ईयू	यूएसए
1	शामिल उत्पाद	स्टील रॉड व्हील्स	12 से 16.5 इंच व्यास वाले कतिपय स्टील व्हील्स
2	उपाय की प्रकृति	एडी	सीवीडी
3	उपाय की मात्रा	50.03% से 66.4%	388.31%
4	संबंधित अवधि में निर्यात की मात्रा	20,93,000 व्हील्स	8,32,469 व्हील्स
5	उपाय लगाने का वर्ष	मार्च 2020	जुलाई 2019
6	चीन के शामिल उत्पादकों की संख्या	19 उत्पादक	4 उत्पादक

- च. चीन से आयातों की मात्रा में पहली निर्णायक समीक्षा तक वृद्धि हुई और ऐसा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद हुआ है। इसके अलावा, शुल्क बढ़ने के बाद भारी गिरावट यह दर्शाती है कि भारतीय बाजार में चीन के उत्पादकों का वर्तमान निर्यात व्यवहार पाटनरोधी शुल्क लागू होने के कारण ऐसा है। भारत के लिए वर्तमान निर्यात व्यवहार चीन के उत्पादकों के संभावित व्यवहार संबंधी निष्कर्ष के लिए अनुचित है।

अवधि	यूओएम	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4
मूल जांच	एमटी	-	-	1,560	19,843
पहली निर्णायक समीक्षा	एमटी	28,403	25,727	30,492	35,333
दूसरी निर्णायक समीक्षा	एमटी	152	313	108	170
वर्तमान जांच	एमटी	0	0	0	0

- छ. चीन के उत्पादकों की वित्तीय स्थिति कमजोर है। चीन के उत्पादकों अर्थात् जेनिक्स ऑटो, झेजियांग जिंगु कंपनी, और जिंमिन झिटोंग (गुप) कंपनी लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट स्पष्ट रूप से इनका पीबीटी मार्जिन काफी कम दर्शाती हैं। काफी अधिक बिक्री कारोबार के बावजूद चीन का व्हील उद्योग घरेलू बाजार में घाटा उठा रहा है।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	बिक्री मूल्य	पीबीटी	पीबीआईटी	पीबीडीआईटी
1	जेनिक्स ऑटो	रु./एमटी	17,69,478	(4,82,247)	(4,57,885)	(3,17,662)
2	झेजियांग जिंगु कंपनी	रु./एमटी	27,28,027	79,530	1,72,351	2,06,714
3	जिंगमिन झिटोंग (गुप) कंपनी लिमिटेड	रु./एमटी	14,18,484	(6,27,134)	(5,71,354)	(5,52,740)

- ज. चीन के उत्पादकों द्वारा घरेलू बाजार में प्राप्त कम/ऋणात्मक मार्जिन निर्यात बाजार को और अधिक लाभदायक बना देता है, जहां पर पर्याप्त मांग है। इससे चीन के उत्पादकों के अधिक निर्यातोन्मुख होने का कारण भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है।
- झ. झेजियांग जिंगु की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि उनकी निर्यात वस्तुओं पर 'कर छूट, ऋण और वापसी नीति' लागू है जहां कर वापसी की दर 13 प्रतिशत है। यह दर्शाता है कि चीन के उत्पादकों के लिए निर्यात बेहतर विकल्प क्यों है।
- ञ. चीन के निर्यातक ईयू और यूएस में व्यापार उपचार उपायों के कारण संगत वस्तु के निर्यात के लिए भावी बाजार का पता लगाने हेतु उत्सुक हैं। ईयू प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन और क्षति मार्जिन तथा यूएस प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सब्सिडी मार्जिन काफी अधिक है। शुल्क की अवधि नहीं बढ़ाने से ये निर्यात भारत की ओर आ सकते हैं जिससे संबद्ध देश से पाटन की पुनरावृत्ति होगी।
- ट. चीन के उत्पादक सस्ती कीमत पर अपने उत्पाद बेचने के लिए उन्हें उपलब्ध अनेक सब्सिडियों का उपयोग करते हैं जैसा कि यूएस प्राधिकारी ने अपनी प्रतिसंतुलनकारी जांच में पता लगाया था। डब्ल्यूटीओ को चाहना द्वारा सूचित सब्सिडियां भी अनेक सब्सिडियों की मौजूदगी दर्शाती हैं। चीन में अन्य असूचित सब्सिडियों की संभावना है जिन्हें यूएस प्राधिकारी ने प्रतिसंतुलन योग्य पाया है तथा जिनसे भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन अवश्य हो जाएगा।
- ठ. यूएस प्राधिकारियों ने केवल कच्ची सामग्री की प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडियों को 44 प्रतिशत तक निर्धारित किया है। केवल इस बात से घरेलू उद्योग के इस अनुरोध का समाधान होता है कि चीन में उपलब्ध इस्पात भारत और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में कम से कम 300 अमरीकी डॉलर प्रति एमटी सस्ता है। यह मुद्दा प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडियों तक सीमित नहीं है, और सिद्ध करता है कि प्रमुख निविष्टियों की कीमतें चीन में पर्याप्त रूप से बाजार मूल्य नहीं दर्शाती हैं। घरेलू उद्योग इस संबंध में अनुबंध-1 के पैरा 7 का उल्लेख करता है। अतः इस समस्या की प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडियों का मुद्दा बताकर अनदेखी नहीं की जा सकती है।
- ड. वैश्विक इस्पात व्हील बाजार का आकार 2028 तक 5.5 प्रतिशत की सीएजीआर पर 2021 में 7.06 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़ने की उम्मीद है। चीन इस क्षेत्र में अपने को सबसे प्रभावशाली बनाने के लिए अधिक से अधिक बाजारों में प्रवेश करने का प्रयास करेगा। मौजूदा शुल्कों के समाप्त होने से उन्हें ऐसा करने का अवसर निश्चित रूप से मिल जाएगा।
- ढ. भारतीय बाजार कीमत संवेदनशील है। चीन ऐतिहासिक रूप से अपने उत्पादन के प्रमुख हिस्से का निर्यात तीसरे देशों को करता रहा है। चीन में शुल्क में बढ़ोतरी के बाद भारत में संबद्ध वस्तु का पाटन कम किया है। भारत में शुल्क हटाने से निश्चित रूप से भारत में कम कीमत वाले आयात पुनः शुरु हो जाएंगे। इससे भारतीय बाजार में पीयूसी की कीमत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- ण. प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती निर्णायक समीक्षा जांच में नोट किया था कि भारत में पाटित आयात में पहली एसएसआर (पैरा 66) में शुल्कों में काफी कमी की गई थी, निर्यातक केवल लागू व्यापार उपचारात्मक कार्यवाही के कारण अपने प्रचालनों को नहीं बढ़ा पाया था (पैरा 67), निर्यातक की वार्षिक रिपोर्ट में

उल्लेख है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने के कारण निर्यातों में गिरावट आई है और शुल्क हटाने की स्थिति में (पैरा 67), चीन के उत्पादक द्वारा कम कीमत पर निर्यात का प्रस्ताव होगा (पैरा 74), निर्यातक पाटन पुनः शुरु कर देंगे। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया था कि चीन के पास भारी अप्रयुक्त क्षमताएं मौजूद हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संबद्ध वस्तु की कमतर कीमत है जो स्पष्ट रूप से निर्यातक द्वारा पाटन का संकेत करती हैं।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

83. चूंकि चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के कोई ज्ञात आयात नहीं हुए हैं, इसलिए प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि क्या पाटनरोधी शुल्क हटाने से पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना है और यदि हां, तो क्या उनसे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। आवेदकों ने याचिका में पाटन की पुनरावृत्ति की संभावना के साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं और जांच के दौरान संबंधित पूरक सामग्री दी है और अनुरोध किया कि उनसे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।
84. किए गए अनुरोधों और रिकॉर्ड में प्रस्तुत साक्ष्यों की प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है। प्राधिकारी ने धारा 9क(5), नियम 23 और नियमावली के अनुबंध-II) vii(के अनुसार वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मापदंडों और रिकॉर्ड में लागू गए अन्य संगत कारकों के अन्तर्गत निर्धारित अपेक्षा पर विचार करते हुए क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना की जांच की है। चूंकि वर्तमान जांच इस समय लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा है और नियमावली के अन्तर्गत प्राधिकारी के लिए यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटनरोधी शुल्क को लागू रखने की आवश्यकता है।
85. ऐसी संभावना विश्लेषण के लिए कोई विशिष्ट पद्धति उपलब्ध नहीं है। तथापि, नियमावली के अनुबंध-II के खंड(vii) (में अन्य बातों के साथ-साथ क्षति के खतरे के लिए संगत कारक बताए गए हैं और निर्णायक समीक्षा में संभावना विश्लेषण के लिए भी इन कारकों का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा, संभावना निर्धारण के लिए संगत मापदंडों की एक गैर-विस्तृत सूची दी गई है:
- क. भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की अत्यधिक दर, जो काफी बड़े हुए आयातों की संभावना दर्शाती हो।
- ख. पर्याप्त रूप से निपटान योग्य, या निर्यातक की क्षमता में आसन्न, पर्याप्त वृद्धि जो किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता पर विचार करते हुए भारतीय बाजार में काफी बड़े हुए पाटित निर्यातों की संभावना दर्शाती हो।
- ग. क्या आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जिनसे घरेलू कीमतों पर काफी ह्रासकारी या न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा और इससे आगे और निर्यातों की मांग में वृद्धि की संभावना है; और
- घ. जांच की जा रही वस्तु की मालसूची।
86. प्राधिकारी ने ऊपर सूचीबद्ध मापदंडों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना के आकलन से संगत विभिन्न कारकों की जांच की है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने अन्य संगत कारकों की भी जांच की है जिनसे पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना पर कोई प्रभाव पड़ सकता है।

क. भारतीय बाजार पर कब्जा करने के लिए चीन के उत्पादकों की पर्याप्त काफी क्षमताएं

87. प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाले चीन के उत्पादकों की क्षमताओं की जांच की है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना पर चीन सरकार और चीन के उत्पादकों के असहयोग के कारण विचार किया गया है। इसके अलावा, वर्तमान जांच क्षमताओं की तुलना इस बात की जांच करने के लिए पहले की गई निर्णायक समीक्षा जांच में यथा-दर्ज चीन के उत्पादकों की क्षमताओं के साथ की गई है कि क्या चीन के उत्पादकों की क्षमता में वृद्धि हुई है।

क्र.सं.	चीन में उत्पादक	पूर्ववर्ती समीक्षा में क्षमता	वर्तमान क्षमता
1	शानडोंग जिनिंग व्हील फैक्टरी	1.5 मिलियन	1.5 मिल.व्हील ⁹

⁹ <https://jiningwheel.en.ecplaza.net/>

2	शानडोंग शेंगताई व्हील कंपनी लिमिटेड, शानडोंग	4 मिलियन	4 मिलियन ¹⁰
3	जियामेन सनराइज व्हील ग्रुप कंपनी लिमिटेड(11 सब्सिडी कंपनियों)	50,000 टन	50,000 टन ¹¹
4	झेजियांग जिंगु कंपनी लिमिटेड	17 मिलियन	15 मिलियन ¹²
5	जिंगमिन इटेलीजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम (ग्रुप) कंपनी लिमिटेड (पूर्व में शांगडोंग जिंगमिन व्हील कंपनी लिमिटेड)	6 मिलियन	10 मिलियन
6	फुजियान झेंगजिंग व्हील कंपनी लिमिटेड	5.2 मिलियन	15 मिलियन ¹³
7	चाइन जेनिक्स ऑटो इंटरनेशनल लिमिटेड	15 मिलियन	15.5 मिलियन ¹⁴
8	शेंगताई ग्रुप शानडोंग डेतोंग व्हील्स कंपनी	1 मिलियन	2 मिलियन ¹⁵
9	झेजियांग व्हील ग्रुप कंपनी लिमिटेड (सब्सिडी ऑफ चाइना जेनिक्स ऑटो इंटरनेशनल लिमिटेड)		14 मिलियन ¹⁶
10	जियींजिंग हेन्को ऑटो स्पेयर पार्ट्स कंपनी लिमिटेड		1.5 मिलियन ¹⁷
11	हांगझोऊ फोरलॉग इम्पैक्स कंपनी, लिमिटेड		2.5 मिलियन ¹⁸
12	जिनिंग जुंडा मशीनरी मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड		0.74 मिलियन ¹⁹
13	शानडोंग झेंगयु व्हील ग्रुप कंपनी लिमिटेड		1.2 मिलियन ²⁰
14	शानडोंग झेंगशांग व्हील टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड		3 Million ²¹

88. यह देखा गया है कि चीन के उत्पादकों के पास संबद्ध वस्तु के उत्पादन की भारी क्षमताएं मौजूद हैं जो समूची भारतीय मांग से कई गुना अधिक है। पूर्ववर्ती समीक्षा जांच और वर्तमान जांच के बीच चीन के उत्पादकों की ज्ञात क्षमताओं की तुलना से पता चलता है कि अधिकांश उत्पादकों ने अपनी क्षमता में वृद्धि की है।

ख. चीन के उत्पादकों का अत्यधिक निर्यातोन्मुख होना

89. प्राधिकारी ने चीन के उत्पादकों के निर्यातोन्मुख होने की जांच की है। प्राधिकारी ने चीन के उत्पादकों की वेबसाइटों से उद्धरण के रूप में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार किया है जो उनका निर्यात प्रतिशत और पसंदीदा निर्यात गंतव्य दर्शाते हैं।

¹⁰ <https://shengtaiwheel.en.made-in-china.com/>

¹¹ <http://en.sunrisewheel.com/about>

¹² <https://jgwheel.com/products#productCenter>

¹³ <http://www.zenixauto.com/jtjj/>

¹⁴ <https://zenixauto.investorroom.com/index.php?s=120&&item=109>

¹⁵ https://www.diytrade.com/china/manufacturer/935295/main/Shengtai_Group_Shandong_Detong_Wheels_Co_Ltd.html

¹⁶ <http://www.zenixauto.com/>

¹⁷ <http://www.henkowheel.com/ProductionLine.html>

¹⁸ <http://forlongwheel.com/about.php>

¹⁹ https://steelwheel.en.alibaba.com/company_profile.html?spm=a2700.shop_index.88.23

²⁰ <https://www.zhengyuwheelgroup.com/company-profile.html>

²¹ https://www.zhengshangwheel.com/page/219961_en.html

क्र.सं.	चीन में उत्पादक	निर्यात स्थानों की संख्या	प्रमुख निर्यात गंतव्य	गंतव्यों के निर्यात का हिस्सा
1	शानडोंग जिनिंग व्हील फैक्टरी		यूएस, कनाडा, इक्वाडोर, हांग कांग, ताइवान ²²	संयुक्त राज्य(56.3%), मेक्सिको (5.7%), रूस(4.8%) ²³
2	जियामेन सनराइज व्हील ग्रुप कंपनी लिमिटेड (11 सब्सिडी कंपनी)	100+ देश	यूरोप, संयुक्त राज्य, न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया, साउथईस्ट एशिया, दि मिडल ईस्ट और अफ्रीका ²⁴	वियतनाम(8.3%), संयुक्त राज्य (6.7%), कोलम्बिया(5.5%) ²⁵
3	झेजियांग जिंगु कंपनी लिमिटेड		यूरोप, संयुक्त राज्य, साउथ ईस्ट एशिया ²⁶	संयुक्त राज्य (93.5%), मेक्सिको (1.2%) ²⁷
4	जिंगमिन इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स (ग्रुप) कंपनी, लिमिटेड (पूर्व में शांगडोंग जिंगमिन व्हील कंपनी लिमिटेड)	40 देश	यूएस, कनाडा, कोलम्बिया, जर्मनी, रूस, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील ²⁸	संयुक्त राज्य (35.5%), हर्मनी (29.4%), नीदरलैंड (17.6%), ²⁹ कोलम्बिया ³⁰
5	फुजियान झेंगजिंग व्हील कंपनी लिमिटेड	30+ देश	जापान, दक्षिण कोरिया, भारत और साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, अफ्रीका ³¹	
6	चाइना जेनिक्स ऑटो इंटरनेशनल लिमिटेड	28+ देश	थाइलैंड, वियतनाम, मलेशिया, पाकिस्तान और इंडोनेशिया	
7	शेंगताई ग्रुप शानडोंग डेटोंग व्हील्स कंपनी	30+ देश	अमेरिका, कनाडा, दि मिडल ईस्ट, साऊथईस्ट एशिया, और हांग कांग. ³²	
8	झेजियांग व्हील ग्रुप शानडोंग डेटोंग व्हील्स कंपनी	30+ देश	जापान, साऊथ कोरिया, इंडिया, यूएसए, साउथईस्ट एशिया, यूरोप, अफ्रीका, और मिडल अमेरिका. ³³	वियतनाम(60% से अधिक) ³⁴
9	योंगकांग यूएफेई व्हील कंपनी लिमिटेड		नार्थ अमेरिका और यूरोप ³⁵	संयुक्त राज्य(~100%) ³⁶

²² <https://www.made-in-china.com/showroom/eugene1234567>

²³ <https://panjiva.com/Shandong-Jining-Wheel-Factory/1249997>

²⁴ <http://en.sunrisewheel.com/about/gongsijianjie>

²⁵ <https://panjiva.com/Xiamen-Sunrise-Wheel-Group-Co-Ltd/3849531>

²⁶ <https://jgwheel.com/about>

²⁷ <https://panjiva.com/Zhejiang-Jingu-Co-Ltd/33425970>

²⁸ <http://www.xingmin.com/en/list-38-1.html>

²⁹ <https://panjiva.com/Shandong-Xingmin-Wheel-Co-Ltd/30382041>

³⁰ <https://panjiva.com/Xingmin-Intelligent-Transportation-Systems-Group-Co-Ltd/47584948>

³¹ <http://www.zenixauto.com/jtjj/>

³² https://www.diytrade.com/china/manufacturer/935295/main/Shengtai_Group_Shandong_Detong_Wheels_Co_Ltd.html

³³ <http://www.zenixauto.com/>

³⁴ <https://panjiva.com/Zhengxing-Wheel-Group-Co-Ltd/42026182>

³⁵ <https://yuefeiwheel.en.made-in-china.com/company-Yongkang-Yuefei-Wheel-Co-Ltd-.html>

³⁶ <https://panjiva.com/Yongkang-Yuefei-Wheel-Co-Ltd/61560504>

10	जियाजिंग हेंको ऑटो स्पेयर पार्ट्स कंपनी लिमिटेड		कनाडा, रूस, अमेरिका, मिड-ईस्ट, और यूरोप ³⁷	संयुक्त राज्य(60% से अधिक) ³⁸
11	हांगझोऊ फोरलॉग इम्पैक्स कंपनी लिमिटेड		नार्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ईस्टर्न यूरोप, साउथईस्ट एशिया, अफ्रीका, ओसीनिया, मिड ईस्ट, ईस्टर्न एशिया, वेस्टर्न यूरोप ³⁹	
12	जिनिंग जुंडा मशीनरी मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड		नार्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ईस्टर्न यूरोप, साउथईस्ट एशिया, अफ्रीका, ओसीनिया, मिड ईस्ट, ईस्टर्न एशिया, वेस्टर्न यूरोप ⁴⁰	
13	निंगबो लक्जियांग ऑटोपार्ट्स मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड	30+ देश	नार्थ अमेरिका, मिड ईस्ट, ओसीनिया ⁴¹	
14	शानडोंग झेंगयु व्हील ग्रुप कंपनी लिमिटेड	30+ देश	यूरोप, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया, साउथईस्ट एशिया, दि मिडल ईस्ट, अफ्रीका ⁴²	
15	Shandong Zhengshang Wheel Technology Co. Ltd.		यूरोप ओर अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, साउथईस्ट एशिया, दि मिडल ईस्ट, अफ्रीका ⁴³	

90. उक्त तालिका से यह देखा गया है कि चीन के उत्पादक आमतौर पर संबद्ध वस्तु के निर्यातों पर निर्भर हैं। यह भी नोट किया गया है कि चीन के उत्पादकों के प्रमुख निर्यात स्थान यूएस और ईयू में पाए जाते हैं। तथापि, वर्तमान में चीन के निर्यातकों के विरुद्ध लागू मौजूदा व्यापार उपचार उपायों के कारण ये दो बाजार चीन के निर्यातकों के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

ग. **ईयू और यूएस प्राधिकारियों द्वारा लागू व्यापार उपचार उपायों के कारण चीन के उत्पादकों ने भारी व्यापार मात्राएं गंवा दी हैं**

91. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूएस और यूरोप ने ट्रकों और बसों के लिए ट्यूबलेस स्टील व्हील्स के चीन के आयातों के विरुद्ध व्यापार उपचार उपाय लागू किए हैं। उपायों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

विषय	सूचना
देश – यूरोपीय संघ	
कार्यवाही का प्रकार और ब्यौरा	पाटनरोधी [एडी652]
उत्पाद:	स्टील रोड व्हील्स

³⁷ <http://www.henkowheel.com/about.html>

³⁸ <https://panjiva.com/Jiaying-Henko-Auto-SpA-Re-Parts/37843322>

³⁹ <https://m.made-in-china.com/company-forlongwheel/info.html>

⁴⁰ <https://www.made-in-china.com/showroom/e5af8408055ba421>

⁴¹ https://luxiang.en.alibaba.com/company_profile.html

⁴² <https://www.zhengyuwheelgroup.com/company-profile.html>

⁴³ https://www.zhengshangwheel.com/page/219961_en.html

एचएसएन/सीएन	8716909095, 8716909097, 8708709980, 8708701085, 8708709920, 8708701080			
अंतिम निर्धारण की तारीख	03 मार्च 2020 ⁴⁴			
समाप्ति की तारीख:	05 मार्च 2025			
पाटन और क्षति मार्जिन	कंपनी	पाटन मार्जिन(%)	क्षति मार्जिन(%)	निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क (%)
	जिंगमिन इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स कंपनी लिमिटेड	69.4	50.3	50.3
	तंगशान जिंगमिन व्हील्स कंपनी लिमिटेड	69.4	50.3	50.3
	जियानिंग जिंगमिन व्हील्स कंपनी लिमिटेड	69.4	50.3	50.3
	अन्य सहयोगी कंपनियां	69.4	50.3	50.3
	अन्य सभ कंपनियां	80.1	66.4	66.4
देश – संयुक्त राज्य				
कार्यवाही का प्रकार और ब्यौरा	प्रतिसंतुलनकारी जांच [सी-570-091]			
उत्पाद:	12 से 16.5 इंच व्यास वाले कतिपय स्टील व्हील्स			
अंतिम निर्धारण की तारीख:	01 जुलाई 2019			
सब्सिडी मार्जिन	कंपनी	सब्सिडी दर (%)		
	जिंगमिन इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स कंपनी लिमिटेड	386.45		
	झेजियांग जिंगु कंपनी लिमिटेड	38.3		
	अन्य सभी	387.38		
प्रशासन समीक्षा में अंतिम निर्धारण	05 नवंबर 2021			
प्रशासन समीक्षा में सब्सिडी मार्जिन	कंपनी	सब्सिडी दर (%)		
	झेजियांग जिंग कंपनी लिमिटेड और शांगतई याता इंडस्ट्री	388.31		
	जियामेन टोपु इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड	388.31		

92. यूएस और ईयू प्राधिकारियों द्वारा लागू इन व्यापार उपायों के प्रभाव को समझने के लिए प्राधिकारी ने इन प्राधिकारियों द्वारा अंतिम निर्धारण में सूचित आयात मात्राओं की जांच की है। ईयू पाटनरोधी जांच के लिए जांच की अवधि 2018 है जबकि यूएस प्रतिसंतुलनकारी जांच में पीओआई जनवरी से सितंबर, 2018 (9 महीने) की है जिसे बाद में 2018 के लिए वार्षिक आंकड़े ज्ञात करने के लिए वार्षिकीकृत किया गया है। इन दो जांच परिणामों में प्रदत्त सूचना में मापन इकाई के रूप में "संख्याएं" दी गई थी। संख्याओं में सूचित आयात की मात्राओं को 7.5 – 20" स्टील व्हील के औसत भारत अर्थात् 44 किग्रा. के भार हेतु परिवर्तित किया गया है।

चीन से निर्यात की मात्रा	यूओएम	2015	2016	2017	2018
--------------------------	-------	------	------	------	------

⁴⁴ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0353&from=EN>

यूरोपीय संघ	इकाई	10,07,000	12,57,000	19,63,000	20,93,000
संयुक्त राष्ट्र	इकाई	8,84,632	8,04,025	10,14,146	8,32,469
व्हील की कुल संख्या	इकाई	18,91,632	20,61,025	29,77,146	29,25,469
आयात की कुल मात्रा	एमटी	83,232	90,685	1,30,994	1,28,721
वर्तमान पीओआई में भारत में मांग	एमटी	***	***	***	***
पीओआई में भारत की खपत के संबंध में ईयू और यूएस को चीन के निर्यात	%	***	***	***	***
पीओआई में भारत की खपत के संबंध में ईयू और यूएस को चीन के निर्यात	% सूचीबद्ध	45 – 65	45 – 65	70 – 90	70 – 90

* 7.5-20" के स्टील व्हील को औसत भारत माना गया है- 44कि.ग्रा.

**स्रोत: यूएस और ईयू व्यापार उपचार उपाय

93. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ई.यू. और यू.एस. द्वारा लगाए गए व्यापार संबंधी सुधारात्मक उपायों के परिणामस्वरूप चीन के उत्पादकों को वर्ष 2018 में व्यापार मात्रा में हुई हानि 1,28,721एमटी थी, जो वर्तमान पीओआई अवधि के दौरान भारतीय मांग का लगभग *** प्रतिशत है। यद्यपि लागू किए गए व्यापार संबंधी मौजूदा सुधारात्मक उपाय की वजह से चीन के लिए ये दोनों वृहद निर्यात बाजार प्रतिबंधित थे, परन्तु उपर्युक्त जांच किए गए बिन्दुओं से यह देखा गया है कि विगत वर्षों में चीन की अधिशेष क्षमता में बढोतरी हुई है। निर्यातकों द्वारा इस अधिशेष को भारतीय बाजार अपवर्तित कर दिए जाने की संभावना है जिससे शुल्क बढ़ाए न जाने की स्थिति में सकारात्मक एवं पर्याप्त मांग होती है।

घ. मौजूदा पाटनरोधी शुल्क से चीन से पाटित आयातों में कमी हुई

94. मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की प्रभावकारिता को शुल्क लगाने के बाद चीन से हुए आयात की प्रवृत्ति से निकाला जा सकता है और प्राधिकारी ने आयात की मात्रा और मूल पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद चीन से पाटन और उत्तरवर्ती समीक्षा जांच की है। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया कि चीन के उत्पादकों का मौजूदा निर्यात व्यवहार लागू किए गए शुल्क की वजह से है, जिससे घरेलू उद्योग को अपनी-अपनी क्षमता का उपयोग करने एवं अपने उत्पादन और बिक्री को बढ़ाने में मदद मिली।
95. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि शुरूआती जांच में पाटनरोधी शुल्क लगाने के बावजूद आयातों में बढोतरी हुई थी और प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच में शुल्क में अभिवृद्धि होने के बाद ही चीन से आयातों में गिरावट को दर्शाना शुरू किया था। चीन से संबद्ध आयातों की मात्रा में कम शुल्क सहित बढोतरी हुई और शुल्क में वृद्धि सहित गिरावट आयी।

अवधि	शुल्क	वर्ष	आयात मात्रा
मूल जांच*	झेंगजिंग : आईएनआर 14,710/एमटी अन्य सभी : आईएनआर 16,970/ एमटी	2005	19,843*
प्रथम निर्णायक समीक्षा	झेंगजिंग: यूएस डॉलर 512.64/ एमटी अन्य सभी: यूएस डॉलर 613/ एमटी	2007-08	28,403 एमटी
		2008-09	25,727 एमटी
		2009-10	30,492 एमटी
		2010-11	53,000 एमटी
द्वितीय निर्णायक समीक्षा	सभी निर्यातक: यूएस डॉलर 613/ एमटी	2014-15	152 एमटी
		2015-16	314 एमटी
		2016-17	108 एमटी

	2017-18	170 एमटी
--	---------	----------

*अंतिम निष्कर्ष से प्राप्त हुए अनुसार आयात मात्रा

ड. चीन सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही बहुत-सी आर्थिक सहायता और निवेशों पर जारी निर्यात संबंधी आर्थिक सहायता जिससे अनुचित रूप से उत्पादन लागत कम हुई

96. घरेलू उद्योग ने यू. एस. प्राधिकारियों के अंतिम निर्धारण के बारे में लिखित में ध्यान दिलाया है जिसमें यू. एस. प्राधिकारियों ने यह निर्णय किया है कि चीन की सरकार ने कच्चे माल पर काफी निर्यात शुल्क रखा है जिससे घरेलू निर्माताओं के पास बहुत ही कम कीमत पर कच्चा माल की उपलब्धता बनी रहती है। यह भी दावा किया गया है कि उत्पादकों के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता उपलब्ध की जा रही है और यू. एस. प्राधिकारियों ने अपने निर्धारण में इस रिकार्ड किया है। चीन ने वर्ष 2019 से 2020⁴⁵ तक की अवधि के दौरान केंद्रीय एवं उप-केंद्रीय सरकार स्तर पर रखे गए प्रोग्रामों के संबंध में डब्ल्यूटीओ को प्रकट भी किया है।
97. इस संबंध में, यह नोट किया है कि वर्तमान जांच, पाटनरोधी जांच होने की वजह से चीन सरकार द्वारा उपलब्ध आर्थिक सहायता पाटन मार्जिन की गणना करने अथवा उपायों का निर्धारण करने के लिए प्रासंगिक नहीं है। प्राधिकारी ने चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना है और फिर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। लेकिन यह नोट किया है कि चीन सरकार उपलब्ध करायी जा रही भारी मात्रा में आर्थिक सहायता और निवेशों पर निर्यात शुल्क से अनुचित रूप से कम कीमत पर निर्यात करने के लिए चीन के उत्पादकों को अनुचित रूप से लाभ देती है। उत्पादकों के पास अधिशेष क्षमताएं हैं और उनके निर्यात बाजारों को सीमित किया जा रहा है, इस तथ्य से यह संभावना है कि भारी मात्रा में इन आर्थिक सहायताओं से चीन के उत्पादक कम कीमत पर घरेलू बाजार में प्रविष्ट कर सकेंगे और भारतीय बाजार पर कब्जा कर लेंगे।

च. पर्याप्त पाटन एवं अन्य देशों के लिए चीन के उत्पादकों के निर्यातों में क्षति मार्जिन

98. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यूरोपीय कमीशन और यू. एस. प्राधिकारियों ने चीन पर पाटनरोधी एवं आर्थिक सहायता रोधी शुल्क लगाया है। यह स्वयं इस बात को दर्शाता है कि चीन के उत्पादक अनुचित निर्यात कार्य में लगे हुए हैं।
99. इससे आगे, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमाण के आधार पर चीन से ब्राजील के लिए निर्यात कीमत पर भी विचार किया है। पाटन मार्जिन की गणना करने के लिए निर्यात कीमत की बाद में निर्धारित किए गए सामान्य मूल्य से तुलना की गई है तथा क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए पहुंच मूल्य की तुलना निर्धारित एनआईपी के साथ की गई है।

विवरण	पाटन मार्जिन (% सूचकांक)	क्षति मार्जिन (% सूचकांक)
ब्राजील के लिए निर्यात कीमत	***	***
प्रवृत्ति	80 - 100	45 - 65
विश्व के लिए चीन की एफओबी निर्यात कीमत	***	***
प्रवृत्ति	80 - 100	45 - 65
भारत में तुलनीय उत्पाद का आयात	***	***
प्रवृत्ति	40 - 60	15 - 35

100. यह देखा गया है कि चीन के उत्पादकों द्वारा पर्याप्त रूप से पाटित एवं हानिकर कीमतों पर निर्यात किए जा रहे हैं।

छ. संबद्ध वस्तुओं के लिए चीन का घरेलू बाजार अलाभकारी है जबकि उनके निर्यात बाजार बेहतर लाभ अर्जित करते हैं

⁴⁵ directdoc.aspx(wto.org.)

101. प्राधिकारी ने ऐसे कुछेक चीनी उत्पादकों की वार्षिक रिपोर्टों की जांच की जो मुख्यतः इस्पात व्हील विनिर्माण कर रहे हैं नामतः जेनिक्स ऑटो, झेजियांग जिंगु कंपनी और जिंगमिन झिटोंग (ग्रुप) कं., लि०। यह नोट किया है कि ये चीनी कंपनियां घाटा उठा रही हैं जैसा कि नीचे दी गई सारणी से देखा जा सकता है:-

कंपनी	जेनिक्स ऑटो		झेजियांग जिंगु कंपनी		जिंगमिन झिटोंग (ग्रुप) कं., लि०	
	आरएमबी '000	%	आरएमबी '000	%	आरएमबी '000	%
करेंसी						
राजस्व	17,69,478	%	27,28,027	%	14,18,484	%
सकल मार्जिन	(68,105)	-4%	2,92,232	11%	45,558	3.2%
पीबीटी	(4,82,247)	-27%	79,530	3%	(6,27,134)	-44.2%
ईबीआईटीडीए	(3,28,487)	-19%	(27,215)	-1%	(5,92,537)	-41.8%
कुल बिक्री की प्रतिशतता के रूप में निर्यात बिक्रियां	9%		21%		10%	

*स्रोत: - तीनों कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट

लंबी अवधि के बावजूद एडीडी बढ़ाने के विस्तार की आवश्यकता

102. आवेदकों ने लंबी अवधि के शुल्क के बावजूद पाटनरोधी शुल्क अवधि का विस्तार करने की आवश्यकता को उचित ठहराने के लिए निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:-

- क. विचाराधीन उत्पाद कच्चा माल अथवा अन्तर्वर्ती नहीं है। यह ऑटो मोबाइल में लगने के लिए तैयार एक परिष्कृत उपकरण है। पहले लगाए गए इस पाटनरोधी शुल्क का वाणिज्यिक वाहनों के विनिर्माण पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा था। वास्तव में, विचाराधीन उत्पाद का ट्रक अथवा बस का विनिर्माण करने के ही एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है, जहां पर यह उनकी लागत का लगभग *** प्रतिशत बनता है।
- ख. इस बात के काफी प्रमाण हैं कि घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतों के लिए पाटनरोधी शुल्क जोड़े नहीं थे। मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की अवधि का विस्तार करने से किसी ऑटो मोबाइल विनिर्माता के लिए इस उपकरण की कीमत में बढ़ोतरी नहीं होगी।
- ग. लंबी अवधि होने के बावजूद इस्पात उत्पादन में निहित दुर्लभ बुनियादी कच्चे माल/निवेशों पर निर्यात करों के संबंध में चीन की सरकार की नीतियों से चीन में इस्पात का सस्ती लागत पर उत्पादन करना जारी रहा है। संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए इस्पात प्रमुख कच्चा माल होता है और यह उत्पादन की लागत का लगभग 60-70 प्रतिशत होता है।
- घ. अमरीकी सरकार के निर्धारण के अनुसार चीन के उत्पादक अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से 44 प्रतिशत कम कीमत पर इस्पात प्राप्त कर रहे हैं। चाहे उस देश में उत्पादन की कम लागत करने वाले चीन में उत्पादन के अन्य कारकों की भी उपेक्षा कर दी जाए तो भी केवल इस कारक की वजह से ही लागत में लाभ हो रहा है जो भारत में उत्पाद पर सीमा शुल्क संरक्षण से काफी अधिक है। इस्पात की कीमत में यह 44 प्रतिशत कीमत अंतर ही 15 प्रतिशत सीमा शुल्क को नियंत्रित करने के लिए चीन के उत्पादकों के लिए काफी है और घरेलू उद्योग को विस्थापित करने के लिए भारतीय बाजार के कम कीमतें प्रदान करता है।
- ड. इस उत्पाद का उत्पादन करने में निहित प्रत्यक्ष लागतें कुल लागत का लगभग 80 प्रतिशत हैं। डब्ल्यूटीओ का दसस्य बनते समय डब्ल्यूटीओ सदस्यों को सूचित किए अनुसार वर्ष 2001 से पहले चीन द्वारा लागू की गई निर्यात कर व्यवस्था की वजह से केवल इस्पात के कारण ही चीन के विनिर्माताओं के लिए उपलब्ध 43 प्रतिशत कीमत लाभ से और उस समय से ही जारी रखे गए इस लाभ से चीन के उत्पादक भारत में उत्पादन की प्रत्यक्ष लागत से कम कीमत पर उत्पाद बेच सकेंगे। अतः उत्पाद के उत्पादन में

निहित प्रत्यक्ष विनिर्माण लागत को ही पुनः प्राप्त करना भारतीय उद्योग के लिए कठिन होगा और क्या परिणामी चीन की कीमतों के बराबर लाने के लिए भारतीय उद्योग को बाध्य किया जाना चाहिए।

- च. आवेदक चीन के विनिर्माता के स्वामित्व को पहचानते हैं और उन्होंने यह अनुरोध किया है कि इनमें से कुछ राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों (एसओई) के स्वामित्व और नियंत्रण में हैं। ये एसओई चीन में कीमत निर्धारण करने का अधिकार रखते हैं और ये चीनी सरकार की विभिन्न नीतियों से लाभ ले रहे हैं जिसमें 388 प्रतिशत तक लाभ शामिल है और यह यहां तक सीमित नहीं है तथा इनकी स्थापना ट्यूबलैस टायरों के लिए व्हील्स से संबंधित आर्थिक सहायता रोधी जांच करने के मामले में यू. एस. डिपार्टमेंट ऑफ कामर्स द्वारा की गई थी। विचाराधीन उत्पाद और ट्यूबलैस टायरों के लिए व्हील्स इस्पात की किस्मों, विनिर्माण सुविधाओं, उत्पादन प्रक्रिया, लागत एवं कीमतों के संदर्भ में बहुत ही तुलनीय है। यद्यपि कुछ उत्पादकों ने विनिर्माण सुविधाओं का उपयोग करने के लिए समर्पण किया है, कुछ ट्यूबटाइप व्हील्स (अर्थात् विचाराधीन उत्पाद) के उत्पादन में पहले ही लगे हुए थे और उन्होंने उन विनिर्माण सुविधाओं को ट्यूबलैस टायर के लिए व्हील्स का विनिर्माण करने के लिए भी अब बदल दिया है। अतएव ये विनिर्माण सुविधाएं विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए सहज ही उपलब्ध होती हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के संयंत्र का दौरा करने के दौरान यह दर्शाया गया था कि ट्यूब टाइप और ट्यूबलैस व्हील्स के बीच में उत्पादन की प्रक्रिया में अंतर केवल व्हील विनिर्माण करने में होता है और इसलिए किसी भी विनिर्माता के लिए एक किस्म के व्हील से दूसरे किस्म के व्हील का विनिर्माण करना बहुत संभव है। इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि प्रत्येक ओईएम उपभोक्ता की स्टील व्हील के लिए स्वयं उनकी विशिष्टियां होती हैं तथा इन ओईएम की अपेक्षाओं के अनुरूप विनिर्माताओं को व्हील का उत्पादन करना होता है। चूंकि उत्पादकों का उपभोक्ताओं द्वारा दी गई विशिष्टियों के अनुसार तथा उपभोक्ताओं की ओर से प्राप्त हुए सुनिश्चित आर्डर पर विनिर्माण करना होता है, इसलिए यह स्पष्ट है कि उत्पादक ट्यूबलैस से ट्यूब टाइप में और विलोमतः सहज ही विनिर्माण कर सकता है।
- छ. एक घरेलू उत्पादक ने यह अनुरोध किया है कि उनकी मूल कंपनी के पास चीन और भारत दोनों में विनिर्माण सुविधाएं हैं और इसलिए कंपनी के पास चीन की विनिर्माण सुविधाओं, लागत एवं मूल्य निर्धारण के बारे में बहुत अच्छी सूचना, जानकारी और अनुभव है। कंपनी ने यह अनुरोध किया कि चीन के विनिर्माता वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय कीमत से कम कीमत पर इस्पात प्राप्त करते हैं और इसलिए वे भारत में प्रत्यक्ष लागत से कम लागत पर इन पहियों का उत्पादन करने में समर्थ होते हैं।
- ज. घरेलू उद्योग ने यह दर्शाते हुए प्रमाण प्रस्तुत किए कि जिस कीमत पर इस्पात चीन में उपभोग के लिए उपलब्ध होता है, वह उस कीमत से भिन्न होता है जिस कीमत पर इस्पात चीन से बाहर निर्यात करने लिए चीन में उपलब्ध होता है। घरेलू उद्योग ने आगे यह दावा किया कि चीन की सरकार स्पष्ट तौर पर निर्यात कर व्यवस्था की ऐसी नीति रखती है, जिसमें चीन के उपभोक्ताओं के लिए ही तथा डाउनस्ट्रीम उत्पादकों का उत्पादन करने के लिए ही चीन में इस्पात का उत्पादन कम कीमत पर करने की अनुमति है। अतः चीन के निर्यातक अधिकांशतः अंतर्राष्ट्रीय कीमत से कम कीमत पर चीन से इस्पात का निर्यात कर रहे हों, फिर भी ये कीमतें उस कीमत से अभी भी अधिक हैं, जिस कीमत पर चीन के विनिर्माता चीन में इस्पात प्राप्त कर रहे होते हैं।

ज.4 क्षति की संभावना संबंधी निष्कर्ष

103. क्षति की संभावना से संबंधित मापदंडों की जांच यह दर्शाती है कि प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच में एक बार प्रभाव शुल्क लगाए गए तब चीन के उत्पादकों ने भारत के लिए अपने निर्यातों को कम कर देना शुरू कर दिया था। यह भी नोट किया है कि चीन के उत्पादकों के पास पर्याप्त क्षमताएं उपलब्ध हैं और उन्होंने विगत वर्षों के दौरान अपनी क्षमताओं में बढोतरी की है। चीन के निर्यातक अधिक निर्यातान्मुख होते हैं और वे अन्य देशों में पर्याप्त पाटन और क्षति करने जैसे कार्यों में शामिल हैं तथा यू.एस. और ई.यू. ने चीन पर पहले ही व्यापार संबंधी सुधारात्मक उपाय लगा रखे हैं और ये उसके बृहद बाजार थे। चीन अन्य देशों को पाटित एवं हानिकर कीमत पर वस्तुओं का निर्यात कर रहा है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन के उत्पादकों के पास उपलब्ध आर्थिक सहायता की वजह से वे लाभ प्राप्त कर रहे हैं जिससे वे कम कीमतों पर अपने उत्पादों की बिक्री कर रहे हैं। चीन के उत्पादक कम कीमत पर इस्पात आधारित उत्पादों की बिक्री करने में समर्थ है, यह तथ्य चीन के इस्पात उत्पादों पर की गई व्यापार संबंधी कई कार्रवाइयों से भी सुनिश्चित होता है। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया कि विभिन्न

इस्पात उत्पादों के बारे में लगभग 480 पाटनरोधी अथवा आर्थिक सहायता रोधी और लगभग 42 रक्षोपाय जांच है जिनमें चीन शामिल देशों में से एक देश है।

104. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया कि भारत इस्पात व्हील का सबसे बड़ा तीसरा उपभोक्ता है और इसलिए चीन के विनिर्माताओं के लिए अधिक बल देने वाला बाजार है। लागू किए गए सुधारात्मक शुल्क की वजह से ही चीन के विनिर्माता इस अवधि के दौरान अनुपस्थित रहे। इन परिस्थितियों में, यदि चीनी उत्पादक घरेलू उद्योग की कीमतों से 5% कम कीमत की पेशकश करते हैं तो इससे घरेलू उद्योग प्रत्यक्ष लागत से कम कीमत पर बिक्री करेगा, और फिर भी चीनी मूल की घरेलू संबद्ध वस्तुओं की तुलना में संबद्ध वस्तुएं अभी भी 30 से सस्ती होंगी। इसके अलावा, इस्पात की कीमत कम मानते हुए चीन के विनिर्माता भारतीय उद्योग की तुलना में उचित रूप से अधिक लाभ अर्जित करने में समर्थ होंगे। यह भारतीय उद्योग और चीनी उद्योग के बीच में किसी अन्य लागत अंतर को ध्यान में रखे बिना है। इसके साथ ही, घरेलू उद्योग द्वारा उचित रूप से इंगित किए अनुसार चीन में अन्य महत्वपूर्ण सरकारी नीतियां हैं, जिनसे चीन में उत्पादन की लागत कम हुई। इन परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि भारतीय कीमत की तुलना में चीन के उत्पादकों द्वारा 5 प्रतिशत की कीमत कमी न केवल पूर्णतः व्यवहार्य है, अपितु लगभग क्षणिक भी होगी।
105. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि चीन के उत्पादक मूल जांच के उपरांत लगाए गए 40-50 प्रतिशत के शुल्क को मिला सकेंगे। जब ये शुल्क लगाए गए थे, तब उस अवधि के दौरान प्रचलित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन को ध्यान में रखते हुए प्रथम निर्णायक समीक्षा में यह सुनिश्चित किया गया था कि पाटन मार्जिन 70%-80% से बढ़कर 80%-90% तक हो गया तथा क्षति मार्जिन 40-50% से बढ़कर 60%-70% तक हो गया। आयातों की मात्रा 19,843 एमटी से बढ़कर 35,333 एमटी हो गयी।
106. यह भी सुनिश्चित होता है कि चीन के उत्पादकों 15 प्रतिशत सीमा शुल्क को आसानी से मिला सकते हैं और वे भारतीय उद्योग की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं।
107. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता अपने में ही काफी कम है और इसलिए घरेलू उद्योग द्वारा कीमत संबंधी किसी प्रकार की आगे सौदेबाजी करने से पर्याप्त मात्रा में हानि उठाने के लिए घरेलू उद्योग बाध्य होगा। वास्तव में, यदि घरेलू उद्योग अपनी कीमतें 5 प्रतिशत तक कम करता है, तो घरेलू उद्योग कम व्यवहार्य लागत पर उत्पाद को बेचने के लिए बाध्य होगा। इन परिस्थितियों में घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें चीन की कीमतों के अनुरूप रखना काफी कठिन प्रतीत होता।
108. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस उत्पाद के विक्रय मूल्य का निर्धारण करना एक विशेष रसायन, पैट्रो-रसायन, इस्पात अथवा किसी अन्य वस्तु उत्पाद से बहुत ही कठिन है। प्रथमतः हरेक उपभोक्ता (ओईएम) के वस्तुओं के लिए स्वयं अपनी विशिष्टी होती है और इसलिए वस्तुओं का उपभोक्ताओं से प्राप्त हुए आर्डरों पर उत्पादन और बिक्री की जाती है। उत्पादकों के साथ जोरदार ढंग से कीमत समझौते करने के उपरांत उपभोक्ताओं द्वारा आर्डर किए जाते हैं। कीमतों से संबंधित इन समझौते से संभावित आर्डर की अधिक मात्रा होती है और इसलिए उत्पादकों की उत्पादन लागत पर बल दिया जाता है। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया कि उपभोक्ताओं को इस्पात की प्रचलित कीमत, व्हील उत्पादकों की विनिर्माण लागतों, उत्पादन संबंधी दक्षता, ऋजन आदि के बारे में पर्याप्त और सटीक जानकारी होती है। उपभोक्ता उत्पादन के इन कारकों के बारे में सटीक सूचना प्राप्त करने के लिए पेशेवर सेवाओं को नियोजित करते हैं जिससे उनके पास व्हील विनिर्माताओं की उत्पादन लागत के बारे में बहुत अच्छी सूचना हो सके। वस्तुतः उपभोक्ता अधिकांशतः व्हील उत्पादकों से प्रायः लागत संबंधी सूचना मांगते हैं तथा इसका उपभोक्ताओं द्वारा नियोजित व्यवसायिकों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। अतः यह नोट किया जाता है कि उत्पादन की लागत और कीमत निर्धारण के संबंध में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच में बहुत अधिक पारदर्शिता होती है। इन परिस्थितियों में किसी उत्पादक और उपभोक्ता के लिए अलग-अलग आर्डरों की अधिक मात्रा एक बृहद कारक होती है। आर्डर गंवाया न हो, यह सुनिश्चित उत्पादकों की स्पष्ट तौर पर कठोर दृष्टिकोण अपनाने की प्रवृत्ति होती है।
109. इस संबंध में, यह नोट किया है कि भारत की खपत की लगभग *** प्रतिशत खपत दो बृहत् ओईएम अर्थात् *** और *** द्वारा नियंत्रित होती है और वे सामूहिक रूप से लगभग *** व्हील प्रति वर्ष खरीद रहे हैं (जिसमें वर्तमान व्हील और अन्य किस्म के व्हील शामिल हैं)। वर्तमान क्षति अवधि के दौरान इन उपभोक्ताओं ने तीन उपभोक्ताओं वाले भारतीय उद्योग से *** व्हील्स की संचयी मात्रा में खरीद की। वजन के आधार पर *** और *** के लिए की गई बिक्रियां नीचे सारणी में दी हैं। इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कीमत संबंधी सौदेबाजी बहुत ही सख्त होती

है और उत्पाद के लागत निर्धारण पर अत्यधिक बल दिया जाता है। इन परिस्थितियों में, भारतीय उत्पाद और चीन के उत्पाद के बीच संभावित लागत अंतर कीमत संबंधी सौदेबाजी करने के लिए निश्चित रूप से एक बृहद कारक बनेगा। प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस दावे को स्वीकार करते हैं कि वर्तमान शुल्क को वापिस लेने से घरेलू उद्योग द्वारा अत्यधिक कीमत संशोधनों के लिए दबाव देते हुए चीन से पर्याप्त संभावित आयात होंगे।

कंपनी का नाम	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
***	एमटी	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
कुल	एमटी	***	***	***	***
मांग	एमटी	***	***	***	***
भारतीय मांग की प्रतिशतता	%	80%	73%	76%	77%

110. चीन के उत्पादक उत्पाद का पाटन करना शुरू कर देंगे, यह तथ्य ऐसी कीमत के निम्नलिखित प्रमाणों से पूरी तरह से सुनिश्चित होता है जिस कीमत पर चीन के विनिर्माता विभिन्न बाजारों में स्टील व्हील्स की बिक्री कर रहे हैं।

- चीन से ब्राजील के लिए निर्यात कीमत
- संबद्ध देश द्वारा वैश्विक बाजार में कारखानागत निर्यात कीमत
- पीओआई के लिए पीयूसी के साथ समानता रखने वाले उत्पादकों की आयात कीमत

111. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जब कभी ये या तो विचाराधीन उत्पाद से अथवा भारत के लिए निर्यात के लिए संबंधित नहीं होते हैं, और चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है एवं प्राधिकारी को पाटन और क्षति की संभावना सुनिश्चित करनी होती है, तो यह प्रमाण यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त समर्थक प्रमाण बनता है कि चीन के निर्माताओं के द्वारा उत्पाद के पाटन का सहारा लेने की संभावना है।

झ. जन हित

झ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

112. जनहित के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए थे।

झ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

113. जांच के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:-

- विचाराधीन उत्पाद अंतिम उत्पाद अर्थात ट्रक की लागत का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं बनता है तथा प्रयोक्ता उद्योग की लागत पर शुल्क लगाने का कोई पर्याप्त प्रभाव नहीं होता है।
- यह सुझाव देने के लिए कोई प्रमाण नहीं रहे हैं कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों का अंतिम उपभोक्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव हुआ।
- ओईएम स्टील व्हील्स कीमतों के संचालक होते हैं और उत्पादकों का वस्तुतः स्टील व्हील्स की कीमतों पर अनन्य रूप से नियंत्रण नहीं होता है। उत्पादकों का शुल्क विस्तार करने पर किसी प्रकार का अनुचित लाभ नहीं होता है।
- विचाराधीन उत्पाद वाणिज्यिक वाहनों में जाता है और ट्रक की ही कुल लागत का एक छोटा सा भाग बनता है। इसके अलावा, स्टील व्हील की जीवन अवधि उतनी ही मानी जाती है, जितनी ट्रक की होती है और यह 10 से 15 वर्षों के बीच की होती है। यही कारण है कि बाजार में बिक्री होने के बाद पुनः कम बिक्री होती है।
- *** की रिपोर्ट के अनुसार भारत और चीन के बीच स्टील की कीमतों में 300 डॉलर/एमटी का अंतर होता है जो लागत के अंतर को लगभग *** डॉलर/एमटी का हो जाता है। ऐसी कीमतों पर शुल्क न लगाने से आयातों का पुनरावृत्ति होने की संभावना होती है जो घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से कम होती है।

- च. मौजूदा शुल्क न बढ़ाए गए, तो पाटित आयातों के लिए भारतीय बाजार खुलेगा जो घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से काफी कम होंगे। इन पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को काफी क्षति होगी।
- छ. यदि उपभोक्ताओं आयातित सामग्री पर आश्रित रहना हो, तो उनको अधिक मात्रा में सामान-सूची रखनी होगी। जबकि वे घरेलू उद्योग से सामान प्राप्त करना जारी रखते हैं, तो वे सामान-सूची रखने के बोझ से बच सकते हैं।
- ज. घरेलू उद्योग अपनी प्रौद्योगिकी में निरंतर सुधार कर रहा है और विचाराधीन उत्पाद की दक्षता में सुधार कर रहा है। उत्पादन अधिकतम होने और स्क्रेप कम होने की वजह से यह उद्योग स्टील व्हील्स के वजन को कम कर सका, जिसके परिणामस्वरूप सड़क पर बेहतर कार्य कुशलता हुई। इसके अलावा, स्टील व्हील्स का विनिर्माण करने के लिए स्टील की कम खपत होने से आम आदमी को करोड़ों धन की बचत करने में भी मदद मिली है।
- झ. भारत का विनिर्माण पावर हाउस बनाने के लिए घरेलू विनिर्माण कार्यकलापों को प्रोत्साहन देना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य देश में रोजगार को बढ़ावा देना तथा जीडीपी को बढ़ाना है।
- ञ. चीन के उत्पादकों भारतीय बाजार के दीर्घकालिक विकास करने में कोई साझीदार और रूचि नहीं है। एक दूसरे बाजार द्वारा बेहतर कीमतें देने की स्थिति में संबद्ध देश के उत्पादक अपनी बिक्री के लक्ष्यों को बदलने के लिए बाध्य होते हैं।
- ट. इस मामले में पाटनरोधी शुल्क बढ़ाने का उद्देश्य संबद्ध देश में उत्पादकों द्वारा व्यापार संबंधी किसी विकृति को समाप्त करके और स्पष्ट प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय उद्योग को अवसर देते हुए एक लेवल प्लेइंग फील्ड स्थापित करना है।
- ठ. पाटनरोधी उपायों का विस्तार करने से संबद्ध देश/क्षेत्र से आयात किसी तरह से प्रतिबंधित नहीं होंगे अथवा उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
- ड. जिस अवधि के लिए शुल्क लागू किया गया है, उस अवधि का यह निर्धारित करने का कोई प्रासंगिक महत्व नहीं होता है कि क्या पाटनरोधी शुल्क को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। वास्तव में, केवल प्रासंगिक बात धारा 9क(5) के तहत विनिर्दिष्ट शर्तें होती हैं। प्राधिकारी ने विगत में शुल्कों को 10 वर्षों के बाद भी बढ़ाया है। जबकि यू. एस. और कनाडा ने 20 वर्षों के बाद शुल्क बढ़ाया है।

झ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

114. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए एक राजपत्र अधिसूचना जारी की थी। प्राधिकारी ने अपने संचालनों (कार्यों) पर पाटनरोधी शुल्कों के संभावित प्रभावों सहित वर्तमान जांच के बारे में प्रासंगिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की थी। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की विनिमयता संसाधनों बदलने के लिए उपभोक्ताओं की सामर्थ्य, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्कों के प्रभाव, वे कारक जिनसे पाटनरोधी शुल्क लगाने से उत्पन्न नई स्थिति को बढ़ावा देने अथवा समायोजन करने में विलम्ब की संभावना हो, उनके बारे में सूचना मांगी थी। विचाराधीन उत्पाद के किसी भी प्रयोक्ता अथवा आयातक ने प्रारंभिक जांच के बारे में प्रत्युत्तर नहीं दिया है अथवा प्रश्नावली के बारे में प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है। यह नोट किया है कि शुल्क लंबे समय के लिए लागू रहने और प्रयोक्ता बड़ी व्यवस्थित कंपनियां हैं, इनके बावजूद किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच के समय से कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है।
115. प्राधिकारी ने एक आर्थिक हित प्रश्नावली निर्धारित की थी जो इस जांच की समीक्षा करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजी गई थी। आर्थिक हित प्रश्नावली में मांगी गई सूचना केवल घरेलू उद्योग ने ही उपलब्ध करायी थी। आवेदकों ने अपनी आर्थिक हित प्रश्नावली में प्रासंगिक सूचना दी है।
116. यह नोट किया है कि पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य, सामान्य तौर पर पाटन के अनुचित व्यापार कार्यों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और स्वच्छ (निष्पक्ष) प्रतिस्पर्धा की स्थिति की पुनः स्थापित हो सके जो भारत के सामान्य हित में है। भारतीय बाजार को निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में पाटनरोधी उपायों को लगाने से कमी नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों को जारी रखने से संबद्ध देश से पाटित आयातों से बिना दबाव अपने विकास को जारी रखने में घरेलू उद्योग को मदद मिलेगी। घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा किया गया है कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक वस्तुओं की कीमत का निर्धारण नहीं करते हैं, अपितु

यह ओईएम है (जो उत्पादकों द्वारा लगभग संपूर्ण विक्रियों के लिए संघटित होता है) जो कीमत के बारे में आदेश देता है। लिखित सूचना से यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग का विक्रय मूल्य लागत की तुलना में कभी भी अधिक नहीं रहा है। उद्योग कम स्तर का लाभ अर्जित करता है। अतः शुल्कों का घरेलू बाजार में बेंचमार्क कीमतों के लिए उपयोग नहीं किया गया है।

117. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि भारतीय उद्योग की अच्छी आंतरिक प्रतिस्पर्धा है और भारतीय उद्योग अपनी प्रौद्योगिकी और दक्षता को बढ़ाने के प्रयास करता रहता है। एक घरेलू उत्पादक के तुर्की और ब्राजील में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने वाले संबद्ध पक्षकार हैं। उद्योग ने तुर्की और ब्राजील में विनिर्माण कंपनियों की प्रसंस्करण लागत तुलना उपलब्ध करायी है और भारतीय संयंत्र के साथ इसकी तुलना की है। यह देखा गया है कि भारतीय कंपनी के लिए प्रसंस्करण लागत कम है, जो यह दर्शाती है कि भारतीय कंपनी दक्ष है।
118. घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की प्राधिकारी ने भी जांच की है। यह देखा गया है कि शुल्क लगाने से विगत में उत्पाद की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई थी और न ही शुल्क विस्तार से भविष्य में उत्पाद की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई थी और न ही शुल्क विस्तार से भविष्य में उत्पाद की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद का उपयोग ट्रकों का विनिर्माण करने के लिए एक संघटक के रूप में उपयोग किया जाता है और यह वाणिज्यिक वाहन की लागत का पर्याप्त भाग नहीं बनता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद ट्रक की संपूर्ण जीवन अवधि तक लिए बनाए गए हैं और यह अवधि लगभग 10 से 15 वर्षों की होती है। ट्रक खरीदते समय ट्रक की कीमत की तुलना स्टील व्हील्स की लागत के साथ तब की गई जब 10 से 15 वर्षों की अवधि के नगण्य थी जैसाकि नीचे दी गई सारणी से देखा गया है।

विवरणी	यूओएम	राशि
एक व्हील का निवल वजन	कि.ग्रा.	***
व्हील्स की संख्या	संख्या	14*
कुल वजन	कि.ग्रा.	***
एडीडी राशि	यूएस डॉलर/एमटी	513
ट्रक पर कुल एडीडी	यूएस डॉलर	323
चीन का हिस्सा		***
विनमय दर		81
एक ट्रक के लिए कुल एडीडी घटना	आईएनआर	***
ट्रक की कीमत	आईएनआर	35,00,000
प्रभाव प्रतिशतता	%	0 – 1%

*3 एक्सल वाले ट्रकों में व्हील्स संख्या

119. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं के लिए संबद्ध वस्तुओं की अनुपलब्धता नहीं होगी। इसके अलावा, मांग और आपूर्ति में कोई अंतर नहीं होता है तथा घरेलू उद्योग के पास भारतीय उद्योग की वर्तमान और भावी मांग को पूरा करने के लिए अधिशेष क्षमता है, जो नीचे दी गई सारणी से देखा जा सकता है:-

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	जनवरी '22-दिसंबर '22
प्रतिस्थापित क्षमता	एमटी	***	***	***	***
मांग	एमटी	***	***	***	***
अधिशेष क्षमता	एमटी	***	***	***	***

120. प्रतिस्थापित घरेलू उत्पाद की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि घरेलू उद्योग को भी उचित कीमतों पर व्यावहारिक रहे। ऐसा न होने पर प्रयोक्ता पाटित आयातों पर अधिक निर्भर हो जाएंगे।
121. आवेदकों के इस दावे के संबंध में कि भारतीय उद्योग अधिक कुशल है, प्राधिकरण ने ब्राजील, तुर्की और भारत के बीच रूपांतरण लागत से संबंधित प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच की है। यह नोट किया जाता है कि भारतीय उद्योग की रूपांतरण लागत ब्राजील और तुर्की दोनों की तुलना में कम है। आवेदकों के इस दावे के संबंध में कि भारतीय उद्योग ने अपनी उत्पादन प्रक्रिया की दक्षता में सुधार किया है, प्राधिकरण ने भारतीय उद्योग द्वारा की गई प्रगति से संबंधित साक्ष्यों की जांच की। यह देखा गया है कि भारतीय उद्योग कच्चे माल की खपत और अपव्यय को कम करके 2.5 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक स्टील पहियों के वजन को कम करने में सक्षम था। चूंकि अकेले स्टील उत्पादन लागत का 60-70% हिस्सा है, स्टील की खपत में कमी के परिणामस्वरूप भारतीय उद्योग को बचत हुई है।
122. इस दावे के संबंध में कि भारतीय उद्योग संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में विश्वसनीय रहा है, प्राधिकरण ने सभी तीन कंपनियों की ग्राहक संतुष्टि/विश्वसनीयता रिपोर्ट की जांच की। रिपोर्टों से यह देखा गया है कि ग्राहक (ओईएम) भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पादों से संतुष्ट थे।
123. घरेलू उद्योग यह अनुरोध करता है कि शुल्क बढ़ाने की केवल प्रासंगिक आवश्यक शर्तें ही धारा 9क(5) में विनिर्दिष्ट की गई हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि शुल्क 10 वर्षों से अधिक समय के लिए विगत में बढ़ाया गया था और इसके अलावा यू.एस. और कनाडा जैसी अन्य न्याय व्यवस्थाओं ने 2 दशक से अधिक समय के लिए शुल्क बढ़ाए हैं। वर्तमान जांच में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों की वजह से घरेलू उद्योग को वर्तमान में क्षति नहीं हो रही है, तथापि, लिखित प्रमाण और पाटित आयातों की संभावना, चीन के उत्पादकों द्वारा विगत कार्य के आधार पर भारतीय उद्योग द्वारा किए गए सुधारों से उनकी उत्पादन प्रक्रिया अधिक दक्ष बनती है। इसके अलावा, चीन को सरकार ने सस्ता कच्चा माल प्राप्त करने का अनुचित लाभ अपने घरेलू उत्पादकों को देते हुए इस्पात सहित मूलभूत कच्चे माल पर निर्यात टैरिफ जारी रखे हैं। ऐसा कच्चा माल अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों से कम कीमत पर बेचा जाता है। संभावना के अन्य मापदंडों के साथ-साथ चीनी सरकार का यह कार्य यह दर्शाता है कि यदि वर्तमान शुल्क हटा दिए गए तो आयातों के शुरू होने की संभावना है।

ज. प्रकटन पश्चात टिप्पणिया

ज.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

124. निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन विवरण जारी किए जाने के बाद कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ज.2. घरेलू उद्योग के विचार

125. प्रकटन विवरण जारी किए जाने के बाद घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे :

- क. शुल्कों के अभाव में चीनी उत्पादकों की आयात कीमतों से मेल खाने के लिए घरेलू उद्योग को मजबूर करने से काफी वित्तीय हानियां होंगी, जिससे चीनी आयात भारतीय उद्योग का स्थान ले सकते हैं और भारत में संबद्ध सामानों की पूरी मांग को पूरा कर सकते हैं।
- ख. संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत का प्रमुख हिस्सा प्रत्यक्ष लागत है, जो लगभग 80 प्रतिशत है जबकि इस्पात अकेला उत्पादन लागत का लगभग 70 प्रतिशत है। 20 प्रतिशत उच्च शुद्धता वाले पिग आयरन पर चीन द्वारा बनाए जा रहे निर्यात प्रशुल्क और इस्पात के विनिर्माताओं के लिए प्रयुक्त अन्य महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री में फ़ैरोक्रोम के लिए 40 प्रतिशत चीनी उत्पादकों को काफी कीमत संबंधी लाभ देता है।
- ग. भारतीय उद्योग पहले ही कम लाभ मार्जिन पर अपने उत्पादों की बिक्री कर रहा है। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जहां शुल्क बंद कर दिए जाते हैं तो भारतीय उद्योग की 5 प्रतिशत तक की बिक्री कीमत की कमी प्रत्यक्ष लागतों से कम बिक्री कीमत हो जाएगी। फिर भी चीनी संबद्ध सामान 25-35 प्रतिशत तक सस्ते हो जाएंगे और भारतीय उद्योग की तुलना में अच्छा लाभ कमा रहे होंगे।

- घ. विद्यमान शुल्कों से प्रयोक्ता उद्योग अर्थात् ओईएम विनिर्माता और अंतिम ग्राहकों अर्थात् वे ग्राहक जो वाणिज्यिक वाहनों की खरीद करते हैं, पर कोई प्रभाव नहीं होगा अथवा नगण्य प्रभाव होगा।
- ङ. ओईएम का संबद्ध सामानों की खरीद कीमत में काफी सौदेबाजी शक्ति है जो ऑर्डर के आकार ओईएम द्वारा अपेक्षित उत्पाद के विनिर्देशों आदि पर निर्भर करती है। बिक्री कीमतें अत्यधिक पारदर्शी हैं और शुल्क बढ़ाए जाने के कारण भारतीय उद्योग के लिए कोई अनुचित लाभ नहीं है। ऑर्डर की मात्राएं काफी अधिक हैं और चूंकि भारतीय उद्योग ऐसे भारी आदेशों को खो नहीं सकता, अतः वे ओईएम द्वारा वांछित कीमतों पर बिक्री करते हैं। भारतीय उद्योग ने यह भी उल्लेख किया कि जांच की अवधि में ऑर्डर के आकार पर जोर देते हुए अकेले दो ओईएम द्वारा खरीदी गई मात्रा बेचे गए कुल सामानों की लगभग $\frac{3}{4}$ है।
- च. अमरीकी प्राधिकारी ने अपने प्रतिकारी शुल्क निश्चयात्मक जांच परिणामों में निर्धारित किया कि चीन पर्याप्त लाभ से कम पर इस्पात प्राप्त कर रहा था, और उसने अपना सब्सिडी मार्जिन 44 प्रतिशत पर परिकलित किया था। यह भारी कीमत लाभ संबद्ध सामानों पर 15 प्रतिशत के विद्यमान मूल सीमाशुल्क को आसानी से ले सकता है। इसके अतिरिक्त चीन ने घरेलू उद्योग को उपलब्ध इस्पात कीमतें चीन में इस्पात के लिए निर्यात कीमत से कम है। तथापि, निर्यात कीमतें इस्पात के लिए अंतर्राष्ट्रीय कीमत से भी कम हैं।
- छ. चीन के सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम (एसओई) संबद्ध सामानों की कीमतों पर नियंत्रण करते हैं और उन पर प्रभावी रहते हैं। चीन में घरेलू उद्योग की समान कंपनी और घरेलू उद्योग जो संबद्ध सामानों के विनिर्माता भी हैं, से प्राप्त सूचना के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से कम कीमतों पर इस्पात प्राप्त कर रहे हैं।
- ज. ट्यूब टाइप, व्हील्स और ट्यूबलैस टाइप व्हील्स में प्रयुक्त विचाराधीन उत्पाद समान कच्ची सामग्री, विनिर्माण प्रक्रिया, सुविधाओं, लागत और कीमत आदि को साझा करते हैं। चीन में कुछ उत्पादकों की समर्पित उत्पादन सुविधाएं हैं, जबकि अन्य ने ट्यूबलैस टायरों के लिए व्हील्स के उत्पादन हेतु अपनी ट्यूब टाइप व्हील्स सुविधा को ट्यूबलैस टाइप विनिर्माण सुविधा में परिवर्तित कर दिया है। इन दो उत्पादों के बीच समानता से विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त ट्यूबलैस टाइप की विनिर्माण सुविधाएं बन जाती हैं। एकमात्र अंतर व्हील के विनिर्माण में है। चूंकि संबद्ध सामानों का उत्पादन ग्राहकों से प्राप्त आदेशों और विनिर्देश के आधार पर किया जाता है, अतः विनिर्माण तैयार रूप से दो उत्पादों के बीच जा सकता है।
- झ. भारतीय उद्योग सामग्री को अनुकूल करने और अपशिष्ट में कमी लाने के माध्यम से विनिर्माण में अपनी दक्षता में सुधार लाने में सफल रहा है। तुर्की और ब्राजील में एक भारतीय कंपनी की भारतीय संयंत्र की कंपनी के संबद्ध पक्षकारों की प्रसंस्करण लागत की तुलना यह दर्शाती है कि प्रसंस्करण लागत ब्राजील और तुर्की की प्रसंस्करण लागत की तुलना में भारतीय कंपनी के लिए काफी बेहतर है।
- ञ. अपने ग्राहकों में भारतीय विनिर्माता की विश्वसनीयता रिपोर्टें भारतीय उद्योग की अपने ग्राहकों के साथ कमी रहित संबंध को बढ़ाती है। भारतीय उद्योग भारत में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है क्योंकि उसके पास पहले ही अधिशेष क्षमताएं हैं परंतु चीन से आयातों को लेना न तो ओईएम के लिए अनुकूल होगा और न ही भारतीय उद्योग और अंतिम ग्राहकों के लिए अनुकूल होगा।

अ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

126. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात् टिप्पणियों की जांच की है और नोट करते हैं कि टिप्पणियां पुनरावृत्ति की हैं जिनकी पहले ही उपयुक्त रूप से जांच कर दी गई है और प्रकटन विवरण के संगत पैराओं में उनको पर्याप्त रूप से हल किया गया है।

ट. निष्कर्ष तथा सिफारिशें

127. ऊपर रिकॉर्ड किए गए अनुसार प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों और उठाए गए तर्कों, दी गई सूचना, किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए और घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि
- क. विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. के मूल का अथवा वहां से निर्यातित "वाणिज्यिक वाहनों में ट्यूब टायर के अनुप्रयोग में प्रयुक्त 16" सामान्य व्यास से 20" सामान्य व्यास तक के आकार के फ्लैट बेस इस्पात व्हील" (संबद्ध सामान) है।
- ख. आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग हैं और आवेदन पत्र नियमावली के तहत अपेक्षाओं को पूरा करता है।
- ग. भारतीय उद्योग द्वारा आपूर्ति किय गया उत्पाद संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है।
- घ. पहली निर्णायक समीक्षा जांच में शुल्क बढ़ाए जाने के बाद चीन से आयातों में गिरावट आई और घरेलू उद्योग के निष्पादन में भी सुधार हुआ। घरेलू उद्योग को अन्य कारकों के कारण 2019-2020 और 2020-2021 के दौरान वित्तीय हानियां हुईं, उसके बाद सुधार आया और फिर इस्पात कीमतों में वृद्धि के कारण उनमें गिरावट आई।
- ङ. इस प्रकार, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता तथापि, व्यापार की प्रकृति के कारण काफी कम है, जोकि आवेदकों का अपने ग्राहकों, जो ओईएम हैं, के साथ है और इसीलिए चीन से कम कीमत वाले आयातों के आने की स्थिति में घरेलू उद्योग द्वारा और कीमत बातचीत से घरेलू उद्योग को काफी वित्तीय हानियों को सहने के लिए मजबूर होगा।
- च. चीनी उत्पादकों के पास काफी क्षमताएं उपलब्ध हैं और उन्होंने उनके द्वारा सृजित अधिशेष क्षमताओं को जोड़कर विगत वर्षों के दौरान अपनी क्षमताएं बढ़ाई हैं।
- छ. चीनी निर्यातक अत्यधिक निर्यातोंन्मुख है।
- ज. निर्यात कीमत के साक्ष्य से यह संकेत मिलता है कि चीन के निर्यातक तीसरे देशों को अत्यधिक पाटित और क्षतिपूर्ण कीमत पर माल का निर्यात कर रहे हैं।
- झ. अमरीका और यूरोपीय संघ ने पहले ही चीन, जिसमें उनके प्रमुख बाजार थे, पर व्यापार उपचारात्मक उपाय लगाए हैं। इस प्रकार, निर्यात बाजार प्रतिबंधित हो रहा है।
- ञ. भारतीय उद्योग कच्चे माल के उपयोग को कम करके पीयूसी के वजन को कम करके पिछले कुछ वर्षों में अपनी दक्षता में सुधार करने में सफल रहा है।
- ट. पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क बढ़ाये जाने से उन पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यह बताने के लिए प्रयोक्ताओं/आयातकों के लिए सभी प्रपत्र प्रदान किए जाने के बावजूद हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापनीय सूचना के साथ प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क का संभावित प्रतिकूल प्रभाव सिद्ध नहीं किया है तथा उत्तर नहीं दिया है। तथापि, घरेलू उद्योग ने यह सिद्ध करने के लिए सूचना/साक्ष्य दिया है कि विगत में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं था।
- ठ. भारतीय उद्योग को मौजूदा शुल्कों के विस्तार पर कोई अनुचित लाभ नहीं मिलता है क्योंकि ओईएम और भारतीय निर्माताओं के बीच मूल्य वार्ता काफी पारदर्शी है। ग्राहक विश्वसनीयता रिपोर्ट के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि ओईएम भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और आपूर्ति की गई संबद्ध वस्तुओं से संतुष्ट हैं।
- ड. भारतीय बाजार में अच्छी प्रतिस्पर्धा है और शुल्क जारी रखने से प्रयोक्ता उद्योग किसी अपेक्षा से वंचित नहीं होगा।

- ढ. कोई मांग आपूर्ति अंतराल नहीं है और घरेलू उद्योग के पास भारतीय उद्योग की वर्तमान और भावी मांग को पूरा करने के लिए अधिशेष क्षमता है।
128. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षमारों को अधिसूचित की गई थी तथा पाटन और क्षति के जारी रहने/बार-बार होने की संभावना के पहलू के संबंध में सूचना प्रदान करने के लिए घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर दिया गया था।
129. यह निष्कर्ष निकालने पर कि यदि विद्यमान पाटनरोधी शुल्क जारी नहीं रखे जाते हैं तो पाटन और क्षति के जारी रहने/बार-बार होने की संभावना है, प्राधिकारी का यह मत है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर शुल्क जारी रखे जाने की आवश्यकता है।
130. उपर्युक्त परिस्थितियों में प्राधिकारी चीन से संबद्ध सामानों के आयातों पर शुल्कों की विद्यमान राशि जारी रखने की सिफारिश करना उपयुक्त मानते हैं, जिससे संबद्ध देश से क्षति की संभावना का हल होगा और वह कम होगी। इस प्रकार, प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच (5) वर्षों की अगली अवधि के लिए निम्नलिखित शुल्क तालिका के कॉलम 8 में दर्शाए गए अनुसार, विद्यमान निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखे जाने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	उप शीर्ष ***	वस्तुओं का विवरण	उदगम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	माप की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	8708. 70	16" – 20" सामान्य व्यास के फ्लैट वेस स्टील व्हील	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	कोई	कोई	613.00	मी.ट.	अम. डॉ.
2	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.से इतर अन्य कोई देश	कोई	कोई	613.00	मी.ट.	अम. डॉ.
3	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.से इतर अन्य कोई देश	चीन जन.गण.	कोई	कोई	613.00	मी.ट.	अम. डॉ.

***** टिप्पणी – सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अनुसार किया जाएगा।

131. इस सूचना के प्रयोजन के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962का 52) के तहत सीमाशुल्क द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार निर्धारणीय मूल्य होगा और उसमें उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 8 ख, 9 क के तहत शुल्कों को छोड़कर सीमाशुल्क के सभी शुल्क शामिल हैं।

ग. आगे की प्रक्रिया

132. इन अंतिम निष्कर्षों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण/समीक्षा के खिलाफ अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील न्यायाधिकरण के समक्ष अपील की जा सकती है।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 12th June, 2023

[Case no. AD (SSR)-01/2023]

Subject : Sunset review investigation of anti-dumping duty imposed on import of “Flat Base Steel Wheels” originating in or exported from China PR.

F. No. 7/02/2023-DGTR.—A. BACKGROUND OF THE CASE:—

1. **F. No. 7/1/2018-DGAD** – Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) recommended imposition of anti-dumping duty in the previous investigations on imports of “flat base steel wheels of size 16” nominal diameter to 20” nominal diameter used in tubed tyre application in commercial vehicles” (hereinafter referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country).
2. Whereas, the original investigation concerning imports of the subject goods from the subject country was initiated by the Authority vide Notification No. 14/8/2005-DGAD dated 31st May, 2006. The preliminary finding was issued by the Authority vide Notification No. 14/8/2005-DGAD dated 12th January, 2007 and the provisional antidumping duty was imposed by the Department of Revenue vide Customs Notification No. 51/2007 dated 29th March, 2007. The final findings recommending imposition of definitive duty was issued by the Authority vide notification No.14/8/2005-DGAD dated 28th November, 2007. On the basis of the recommendations made by the Authority in the final findings, definitive antidumping duty was imposed by the Ministry of Finance vide Notification No. 124/2007-Customs dated 31st December, 2007 on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.
3. Whereas, some of the interested parties had filed appeals before CESTAT against the final findings of the Authority. The Hon’ble CESTAT vide its order dated 11th August, 2011 remanded the matter back to the Designated Authority for affording post-decisional hearing to the appellants and for making such modifications to the final findings as may be necessary as a result of such post decisional hearing. Whereas, in compliance with the orders of the Hon’ble CESTAT and without prejudice to the rights of the Designated Authority to challenge the orders on the matters of law and principle, the Authority held a post decisional oral hearing for the known interested parties on 13th December 2011 and issued the post decisional findings vide Notification No.14/8/2005-DGAD dated 10th February, 2012, re-affirming its final findings made vide earlier Notification No.14/8/2005-DGAD dated 28th November 2007 and the recommendations made therein.
4. Whereas, the Authority initiated 1st sunset review investigation concerning imports of the “Flat Base Steel Wheels” from China PR vide Notification No. 15/22/2011-DGAD dated 24th February, 2012. Definitive anti-dumping duties were recommended vide Notification No. 15/22/2011-DGAD dated 20th February, 2013, wherein the duties recommended in the original investigation were enhanced and the unit of duties were modified from INR to USD. These duties were imposed by the Central Government vide Customs Notification No. 3/2013-CUS, dated 26th March, 2013.
5. Whereas, the Authority initiated the 2nd Sunset review investigation concerning imports of “Flat Base Steel Wheels” from China PR vide Notification No. 07/01/2018-DGAD, dated 8th February 2018. The Authority recommended continued imposition of duties vide its Notification No. 07/01/2018-DGAD, dated 09th August 2018. Duties were imposed by the Central Government vide Customs Notification No. 46/2018-Customs, dated 13th September 2018. The said duties were levied for a period of 5 years and are set to expire on 12th September 2023.
6. And whereas, a duly substantiated application has been filed by Wheels India Limited (Wheels India) and Steel Strips Wheels Limited (Steel Strips), (hereinafter referred to as applicants/petitioners), in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the above goods, originating in or exported from China PR and consequent injury to the domestic industry and requesting for initiating sunset review investigation for continuation of antidumping duties in force on imports of flat base steel wheels originating in or exported from China PR.
7. The Authority, on the basis of *prima facie* evidence of likelihood of dumping and injury filed by the applicants, issued a public notice vide Notification No. 7/02/2023-DGTR dated 24th March 2023, published in the Gazette of

India, Extraordinary, initiating the subject investigation¹ in accordance with Section 9A (5) of the Act read with Rule 23 of the Rules to review the need for continued imposition of the anti-dumping duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

8. The scope of the present sunset review covers all aspects of the final finding No. 07/01/2018-DGAD, dated 09th August 2018, and Customs Notification No. 46/2018-Customs, dated 13th September 2018.

B. PROCEDURE

9. The procedure described below has been followed with regards to this investigation.
- a. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the AD Rules.
 - b. The Authority issued a public notice dated 24th March 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating sunset review investigation of anti-dumping duty concerning imports of the subject goods from the subject country.
 - c. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassy of the subject country in India, the known producers and exporters from the subject country, the known importers/users, and the domestic industry as per the available information. The interested parties were advised to provide relevant information and to make their submissions known in writing within the prescribed time limit.
 - d. The Authority also provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Government of the subject country, through its Embassy in India, in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules.
 - e. The Authority sent exporter's questionnaires to the following known producers/ exporters in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules: -
 - i. China Zenix Auto International Limited
 - ii. Fujian Zhengxing Wheel Co. Ltd.
 - iii. Hangzhou Forlong Impex Co., Ltd
 - iv. Jiaxing Henko Auto Spare Parts Co., Ltd.
 - v. Jining Junda Machinery Manufacturing Co. Ltd.
 - vi. Ningbo Luxiang Autoparts Manufacturing Co., Ltd
 - vii. Shandong Jining Wheel Factory
 - viii. Shandong Zhengshang Wheel Technology Co. Ltd.
 - ix. Shandong Zhengyu Wheel Group Co. Ltd.
 - x. Shangdong Sheng Tai, Wheel Co. Ltd
 - xi. Shangdong Xingmin Wheel Co. Ltd.
 - xii. Shanghai Yata Industry Company Limited
 - xiii. Shengtai Group Shandong Detong Wheels Co.
 - xiv. Xiamen Sunrise Wheel
 - xv. Xiamen Topu Imports & Exports Co., Ltd
 - xvi. Xingmin Group
 - xvii. Yongkang Yuefei Wheel Co., Ltd
 - xviii. Zhejiang Jingu Company Limited
 - xix. Zhengxing Wheel Group Co., Ltd
 - xx. Zhenjiang R & D Auto Parts Co., Ltd

¹ The investigation team consisted of Mr. Rajbir Sharma, ADG(FT), Mr. G. S. Sahu, Advisor (Cost), Mr. Rajiv Kumar Soni, JD (FT), Mr. Manoj Kumar, DD (Cost)

- f. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaires issued by the Authority within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire was also sent to the producers/exporters along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.
- g. None of the producers/exporters from the subject country have responded or filed exporter questionnaire responses in the present investigation.
- h. The Authority sent questionnaires to the following known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
- i. Ashok Leyland Ltd.
 - ii. Asia Moto Works Ltd.
 - iii. Eicher Motor Ltd.
 - iv. King Kaveri Trading Company
 - v. Mahindra & Mahindra Ltd.
 - vi. Man, Force Truck (I) Ltd.
 - vii. Swaraj Mazda Ltd (Currently known as SML ISUZU)
 - viii. Tata Motors Ltd.
 - ix. VE Commercial Vehicles Ltd (Volvo Eicher Joint Venture Co.)
 - x. Volvo Trucks India (Volvo-Eicher Joint Venture Co.)
 - xi. York Transport Equipment (AISA) Pte Ltd.
 - xii. York Transport Equipment, Jharkhand
- i. None of the importers/users of the subject goods in India have responded or filed importer questionnaire response in the present investigation.
- j. The Authority made available the non-confidential version of the evidence presented by various interested parties for inspection by the other interested parties. However, no other interested party has participated in the present investigation.
- k. Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) was requested to provide transaction-wise details of the imports of the subject goods for the injury investigation period and the period of investigation. The same has been received by the Authority and has been considered in this notification.
- l. Non-injurious price (hereinafter referred to as 'NIP') based on the cost of production and reasonable profits to sell the subject goods in India, based on the information furnished by the domestic industry and in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III of the AD Rules. Such NIP has been considered to ascertain whether an anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- m. The information/data furnished by the domestic industry has been verified to the extent deemed necessary and relied upon for the purpose of this final findings. Information was sought from the domestic industry and other interested parties to the extent deemed necessary. The Authority also conducted desk verification and physical verification at the premises of the domestic industry to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation.
- n. The period of investigation for the purpose of the present review is 1st January 2022 to 31st December 2022 (12 months) (hereinafter referred to as the 'period of investigation' or 'POI'). The injury examination period has been considered as the period from 2019-20, 2020-21, 2021-22, and the period of investigation.
- o. The Authority held an oral hearing on 18th May 2023 to provide an opportunity to all the interested parties to present information orally in accordance with Rule 6(6) of the AD Rules. Only the domestic industry presented their views in the oral hearing and was requested to file written submissions of the views expressed orally, latest by 22nd May 2023 which was extended to 24th May 2023 by the Authority.
- p. A disclosure statement containing essential facts in the investigation which have formed the basis of the final findings was issued to the interested parties on 05th June 2023 and the interested parties were given time up to 09th June 2023 to comment on the same. The comments on the disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant in the final findings.

- q. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regards to the sufficiency of such confidential claims. On being satisfied, the Authority accepted the confidentiality claims, wherever warranted after due examination and such information has been considered confidential and not disclosed.
- r. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded its observation on the basis of the facts available.
- s. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by domestic industry to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation.
- t. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 USD = **Rs. 79.26**.
- u. “***” in this final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION (“PUC”) AND LIKE ARTICLE

10. The product under consideration is “flat base steel wheels” also known as ‘steel wheels’. It is used in tubed tyre applications in commercial vehicles and has a nominal diameter of 16” to 20”.

C.1 Submissions made by the other interested parties

11. None of the producers/exporters/importers/other interested parties has made any submissions in this regard.

C.2. Submissions made by the domestic industry

12. The domestic industry has made the following submission with regard to the scope of the product under consideration and like article:
- a. Since the present investigation pertains to sunset review for the extension of anti-dumping duties, the product under consideration remains the same as it was defined by the Authority in the original investigation.
 - b. No significant developments have taken place over the period.
 - c. The product manufactured by the domestic industry continues to remain like article to the product imported from the subject country.
 - d. The subject goods is imported under Chapter 87, under sub heading 8708 7000 of the Customs Tariff Act, 1975.
 - e. Steel wheels are an assembly of rim and disc with a demountable ring used as a component with tyres to enable vehicle movement in commercial vehicles which comprise of buses, lorries including trucks, trailers, tempos, etc.

C.3 Examination by the Authority

13. The product under consideration defined in the original investigation is reproduced hereunder -

“11. The product under consideration is “flat base steel wheels of size 16” nominal diameter to 20” nominal diameter used in tubed tyre application in commercial vehicles” (the subject goods), originating in or exported from China PR.

12. Flat base steel wheels are assembly of rim and disc with a demountable ring. Rims and discs are produced in separate lines and welded together to form a wheel, which is mounted on the axles of vehicles and fitted with tyres to enable vehicle movement. Commercial vehicles comprise of buses, lorries including trucks, trailers, tempos, etc. Wheels are classified under Chapter 87 of the Customs Tariff Act under the category of “vehicles other than railway or tramway rolling stock, and parts and accessories thereof” under the sub-heading 8708.70 of the Customs Tariff Act and ITC HS classification. The customs classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.”

14. The present investigation is a sunset review investigation. There is no submission made by any interested party requesting review of the scope of the product under consideration. The scope of the product under consideration remains the same as defined in the original investigation.
15. The Authority noted that the subject goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods from the subject country in terms of chemical characteristics, product specifications, technical specifications, manufacturing process and technology, functions and uses, pricing, distribution and marketing,

and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially interchangeable. Accordingly, the Authority concludes that the subject goods produced by the domestic industry are 'like article' to the subject goods being imported from the subject country in terms of Rule 2(d) of the Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1 Submissions made by the other interested parties

16. The other interested parties have not made any submissions with respect to the scope of the domestic industry or its standing.

D.2 Submissions made by the domestic industry

17. The domestic industry has made the following submissions with regards to the scope of the domestic industry and its standing:

- a. The application has been filed by Wheels India Limited and Steel Strips Wheels Limited.
- b. Kalyani Maxion Wheels Private Limited who is the only other producer of the subject goods in India other than the applicants also supported the application filed by the applicants.
- c. Maxion had filed a letter before the Authority explaining the technical challenges it faced during the application stage pursuant to a virus attack due to which they were unable to submit their data. Subsequently, Maxion shared all the relevant costing and injury information with the Authority and requested for consideration of their data for the present investigation. Maxion has since shared all relevant information and data as per the requests from the Authority.
- d. The applicant companies have neither imported the subject goods nor are they related to any exporter from the subject country or any importer in India.
- e. The applicant companies have satisfied all the requirements laid down in Rule 5(3) and Rule 2(b) of the Rules.

D.3 Examination by the Authority

18. The present application has been filed by Wheels India Limited (Wheels India) and Steel Strips Wheels Limited (Steel Strips). Apart from the applicants, there is only one other producer in the country, namely, Kalyani Maxion Wheels Private Limited (Maxion) who supported the application at the stage of initiation and has subsequently filed all relevant costing and injury information after the initiation of sunset review investigation.
19. The production of the applicants i.e., Wheels India Limited and Steel Strips Wheels Limited constitutes ***% of the total domestic production in India. Since, the present review is an expiry review of the anti-dumping duty measures in force, and there are no imports from the subject country, the Authority is required to determine whether cessation of existing anti-dumping duty is likely to lead to injury to the domestic industry. The Authority has not considered Kalyani Maxion Wheels Private Limited as part of the domestic industry. However, information provided by Maxion has been, nevertheless, separately examined in order to ascertain whether their performance shows materially different position as compared to the applicant domestic industry.
20. The applicants are neither related to any exporter or producer of the subject goods in the subject country nor to any importer of the subject goods in India either directly or indirectly within the meaning of Rule 2(b) of the Rules.
21. In view of the above, the Authority, notes that the applicants constitute the 'domestic industry' as defined under Rule 2(b) of the Rules. Even though the standing requirements are not applicable to review investigations, the Authority, concludes that the application satisfies the requirements of Rule 5(3) of the Rules.

E. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE, AND DUMPING MARGIN

E.1 Submissions made by the other interested parties

22. The other interested parties have not made any submissions with respect to the normal value, export price and dumping margin.

E.2 Submissions made by the domestic industry

23. The following submissions have been made by the domestic industry with regards to normal value, export price, and dumping margin, during the course of the investigation:

- a. China PR should be treated as a non-market economy in accordance with Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and the normal value should be determined in terms of Annexure I, Rule 7 of the Rules. The Authority has considered China as a non-market economy in all recent investigations.

- b. On 11th December 2016, only the provisions of Article 15(a)(ii) of China's Accession Protocol expired but that of Article 15(a)(i) continue to remain in force, which requires the producers/exporters from China PR to establish that they are operating under the market economy conditions.
- c. China while joining the WTO in 2001, committed itself to not impose duties or taxes on exports, except for limited duties on some products mentioned in Annex 6 to China's WTO Accession protocol. Even after 2 decades, China is yet to comply with the Accession protocol to become a market economy.
- d. In 2021, China increased export tariffs on high-purity pig iron, ferrochrome etc. to 20% to 40% respectively while maintaining the export duties since 2001. Major economies like US and EU were unsuccessful in the WTO for withdrawing the export tariffs imposed by China, while India never made any efforts on this matter. The following basic raw materials used to produce PUC are subjected to export duties by China due to which steel prices in China are much lower than the fair market value:
 - i. Non-alloy pig iron containing by weight >0.5% of phosphorus in pigs, blocks or other primary forms
 - ii. Alloy pig iron and spiegeleisen, in pigs, blocks or other primary forms
 - iii. Ferro-manganese
 - iv. Ferro-silicon
 - v. Ferro-silico-manganese
 - vi. Ferro-chromium
 - vii. Waste & scrap, of - cast iron, stainless steel, alloy steel, tinned iron or steel
 - viii. Ferrous waste & scrap of iron or steel
 - ix. Remelting scrap ingots of iron or steel
- e. China's export restraints on key raw materials provides significant competitive advantages to the Chinese manufacturers. Further, the prevailing steel prices in China compared to India based on leading trade journal² for December 2022 showed an average price difference of \$300/MT between price in China and price in international market.
- f. Several WTO members including India have not granted market economy treatment to China PR. Despite the deliberations on this account in 2015 and 2016, the DGTR has not conferred China PR with market economy status. This practice is now well established through various investigations over the years.
- g. The DGTR's practice of not considering China as a market economy was never challenged by the Chinese government before an Indian court. In fact, China PR had approached the WTO Settlement Body on the non-market economy treatment against other countries, but not against India. However, China withdrew its request eventually.
- h. None of the producers/exporters from China PR have participated in this review investigation. It is, therefore, requested that the Authority kindly apply adverse facts with respect to dumping margin and likelihood determination.
- i. The constructed normal value should be determined based on the cost of production in India, duly adjusted to include selling, general and administrative costs of the domestic industry by adding reasonable profits.
- j. There are no known imports of the subject goods during the entire injury period and the product is not currently imported from the subject country. However, there is sufficient evidence that dumping is likely to recur in the event of cessation of duty.
- k. Due to absence of imports during the injury period, export price was determined by the domestic industry based on a) export price of the subject goods from China to Brazil, b) ex-factory export price for the subject goods in China to global markets, and c) imports of comparable product to the subject goods from China to India.
- l. Dumping margin for current exports could not be determined due to the absence of imports during the POI. However, the comparison of normal value and export price calculated based on the methodology proposed above by the domestic industry, the dumping margin from China is likely to be not only above *de minimis*, but also significant and in the event of cessation of duties, the Chinese producers exporting to India.

E.3. Examination by the Authority

Normal Value

24. According to Section 9A (1)(c) of the Act, 'normal value' in relation to an article means:

² Annexure 5.1 – Evidence of low steel price in China compared to India, submitted along with application filed by DI

- (i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- (ii) *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*

comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

25. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

- "a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:*
- i. If the producers under investigation can clearly show that market conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*
- ii. The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*
- b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*
- c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*
- d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."*

26. It is noted that while the provisions contained in Article 15(a)(ii) have expired on 11.12.2016. However, the provisions under Article 2.2.1.1 of the WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession protocol require the criterion stipulated in para 8 of Annexure I of India's AD Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire for claiming the market economy status.
27. The applicants have pointed out that China PR has been maintaining export tariffs on basic raw materials required for making steel for decades and is yet to comply with the provisions of China's WTO Accession

protocol. Chinese government has also been maintaining export tariffs on key raw materials used for the manufacture of the PUC and increased the export tariffs in 2021 for items like high-purity pig iron, ferrochrome, among others to 20% and 40% respectively.³

28. The Authority notes from the submission of the domestic industry that the price of steel in China, which is a major raw material to produce the PUC is lower than fair market prices and domestic producers in China are having significant advantages due to the availability of cheap raw materials. The high export tariffs have made it inaccessible for the third countries including India to procure the raw material from China.
29. None of the exporter/ producers in China or consumers in India participated in the investigation. Thus, in view of the above position and in the absence of rebuttal of non-market economy presumption by any Chinese exporting company, the Authority, proposes to consider it appropriate to treat China PR as a non-market economy country in the present investigation and proposes to proceed with para 7 of Annexure-I to the Rules for determination of normal value in case of China PR.
30. Kalyani Maxion Wheels Private Limited has its related parties producing subject goods in Turkey and Brazil. The applicants have made available price prevailing in market economy third countries, i.e., Brazil and Turkey in the form of an email communication from the company in these countries. The Authority notes that the evidence provided by domestic industry at present is skeletal evidence of prices in these countries and the evidence did not pertain to the entirety of POI and it was found not to be present for the sales made during the entirety of the investigation period. The Authority requires information based on sales made for the entire investigation period, therefore normal value could not be constructed based on the prices prevailing in market economy third country. Further, the applicants could not submit the relevant information regarding the cost of production in third countries, therefore the Authority could not construct the normal value based on the cost of production in third country. Further, since, the product under consideration does not have a dedicated code, the export price from such a third country to other countries including India could not be determined.
31. Therefore, the Authority has determined normal value for the subject imports in China as per the “price actually paid or payable in India” as stipulated in para 7 of Annexure – I to the AD Rules, 1995. It has been computed based on the cost of production of the domestic industry, with reasonable addition for selling, general and administrative expenses, and profits.

Export price

32. None of the exporters from China have provided any information giving details of export price. The DGCI&S data shows no imports of the product under consideration from China PR. The Authority therefore concludes that there are no current imports into India and therefore has not determined export price on the basis of actual imports into India.

Dumping Margin

33. The Authority notes that there are no known imports of the product concerned from the subject country during the POI. Therefore, actual dumping margin in respect of POI exports has not been determined. The Authority holds that there was no current dumping of the product under consideration in India in view of absence of current imports into India.

F. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OF INJURY – EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

F.1 Submissions made by the other interested parties

34. No submissions have been made by other interested parties with regard to injury and causal link.

F.2 Submissions made by the domestic industry

35. The following submissions were made by the domestic industry with regard to injury and causal link:
 - a. The demand or apparent consumption of the product concerned in India had declined from the base year to 2020 – 21 and increased thereafter till the POI. The demand decline in the base year and 2020 – 21 was due to the following reasons:
 - i. The axle load carrying capacity of the trucks was increased by the government by about 20% leading to a significant increase in the weight that can be hauled by a truck in one go. Consequently, the

³ <https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3143021/china-raises-steel-export-tariffs-again-bid-boost-carbon>

- number of trucks on the road declined, affecting the demand for new trucks, as the product has demand only in new trucks.⁴
- ii. The fuel emission norms were updated by the government to Bharat Stage IV in 2017 and subsequently shifted directly to Bharat Stage VI to keep up with the global standard for emission norms. Adhering to fuel emission norms requires significant re-designing of some critical components of the truck which demand both time and investment and the resultant vehicle were considerably costlier too. This led to a decline in demand of the PUC.⁵
 - iii. The increased use of rail transportation as opposed to road transport because of economics has further resulted in decline in demand for trucks & buses.
 - iv. The global repercussions of Covid-19 pandemic also affected the demand of commercial vehicles in 2020-21.
- b. Imports from China increased after the first imposition of anti-dumping, as the Chinese producers absorbed the anti-dumping. This resulted in increased dumping margin and injury margin, and consequently the anti-dumping was increased at the time of sunset review. With the increase in anti-dumping following first sunset review, Chinese imports declined. Presently there are no imports from China during the injury period. Absence of imports from China is due to the existing anti-dumping duties.
 - c. There is no price undercutting and price suppression/depression due to the absence of imports from China.
 - d. Analysis of the following clearly indicate that Chinese producers are exporting at dumped and injurious prices in third countries and are likely to export to India at dumped and injurious prices in the event of cessation of anti-dumping duties: -
 - i. Export price to Brazil from China⁶
 - ii. Ex-factory export price for subject goods in China to global markets⁷
 - iii. Imports of comparable product to the subject goods from China to India⁸
 - e. Capacity with the domestic industry remained constant. Production, sales, and capacity utilization of the domestic industry declined from the base year to 2020 – 21 and increased thereafter. Capacity utilization is not at optimum levels and is currently even operating below the level of utilization of the year 2018 due to the comparatively lower demand to the extent of capacities.
 - f. The imports from China declined after the enhancement of duties in the 1st review investigation and subject imports are currently nil. Market share of China has hence declined after previous modification to the duties. Consequently, the domestic industry was able to increase its market share and their position improved with the improvement in demand for the subject goods.
 - g. Profits, Cash profits, and ROI of the domestic industry were negative during the base year and increased steadily thereafter till 2021-22 and declined in the POI pursuant to the fluctuations in the cost of production due to increase in steel prices during the POI.
 - h. The domestic industry is affected by the constraints to increase the selling price of the subject goods due to the agreed prices with the Original Equipment Manufacturers (OEMs) which are usually for a certain period/cycle. The cycle period is usually for ***-***months between which price increases cannot be made.
 - i. The payments for the sales made to the OEMs usually take ***-*** days to be credited. Further, the credit period for the OEMs commences only after the subject goods reaches the OEM's factory or warehouse which causes further delay in payments.
 - j. Inventories with the domestic industries declined from the base year to 2021-22 but increased significantly during the POI. The rise in inventories during the POI can be attributed to the average inventory holding period of the domestic industry which ranges between ***-*** days.
 - k. The number of employees increased from the base year to 2021-22 with a slight decline in the POI. Productivity per employee increased throughout the injury period with an increase in production.

⁴ Annexure 5.2 – Evidence of change in emission and change in axle load of trucks, submitted along with application filed by DI

⁵ ibid

⁶ Annexure 6.1 of Written submission filed by DI

⁷ Annexure 6.3 of Written submission filed by DI

⁸ Annexure 5 of application filed by DI

- l. The wages paid are according to the laws prevailing in the country and it increased from the base year to the POI, except during 2020-21 which had a decline due to the repercussions of Covid-19 pandemic. The employees are usually given a salary increment of ***% yearly and with the increase in production, salaries to the contractual employees also increased leading to an overall increase in the wages paid.
- m. Growth of the domestic industry in both volume and price parameters was negative in 2020 – 21, increased in 2021 – 22, and declined in the POI. Growth of price parameters in the POI is negative. Although there is an improvement in the performance of the domestic industry, it is vulnerable to de-growth should the present duties be lifted.

F.3 Examination by the Authority

36. The Authority has taken note of the submission and evidence presented by the domestic industry with respect to injury to the domestic industry. The injury analysis by the Authority hereunder considers various submissions made by the domestic industry.
37. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.
38. The Authority notes that this being a sunset review of anti-dumping duty already in force, continuation of material injury to the domestic industry, as well as likelihood of continuation or recurrence of material injury needs to be examined in the context of actual or likely imports of the subject goods from the subject country. In the instant case, the Authority notes that there are no known imports of the product under consideration in India. Therefore, in any case, the domestic industry could not have suffered continued injury due to dumped imports nor the domestic industry claimed that it has suffered continued injury.
39. Nevertheless, the Authority examined the performance of the domestic industry over the present injury period, as it is pertinent to evaluate the performance of the domestic industry even when imports were absent in order to evaluate the likely situation of the domestic industry in the event of cessation of anti-dumping duty.
40. In consideration of submissions received in this regard, the Authority has first examined the current injury, if any, to the domestic industry before examining the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject country.

F.3.1 Assessment of Demand

41. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand, or apparent consumption of the subject goods in India as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. The demand for the product under consideration is given below:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Sales of Domestic industry	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	90	146	192
Sales of Supporters	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	79	73	116
Subject imports	MT	-	-	-	-
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	-	-	-	-
Other Countries imports	MT	-	-	-	-
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	-	-	-	-
Total Demand	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	89	135	181
Market share of domestic industry	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	102	108	106
Market share of Supporters	%	***	***	***	***

<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	89	54	64
Market share of Subject imports	%	-	-	-	-
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	-	-	-	-
Market share of other countries imports	%	-	-	-	-
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	-	-	-	-

42. It is seen that the demand of the PUC declined from base year to 2020-21 and increased thereafter till the POI. According to the submissions made by the domestic industry, it is noted that the change in demand especially during the first two years of the injury period were due to factors which were beyond their control which included some policy changes and other macro-economic factors like the increased use of rail transportation compared to road transport and Covid-19 pandemic.

F.3.2 Volume Effect of Dumped Imports

Import volume and share of the subject country

43. The effect of the volume of the dumped imports from the subject country as well as imports from other countries have been examined. It is seen that there were no imports of the subject goods from the subject country during the present injury period. Imports started to decline since the anti-dumping duties were enhanced in the 1st Sunset review investigation and currently there are no imports from the subject country in the entire injury period. Further, there are no imports from any other countries also into the Indian market.
44. The Authority notes that, as there are no imports from the subject country, there is no injury to the domestic industry due to dumped imports.

F.3.3 Price Effect of the Dumped Imports

45. With regard to the effect of dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports when compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred in the normal course.

a. Price Undercutting

46. It is noted that there were no imports from China PR during the present injury period. Therefore, the domestic industry did not suffer price undercutting from imports during the present injury period.
47. The domestic industry submitted that the industry did not face any undercutting of its prices by imports, because of absence of imports in this period. However, should the present duty cease, the domestic industry is likely to face significant price undercutting. This is clearly established by the price at which Chinese producers have exported wheels. The domestic industry has provided evidence of export price in the following forms:
- Export price of steel wheels used for tubeless tyre application from China to Brazil
 - Prevailing price of wheel for both tubeless and tube-type tyres as evidenced by an email communication from a Chinese producer – the Authority has however considered price of only the product under consideration
 - CIF import prices of ‘wheel rims A17 18x8J, matt black with red and blue lines/chrome revits’ – tubeless wheels meant for commercial vehicles, a product having similarity with the PUC in terms of cost and price structures for the POI.
48. Considering the prices based on the above-mentioned forms, it is seen that if the Chinese producers were to sell at these prices in Indian market, the domestic industry will suffer significant price undercutting, as is evident from the table below.

Particulars	Unit	Export Price to Brazil	China's export price to world	Imports of comparable product into India
Likely landed value in India	INR/MT	77,422	79,595	97,661

Selling price	INR/MT	***	***	***
Price Undercutting	INR/MT	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***
Price Undercutting	% Index	25 – 45	25 – 45	15 – 35

b. Price Suppression/ Depression

49. In order to determine whether the domestic industry is suffering suppressing or depressing effect on its prices, the Authority has considered the trends in costs and prices of the domestic industry. The table below shows factual position with regards to the trends in the costs and prices of the domestic industry in the market.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Cost of Sales	Rs. /MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	97	118	126
Selling Price	Rs. /MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	132	136

50. It is seen that selling price and cost of sales both have moved in the same direction from 2020-21 onwards. However, the degree of change was different in respect of costs and prices. On overall basis, it is seen that whereas both cost of sales and selling price increased, the domestic industry was only able to sell the subject goods in profits only during the last two years of the injury period. In the POI, the selling price is only marginally above the cost of sales.
51. The domestic industry clarified that in the absence of dumped imports, the domestic industry was able to align its prices with input steel, however, there is always a time lag between increase in costs and passing it onto the customers. Further, since there was a steep decline in the demand for the product, the production declined steeply, leading to increase in the incidence of the overhead costs. This could not be passed onto the customers in terms of higher prices, as the OEMs are not expected to support higher overhead costs due to decline in production.
52. Since there are no known imports of the product under consideration from the subject country, the subject imports could not have had any suppressing or depressing effects on the prices of the domestic industry in the market over the current injury period. The domestic industry submitted, that the foreign producers are likely to sell the product at a price materially lower than the price of the domestic industry in the event of cessation of duties, and if that happens, the domestic industry will suffer severe price depression, leading to material injury to the domestic industry.

F.3.4 Economic Parameters of the Domestic Industry

53. Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. The Rules further provide for an objective evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, various economic parameters of the domestic industry are discussed herein below.

a. Capacity, Production, Capacity Utilization and Domestic Sales

54. The capacity, production, capacity utilization and domestic sales of the domestic industry over the entire injury period is given below:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Capacity Per annum	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	100
Production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	91	161	194

Production-PUC	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	92	149	198
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	91	161	194
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	90	146	192

55. It is seen that:

- the capacities installed by the domestic industry has remained constant over the injury period.
- production and capacity utilization of the domestic industry declined from the base year to 2020 – 21 and increased thereafter.
- Sales of the domestic industry also declined from the base year to 2020 – 21. Production, sales, and capacity utilisation increased significantly in the POI.
- The installed capacities in India are significantly more than the demand. The domestic industry claimed that they had increased their capacities before the injury period as per projections drawn by the OEMs. However, the actual demand in this period did not increase to the extent of projections earlier drawn by the automobile industry because of increase in axle load carrying capacity of trucks, change in fuel emission norms, Covid-19 pandemic, and increased usage of rail transportation compared to road transport.

b. Market Share in demand

56. The market share of the subject imports and the domestic industry over the entire injury period was as follows. It is recalled that there were no imports of the product over entire injury period.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Domestic Industry	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	102	108	106
Supporters	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	89	54	64
Total	%	100.00	100.00	100.00	100.00

57. It is seen that the Indian industry is holding entire share in the demand for the product in the country.

58. The Authority notes that market share of the domestic industry had declined significantly in the POI of the original investigations when dumping of the product started in the country. Further, due to absorption of duties, the market share of Chinese imports increased further by the time of first sunset review. However, with the increase in the quantum of duty, imports declined steeply and have now ceased completely in the present injury period.

c. Profitability, cash profits and return on investment.

59. Information with respect to profitability, return on investment and cash profits was as follows:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	97	118	126
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	102	132	136
Profit per unit	₹/MT	(***)	(***)	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	(100)	(41)	67	6

Total Profit/(Loss)	Rs. Lacs	(***)	(***)	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>(100)</i>	<i>(37)</i>	<i>97</i>	<i>11</i>
Cash Profit	Rs. Lacs	(***)	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>(100)</i>	<i>124</i>	<i>606</i>	<i>302</i>
Profit before Interest and tax	Rs. Lacs	(***)	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>(100)</i>	<i>109</i>	<i>718</i>	<i>445</i>
Return on Capital Employed	%	(***)	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Range</i>	<i>(100)</i>	<i>123</i>	<i>770</i>	<i>433</i>

60. It is seen that:

- a. The domestic industry suffered financial losses during 2019 – 2020 and 2020 - 2021, due to some reasons beyond their control like the changes in policies and other macro-economic factors like Covid-19 pandemic. The domestic industry earned profit in 2021-22, however, it once again suffered financial losses in the present POI.
- b. The cash profits and return on capital employed have followed the same trend as that of profits. The domestic industry suffered cash losses during Apr., 2019 – March, 2021, earned cash profits thereafter. However, cash profits declined in the POI.
- c. The domestic industry earned negative return on capital employed in 2019-20. Even though the domestic industry had positive return thereafter, the ROI improved in 2020-21 and declined thereafter in the POI.

61. It is seen that the domestic industry is already facing issues with declining profitability, cash profit, and ROCE in the POI and upon cessation of duties the domestic industry is likely to report further cash losses and negative ROCE.

62. Since the domestic industry did not have good performance in respect of these price parameters, despite absence of imports, reasons for these were examined in detail. It is noted that demand for the subject goods declined during April 2019 – March 2021. The Authority had earlier conducted expiry review wherein the investigation period was October, 2016 to September, 2017 and injury period was from 2014-15. It is seen that the demand for the product during that period was *** MT (2014-15) and *** MT (annualised for the POI). As against the same, the demand for the product during April 2019-March, 2021 was *** MT (2019-20) and *** MT (2020-21).

63. Thus, there was steep decline in demand for the product in the country during the first two years of the present injury period. It was thus natural that the domestic industry was not able to recover its full costs and suffered financial losses. However, as soon as demand for the product improved in 2021-22, the domestic industry was able to post some profits. The domestic industry once again suffered decline in profits and some losses in the present POI as the domestic industry was not able to increase its prices in proportion to the increase in cost of sales.

d. Inventories

64. Information with respect to inventories over the injury period is as follows:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Opening	MT	***	***	***	***
Closing	MT	***	***	***	***
Average Inventory	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>97</i>	<i>69</i>	<i>87</i>

65. It is seen that the average inventory of the applicants has declined from the base year to 2021 – 22 and increased significantly during the POI.

e. Productivity, employment and wages

66. Information with respect to productivity, employment and wages over the injury period is as under:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
No. of Employees	Nos.	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	109	118	116
Salary & Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	82	122	162
Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	92	149	198
Productivity per employee	MT/ nos.	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	84	126	170

67. Employment level has increased. Salary and wages paid have also increased over the injury period except during 2020 – 21 due to Covid-19 pandemic. Productivity per employee has also followed the same trend as that of salary and wages.

f. Ability to raise capital investment

68. It is seen that the ROCE earned on investment made improved from base year to 2021-22 but declined significantly in the POI.

g. Magnitude of dumping margin

69. There are no imports thus actual dumping margin could not be determined. However, the potential dumping margin is too significant.

h. Growth

70. While overall growth of the domestic industry was positive till 2021-22, the growth became negative in the POI.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	POI
Production	Y/Y	(8)	63	32
Domestic Sales	Y/Y	(10)	62	32
Profit/ (Loss) per unit	Y/Y	59	262	(91)
Capacity Utilisation	Y/Y	(3)	23	11
Average Inventory	Y/Y	(3)	(29)	26
Market share of Domestic Industry	Y/Y	2	6	(2)
Profit/Loss (Rs Lacs)	Y/Y	63	361	(89)
Cash Profit	Y/Y	224	388	(50)
PBIT	Y/Y	209	557	(38)
Return on Capital Employed	Y/Y	4%	10%	-5%

Magnitude of injury margin

71. The Authority has determined the non-injurious price (NIP) for the domestic industry on the basis of principles laid down in Anti-Dumping Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the PUC has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry for the period of investigation. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials of the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the PUC was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed. The NIP so determined has been considered for calculating injury margin.

72. Since there are no imports of the subject goods from the subject country, the injury margin based on the exports during the period of investigation has not been calculated. However, the Authority has relied upon calculated NIP for likelihood examination.

G. CAUSAL LINK AND OTHER FACTORS (NON-ATTRIBUTION ANALYSIS)

73. As per Annexure II of the AD Rules, factors which are relevant in this respect include, *inter alia*, volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practises and competition between the foreign and domestic producers, developments in the technology and the export performance and productivity of the domestic industry. The Authority examines whether the factors other than dumped imports could be a cause of injury to the domestic industry.

a. Volume and prices of imports from third countries.

74. It is seen that there are no imports from other countries. Thus, volume and price of imports from third countries could not have been causing injury to the domestic industry.

b. Contraction in demand

75. It is seen that demand declined during 2019-20 and 2020-21. However, the demand increased thereafter in 2021-22 and the POI.

c. Changes in pattern of consumption

76. The domestic industry submitted that there is change in pattern of consumption globally as steel wheels used for tubeless wheels application are being preferred over tubed steel wheels. However, the consumption pattern in India has not changed as materially. The demand of the subject goods has increased. It is seen that the demand for the product in the present POI is higher than the demand for the product in the previous POI.

d. Conditions of competition and trade restrictive practises

77. The Authority notes that the investigation has not shown any change in the conditions of competition or any trade restrictive practises.

e. Export performance of the domestic industry

78. The Authority notes that there have not been any exports of the subject goods during the entire injury period. The applicants are focussed on the domestic market. Thus, export performance cannot be attributed to the performance of the domestic industry.

f. Performance of other products

79. The domestic industry has provided the injury data for the product under consideration and the same has been adopted by the Authority for the purpose of injury analysis. Performance of other products produced and sold by the applicants have not been considered.

80. As noted above, the Authority, proposes to hold that the applicants have not suffered any injury due to the subject imports.

H. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

H.1 Submissions made by other interested parties

81. No submission has been made by the exporters/other interested parties with regards to likelihood of continuation or recurrence of injury and dumping.

H.2 Submissions made by the domestic industry

82. The following submission were made by the domestic industry with regards to likelihood of continuation or recurrence of injury and dumping:

- a. The likely export price from China to India is material below the selling price, cost of production and non-injurious price of the domestic industry. This is established by several evidences with regard to likely export price from China.

Particulars	UOM	Export Price to Brazil	China's FOB export price	Imports of comparable product into India
Dumping Margin Calculation				
Normal Value	INR/MT	***	***	***

Net Export Price	INR/MT	***	***	***
Dumping margin	INR/MT	***	***	***
Dumping margin	%	***	***	***
Dumping margin	% Index	80 – 100	80 – 100	40 – 60
Injury Margin Calculation				
Non-Injurious Price	INR/MT	***	***	***
Landed Price	INR/MT	***	***	***
Injury Margin	INR/MT	***	***	***
Injury Margin	%	***	***	***
Injury Margin	% Index	45 – 65	45 – 65	15 – 35
Price Undercutting Calculation				
Net Sales Realization	INR/MT	***	***	***
Landed Price	INR/MT	***	***	***
Price undercutting	INR/MT	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***
Price undercutting	% Index	30 – 50	30 – 50	15 – 35

- b. Should the domestic industry match the likely import price from China, the domestic industry would face bleeding financial losses, huge cash losses and hugely negative return on capital employed.

SN	Particulars	UOM	Actual	Likely situation		
				Export Price to Brazil	China's FOB export price	Imports of comparable product into India
1	Cost of Sales of DI	Rs/MT	***	***	***	***
2	Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
3	Profit/Loss per Unit	Rs/MT	***	***	***	***
4	Domestic Sales	MT	***	***	***	***
5	Profit/(Loss)	Rs Lacs	***	***	***	***
6	Depreciation	Rs Lacs	***	***	***	***
7	Cash Loss	Rs Lacs	***	***	***	***
8	Interest	Rs Lacs	***	***	***	***
9	PBIT	Rs Lacs	***	***	***	***
10	Capital Employed	Rs Lacs	***	***	***	***
11	Return on capital employed	%	***	***	***	***

- c. The cessation of duty shall cause significant price injury in view of the fact that the Chinese producers have potential to substitute Indian industry and cater to the entire demand for the product in the country. The known capacities of Chinese producers to produce the subject goods far exceeds the entire Chinese demand and is several times more than the Indian demand. Several Chinese producers increased their capacity compared to that of the previous investigation. These capacities are a threat to the Indian industry.
- d. China has a major focus on exports as is established by exports of the subject goods to various countries. On an average, Chinese producers export the subject goods to over 30 countries. Companies like Xiamen Sunrise wheel Group Co. Ltd claim that they export to more than 100 countries.

- e. The major exporting markets of China were the US and the EU and companies like Zhejiang Jingu Company Ltd., were exporting more than 93% of their total exports to the US. However, the recent trade remedial measures by the EU (ADD ranging 50.03% to 66.4%) and the US (CVD of 388.31%) have resulted in significant losses to the Chinese market. The business volume lost by China based on 2018 figures are almost *** % of the Indian demand.

SN	Particular	EU	USA
1	Product involved	Steel road wheels	Certain Steel Wheels 12 to 16.5 Inches in Diameter
2	Nature of measure	AD	CVD
3	Quantum of Measure	50.03% to 66.4%	388.31%
4	Volume of exports in respective periods	20,93,000 wheels	8,32,469 wheels
5	Year measure invoked	March 2020	July 2019
6	Number of Chinese producers involved	19 producers	4 producers

- f. Imports from China increased by the time of first sunset review, and despite imposition of anti-dumping duty. In addition, the significant decline after enhancement of duty shows that the present export behaviour of the Chinese producers in Indian market is because of anti-dumping duty in place. The current export behaviour to India is inappropriate to conclude on the likely behaviour of Chinese producers.

Period	UOM	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4
Original investigation	MT	-	-	1,560	19,843
First sunset review	MT	28,403	25,727	30,492	35,333
Second sunset review	MT	152	313	108	170
Present investigation	MT	0	0	0	0

- g. Chinese producers are having a weak financial position. The annual reports of Chinese producers namely, Zenix Auto, Zhejiang Jingu Company, and Xingmin Zhitong (Group) Co., Ltd. evidently show their PBT margin is very low. In spite of very high sales turnover, the wheel industry in China is making losses in the domestic market.

SN	Particular	Unit	Sales value	PBT	PBIT	PBDIT
1	Zenix Auto	Rs./MT	17,69,478	(4,82,247)	(4,57,885)	(3,17,662)
2	Zhejiang Jingu Company	Rs./MT	27,28,027	79,530	1,72,351	2,06,714
3	Xingmin Zhitong (Group) Co. Ltd.	Rs./MT	14,18,484	(6,27,134)	(5,71,354)	(5,52,740)

- h. The low/negative margin that the Chinese producers gain in the domestic market makes the export market more lucrative where there is a healthy demand. This also provides more reasoning as to why Chinese producers are more export oriented.
- i. Zhejiang Jingu in its annual report stated that their export goods enjoy “tax exemption, credit and refund policy” where the tax refund rate is 13%. This shows why exports are a better option for Chinese producers.
- j. Chinese exporters are desperate to find prospective markets to export the subject goods due to trade remedial measures in EU and US. The dumping and injury margin determined by the EU authority and the subsidy margin determined by the US authority is very significant. Non-extension of duties can lead to routing of these exports into India leading to recurrence of dumping from the subject country.
- k. Chinese producers utilize several subsidies available to them to sell their product at cheaper prices as was identified by the US authority in its countervailing investigation. The subsidies reported by China to the WTO also show the existence of several subsidies. The possibility of other unreported subsidies in China

which have been found countervailable by the US authority would inevitably result in dumping of the subject goods in the Indian market.

- l. The US authorities have determined countervailable subsidies in raw material alone to the extent of 44%. This alone addresses the submission of the domestic industry that steel is available in China at a price at least US\$ 300 per MT cheaper than India and international market. This issue is not limited to countervailable subsidies and establishes that prices of major inputs do not substantially reflect market values in China. The domestic industry refers to Para 7 of Annexure-I in this regard. Therefore, the issue cannot be ignored by attributing it to an issue of countervailable subsidies.
- m. The Global Steel Wheel market size is expected to grow from USD 7.06 billion in 2021 at a CAGR of 5.5% till 2028. China is highly likely to penetrate more into the market to make themselves more dominant in this sector. Expiry of existing duties would definitely be an opportunity for them to exploit.
- n. The Indian market is price sensitive. China has been historically exporting a major portion of their production to third countries. China reduced dumping of the subject goods into India after enhancement of duties. Lifting the duties in India would inevitably result in resumption of low-priced imports into India. This would lead to adverse impact on the prices of the PUC in the Indian market.
- o. The Authority, in the previous sunset review investigation, noted that dumped imports into India reduced drastically after enhancement of duties in the first SSR (para 66) , the exporter was unable to expand its operations further only due to the trade remedy action in place (para 67), the annual report of the exporter mentioned that the imposition of anti-dumping duty resulted in decline of exports and in the event of cessation of duties (para 67), Lower prices are offered for exports by Chinese producer (para 74) exporters would resume dumping. It was also noted by the Authority that China holds significant unutilized capacities and that the lower price of the subject goods in the international market which clearly indicated dumping by the exporter.

H.3 Examination by the Authority

83. As there is no known import of the product under consideration from China PR, the Authority has determined whether dumping is likely to recur in the event of cessation of anti-dumping duty, and if so, whether the same is likely to cause injury to the domestic industry. The applicants provided evidences of likelihood of recurrence of dumping in petition, supplemented the same during the investigation and submitted that the same is likely to cause injury to the domestic industry.
84. The submissions made and evidences placed on record has been examined by the Authority. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the requirement laid down under Section 9A (5), Rule 23 and parameters relating to threat of material injury in terms of Annexure-II (vii) of the Rules and other relevant factors brought on record. The present investigation being a sunset review of anti-dumping duty currently imposed, and under the Rules, the Authority is required to determine whether continued imposition of the anti-dumping duties is warranted in the event of cessation of anti-dumping duty.
85. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, clause (vii) of Annexure II to the Rules provides, *inter alia*, factors which are relevant for threat of injury and the same factors may be used for likelihood analysis in a sunset review as well. Further, these are non-exhaustive list of parameters relevant for the determination of likelihood:
 - a. A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation.
 - b. Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, considering the availability of other export markets to absorb any additional exports.
 - c. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and
 - d. Inventories of the article being investigated.
86. The Authority has examined various indicators relevant to the assessment of likelihood of injury to the domestic industry, having regard to the above listed parameters. Further, the Authority has also examined other relevant factors which could have a bearing on the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry.

A. Significant capacities with Chinese producers sufficient to capture the Indian market.

87. The Authority has examined the capacities of the Chinese producers producing the subject goods based on facts available. The information submitted by the domestic industry has been considered in view of non-cooperation by the Government of China and Chinese producers. Furthermore, the present known capacities have been compared with the capacities of the Chinese producers as recorded in the last conducted sunset review investigation in order to examine whether there has been an increase in the capacity with Chinese producers.

SN	Producers in China	Capacity in previous review	Current Capacity
1	Shandong Jining Wheel factory	1.5 Million	1.5 mil wheels ⁹
2	Shandong Shengtai Wheel Co. Ltd., Shandong	4 Million	4 Million ¹⁰
3	Xiamen Sunrise wheel Group Co. Ltd (11 subsidiary companies)	50,000 tons	50,000 tons ¹¹
4	Zhejiang Jingu Company Limited	17 Million	15 Million ¹²
5	Xingmin Intelligent Transportation Systems (Group) Co., Ltd. (Formerly Shangdong Xingmin Wheel Co. Ltd.)	6 Million	10 Million
6	Fujian Zhengxing Wheel Co. Ltd.	5.2 Million	15 Million ¹³
7	China Zenix Auto International Ltd.	15 Million	15.5 Million ¹⁴
8	Shengtai Group Shandong Detong Wheels Co.	1 Million	2 Million ¹⁵
9	Zhengxing Wheel Group Co. Ltd. (subsidiary of China Zenix Auto International Ltd.)		14 Million ¹⁶
10	Jiaxing Henko Auto Spare Parts Co., Ltd		1.5 Million ¹⁷
11	Hangzhou Forlong Impex Co., Ltd		2.5 Million ¹⁸
12	Jining Junda Machinery Manufacturing Co. Ltd.		0.74 Million ¹⁹
13	Shandong Zhengyu Wheel Group Co. Ltd.		1.2 Million ²⁰
14	Shandong Zhengshang Wheel Technology Co. Ltd		3 Million ²¹

88. It is seen that the Chinese producers hold huge capacities to produce the subject goods which is several times more than the entire Indian demand. The comparison of known capacities of the Chinese producers between the previous review investigation and current investigation show that most of the producers have increased their capacity.

B. High Export orientation of Chinese producers

89. The Authority examined the export orientation of Chinese producers. The Authority has considered the evidence placed by the domestic industry in the form of extracts from the websites of the Chinese producers which shows their export percentage and preferable export destinations.

⁹ <https://jiningwheel.en.ecplaza.net/>

¹⁰ <https://shengtaiwheel.en.made-in-china.com/>

¹¹ <http://en.sunrisewheel.com/about>

¹² <https://jgwheel.com/products#productCenter>

¹³ <http://www.zenixauto.com/jtjj/>

¹⁴ <https://zenixauto.investorroom.com/index.php?s=120&&item=109>

¹⁵ https://www.diytrade.com/china/manufacturer/935295/main/Shengtai_Group_Shandong_Detong_Wheels_Co_Ltd.html

¹⁶ <http://www.zenixauto.com/>

¹⁷ <http://www.henkowheel.com/ProductionLine.html>

¹⁸ <http://forlongwheel.com/about.php>

¹⁹ https://steelwheel.en.alibaba.com/company_profile.html?spm=a2700.shop_index.88.23

²⁰ <https://www.zhengyuwheelgroup.com/company-profile.html>

²¹ https://www.zhengshangwheel.com/page/219961_en.html

SN	Producers in China	No. of exporting locations	Major exporting destinations	Share of exports to destinations
1	Shandong Jining Wheel factory		US, Canada, Ecuador, Hong Kong, Taiwan ²²	United States (56.3%), Mexico (5.7%), Russia (4.8%) ²³
2	Xiamen Sunrise wheel Group Co. Ltd (11 subsidiary companies)	100+ countries	Europe, America, New Zealand, Australia, Southeast Asia, the Middle East and Africa ²⁴	Vietnam (8.3%), United States (6.7%), Colombia (5.5%) ²⁵
3	Zhejiang Jingu Company Limited		Europe, the United States, Southeast Asia ²⁶	United States (93.5%), Mexico (1.2%) ²⁷
4	Xingmin Intelligent Transportation Systems (Group) Co., Ltd. (Formerly Shangdong Xingmin Wheel Co. Ltd.)	40 countries	US, Canada, Columbia, Germany, Russia, South Korea, South Africa and Brazil ²⁸	United States (35.5%), Germany (29.4%), Netherlands (17.6%), ²⁹ Columbia ³⁰
5	Fujian Zhengxing Wheel Co. Ltd.	30+ countries	Japan, South Korea, India, and Southeast Asia, Europe, Africa ³¹	
6	China Zenix Auto International Ltd.	28+ countries	Thailand, Vietnam, Malaysia, Pakistan and Indonesia	
7	Shengtai Group Shandong Detong Wheels Co.	30+ countries	America, Canada, the Middle East, Southeast Asia, and Hong Kong. ³²	
8	Zhengxing Wheel Group Co. Ltd. (subsidiary of China Zenix Auto International Ltd.)	30+ countries	Japan, South Korea, India, USA, Southeast Asia, Europe, Africa, and Middle America. ³³	Vietnam (more than 60%) ³⁴
9	Yongkang Yuefei Wheel Co., Ltd		North America and Europe ³⁵	United States (~100%) ³⁶
10	Jiaxing Henko Auto Spare Parts Co., Ltd		Canada, Russia, America, Mid-east, and Europe ³⁷	United States (more than 60%) ³⁸

²² <https://www.made-in-china.com/showroom/eugene1234567>

²³ <https://panjiva.com/Shandong-Jining-Wheel-Factory/1249997>

²⁴ <http://en.sunrisewheel.com/about/gongsijianjie>

²⁵ <https://panjiva.com/Xiamen-Sunrise-Wheel-Group-Co-Ltd/3849531>

²⁶ <https://jgwheel.com/about>

²⁷ <https://panjiva.com/Zhejiang-Jingu-Co-Ltd/33425970>

²⁸ <http://www.xingmin.com/en/list-38-1.html>

²⁹ <https://panjiva.com/Shandong-Xingmin-Wheel-Co-Ltd/30382041>

³⁰ <https://panjiva.com/Xingmin-Intelligent-Transportation-Systems-Group-Co-Ltd/47584948>

³¹ <http://www.zenixauto.com/jtjj/>

³² https://www.diytrade.com/china/manufacturer/935295/main/Shengtai_Group_Shandong_Detong_Wheels_Co_Ltd.html

³³ <http://www.zenixauto.com/>

³⁴ <https://panjiva.com/Zhengxing-Wheel-Group-Co-Ltd/42026182>

³⁵ <https://yuefeiwheel.en.made-in-china.com/company-Yongkang-Yuefei-Wheel-Co-Ltd-.html>

³⁶ <https://panjiva.com/Yongkang-Yuefei-Wheel-Co-Ltd/61560504>

³⁷ <http://www.henkowheel.com/about.html>

³⁸ <https://panjiva.com/Jiaxing-Henko-Auto-SpA-Re-Parts/37843322>

11	Hangzhou Forlong Impex Co., Ltd		North America, South America, Eastern Europe, Southeast Asia, Africa, Oceania, Mid East, Eastern Asia, Western Europe ³⁹	
12	Jining Junda Machinery Manufacturing Co. Ltd.		North America, South America, Eastern Europe, Southeast Asia, Africa, Oceania, Mid East, Eastern Asia, Western Europe ⁴⁰	
13	Ningbo Luxiang Autoparts Manufacturing Co., Ltd	30+ countries	North America, Mid East, Oceania ⁴¹	
14	Shandong Zhengyu Wheel Group Co. Ltd.	30+ countries	Europe, America, Australia, Japan and South Korea, Southeast Asia, the Middle East, Africa ⁴²	
15	Shandong Zhengshang Wheel Technology Co. Ltd.		Europe and America, Japan, South Korea, Southeast Asia, the Middle East, Africa ⁴³	

90. It is seen from the table above that the Chinese producers are generally dependent on the exports of the subject goods. It is also noted that the major exporting locations of the Chinese producers are found to be the US and the EU. However, these two markets are currently inaccessible to the Chinese exporters due to the existing trade remedial measures imposed against them.

C. Chinese producers lost significant business volumes due to trade remedial measures imposed by EU and US authorities

91. The Authority notes that US and Europe have invoked trade remedial measures against Chinese imports of steel wheels for trucks and buses. Details of the measures are given below.

Subject	Information			
Country – European Union				
Type of proceeding and details	Anti-dumping [AD652]			
Product:	Steel road wheels			
HSN/CN	8716909095, 8716909097, 8708709980, 8708701085, 8708709920, 8708701080			
Date of final determination:	03 March 2020 ⁴⁴			
Date of expiry:	05 March 2025			
Dumping and Injury margin	Company	Dumping Margin (%)	Injury margin (%)	Definitive anti-dumping duty (%)
	Xingmin Intelligent Transportation Systems Co. Ltd	69.4	50.3	50.3
	Tangshan Xingmin Wheels Co. Ltd.	69.4	50.3	50.3

³⁹ <https://m.made-in-china.com/company-forlongwheel/info.html>

⁴⁰ <https://www.made-in-china.com/showroom/e5af8408055ba421>

⁴¹ https://luxiang.en.alibaba.com/company_profile.html

⁴² <https://www.zhengyuwheelgroup.com/company-profile.html>

⁴³ https://www.zhengshangwheel.com/page/219961_en.html

⁴⁴ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0353&from=EN>

	Xianning Xingmin Wheels Co. Ltd.	69.4	50.3	50.3
	Other Cooperating companies	69.4	50.3	50.3
	All other companies	80.1	66.4	66.4
Country – United States				
Type of proceeding and details	Countervailing investigation [C-570-091]			
Product:	Certain Steel Wheels 12 to 16.5 Inches in Diameter			
Date of final determination:	01 July 2019			
Subsidy Margin	Company	Subsidy rate (%)		
	Xingmin Intelligent Transportation Systems Co. Ltd	386.45		
	Zhejiang Jingu Co. Ltd.	386.31		
	All Others	387.38		
Final determination in Admin review	05 November 2021			
Subsidy Margin in Admin review	Company	Subsidy rate (%)		
	Zhejiang Jingu Co. Ltd. and Shanghai Yata Industry	388.31		
	Xiamen Topu Imports & Export Co. Ltd.,	388.31		

92. In order to understand the impact of these trade measures imposed by the US and EU authorities, the Authority has examined the imports volumes reported in the final determinations by these authorities. The period of investigation for the EU anti-dumping investigation is 2018 while the US countervailing investigation has the POI as January to September 2018 (9 months) which was then annualized to arrive at the yearly figures for 2018. The information provided in these two findings had “numbers” as the measuring unit. The import volumes reported in numbers have been converted to weight by considering the average weight of 7.5-20” Steel Wheels, i.e., 44kg.

Volume of exports from China	UOM	2015	2016	2017	2018
European Union	Units	10,07,000	12,57,000	19,63,000	20,93,000
United States	Units	8,84,632	8,04,025	10,14,146	8,32,469
Total number of wheels	Units	18,91,632	20,61,025	29,77,146	29,25,469
Total volume of imports	MT	83,232	90,685	1,30,994	1,28,721
Demand in India in present POI	MT	1,76,043	1,76,043	1,76,043	1,76,043
China’s exports to EU & US in relation to Indian consumption in POI	%	***	***	***	***
China’s exports to EU & US in relation to Indian consumption in POI	% Index	45 – 65	45 – 65	70 – 90	70 – 90

*Weight of 7.5-20" wheel considered as average - 44kg

**Source: US and EU’s trade remedial measures

93. The Authority notes that business volumes lost by the Chinese producers’ consequent to the trade remedial measures imposed by EU and the US was 1,28,721 MT in 2018 which is roughly *** % of the Indian demand during the current POI period. While both these major export markets remain restricted for China due to the existing trade remedial measure in place, it is seen from the above examined points that the surplus capacity with

China have increased further over the past years. The exporters are likely to divert this surplus to the Indian market which has positive and significant demand, in the event duties are not extended.

D. The existing anti-dumping duties reduced the dumped imports from China

94. The effectiveness of the existing anti-dumping duties can be drawn from the import trend from China post imposition of duties and the Authority has examined the import volumes and dumping from China post imposition of the original anti-dumping duties and subsequent review investigation. The domestic industry contended that the present export behaviour of Chinese producers is due to the duties in place which helped the domestic industry to utilize their capacity and increase their production and sales.
95. The Authority notes that there was an increase in imports despite initial imposition of anti-dumping duty in the original investigation and it was only after the enhancement of duties in the 1st sunset review investigation that Chinese imports started to show decline. The volume of subject imports from China increased with low duties and declined with increase in duties.

Period	Duty	Year	Import volumes
Original investigation*	Zhengxing: INR 14,710/MT All Others: INR 16,970/MT	2005	19,843*
First sunset review	Zhengxing: US\$ 512.64/MT All Others: US\$ 613/MT	2007-08	28,403 MT
		2008-09	25,727 MT
		2009-10	30,492 MT
		2010-11	53,000 MT
Second sunset review	All Exporters: US\$ 613/MT	2014-15	152 MT
		2015-16	314 MT
		2016-17	108 MT
		2017-18	170 MT

*Import volume as derived from final findings

E. Numerous subsidies being provided by the Chinese government and export subsidies maintained on inputs leading to unfair low production costs

96. The domestic industry has brought on record the final determination of the US authorities, wherein the US authorities have concluded that the Chinese government has maintained significant export duty on raw materials which makes the raw material availability with the domestic manufacturers at a very low price. It has been further claimed there are various subsidies being provided to the producers and the US authority has recorded the same in its determination. China has also disclosed to the WTO regarding the programs maintained at the central and sub-central government level during the period from 2019 to 2020⁴⁵.
97. It is noted in this regard that the present investigation being an antidumping investigation, subsidisation provided by the Chinese government is not relevant for the purpose of calculation of dumping margin or quantification of measures. The Authority has considered China as non-market economy and then determined the normal value. It is, however, noted that huge subsidies being provided by the Chinese government and export duties on inputs gives an undue advantage to the Chinese producers to export at unreasonably low price. The fact that there are surplus capacities with the producers and their export markets are getting restrained, it is likely that these huge subsidies will enable the Chinese producers to enter the Indian domestic market at low price and capture the Indian demand.

F. Significant dumping and injury margins in Chinese producers' exports to third countries

98. The Authority notes that European Commission and the US authorities have imposed anti-dumping and anti-subsidy duties against China. This in itself shows that Chinese producers are engaged in unfair exports.
99. Further, the Authority has also considered the export price from China to Brazil based on the evidence provided by the domestic industry. The export price has then been compared with the normal value determined to

⁴⁵ [directdoc.aspx\(wto.org\)](https://directdoc.aspx(wto.org))

calculate dumping margin and the landed price has been compared with NIP determined to determine injury margin.

Particulars	UOM	Dumping Margin	Injury Margin
Export Price to Brazil	%	***	***
Trend	% Index	80 – 100	45 – 65
China's FOB export price to world	%	***	***
Trend	% Index	80 – 100	45 – 65
Imports of comparable product into India	%	***	***
Trend	% Index	40 – 60	15 - 35

100. It is seen that the exports are being made by Chinese producers at significantly dumped and injurious prices.

G. Chinese domestic market for the subject goods is unremunerative while their export market earns better profits

101. The Authority examined the annual reports of a few Chinese producers which are mainly manufacturing Steel wheels, namely, Zenix Auto, Zhejiang Jingu Company and Xingmin Zhitong (Group) Co., Ltd. It is noted that these Chinese companies are suffering financial losses as can be seen from the table below.

Company	Zenix Auto		Zhejiang Jingu Company		Xingmin Zhitong (Group) Co., Ltd.	
Currency	RMB '000		RMB '000		RMB '000	
Revenue	17,69,478	%	27,28,027	%	14,18,484	%
Gross Margin	(68,105)	-4%	2,92,232	11%	45,558	3.2%
PBT**	(4,82,247)	-27%	79,530	3%	(6,27,134)	-44.2%
EBITDA	(3,28,487)	-19%	(27,215)	-1%	(5,92,537)	-41.8%
Export Sales as % of Total Sales	9%		21%		10%	

*Source: - Published annual reports of the three companies

**PBT includes other income

Need for extension of anti-dumping duties despite long duration

102. The applicants have made the following submissions to justify the need for extension of anti-dumping duty despite long duration of duties.

- The product under consideration is not a raw material or intermediate. It is a finished component, ready for fitment into automobile. This imposition of anti-dumping duty earlier in any way did not have any adverse effect on the manufacturers of commercial vehicles. In fact, the product under consideration is used only in production of truck & bus, as a component, where it forms about *** % of their cost.
- There is ample evidence that the domestic industry had not added anti-dumping duties to their prices. The extension of present anti-dumping duties shall not lead to an increase in the price of this component for an automobile maker.
- Government of China policies with regard to export taxes on critical basic raw materials/inputs involved in production of steel, despite long duration have led to continued low cost of production of steel in China. Steel is the principal raw material for production of the subject goods and forms about 60-70% of the cost of production.
- As per US government determination, Chinese producers are getting steel at 44% lower than international prices. Even if other factors of production prevalent in China leading to lower cost of production in that country are ignored, this factor alone is resulting in a cost advantage far higher than customs duties protection on the product in India. This 44% price difference in steel price alone shall easily allow Chinese producers to overcome the 15% customs duty in India and offer lower prices in Indian market to displace the domestic industry.

- e. Direct costs involved in production of this product constitutes about 80% of total cost. The 43% price advantage available to Chinese manufacturers on account of steel alone because of the export tax regime introduced by China before 2001 as intimated to WTO members while becoming its member and maintained since then, will allow Chinese producers to sell the product at a price materially below the direct cost of production in India. It will therefore be difficult for the Indian industry to recover even direct manufacturing cost involved in production of the product, should the Indian industry be forced to match the resultant Chinese prices.
- f. The applicants identify the ownership of Chinese manufacturer and have submitted that some of these are owned and controlled by state owned enterprises (SOEs). These SOEs dominate the pricing in China and are benefitted from various policies of government of China, including but not limited to 388% as found and established by US Department of Commerce in the matter of anti-subsidy investigation relating to wheels for tubeless tyres. The product under consideration and wheels for tubeless tyres are very comparable in terms of types of steel, manufacturing facilities, production process, costs and prices. While some producers have dedicated use manufacturing facilities, some were engaged earlier in production of tube type wheels (i.e., product under consideration) and have now converted those manufacturing facilities to also produce wheels for tubeless tyres also. These manufacturing facilities are therefore readily available for production of the product under consideration. The Authority notes that during the plant visit of the domestic industry, it was showed that the only difference in the production process between tube type and tubeless wheels is in construction of wheel and therefore is quite possible for any manufacturer to switch from one type of wheel to other type of wheel. It is noted in this regard that every OEM consumer has their own specifications for the steel wheel and the manufacturers have to produce wheels suiting the requirements of these OEMs. Since products are produced as per the specifications given by the consumers and against the confirmed orders received from consumers, it is evident that the producers can readily switch from tubeless to tube type and vice-a-versa.
- g. One of the domestic producers have submitted that their parent company hold manufacturing facilities both in China and India, and therefore the company has very good information, knowledge and experience about Chinese manufacturing, costing and pricing. The company submitted that the Chinese manufacturers indeed get steel at a price lower than international price and are able to produce these wheels at a cost below the direct cost in India.
- h. The domestic industry provided evidence showing that the price at which steel is available for consumption in China is different from the price at which steel is available in China for export out of China. The domestic industry further contended that apparently Chinese government maintains such policy of export tax regime which allows lower cost of production of steel in China, only to Chinese consumers and only for the purpose of production of downstream products. Thus, even when most often Chinese exporters are exporting steel from China at a price lower than international, these prices are still higher than the price at which Chinese manufacturing are getting steel within China.

H.4 Conclusion on likelihood of injury

103. Examination of the parameters pertaining to likelihood of injury shows that the Chinese producers started reducing its exports to India once effect duties were imposed in the first sunset review investigation. It is also noted that the Chinese producers have significant capacities available with them and they have increased their capacities during the past years. Chinese exporters are highly export oriented and are involved as causing significant dumping and injury in third countries and the US and EU have already imposed trade remedial measures on China which were its major markets. China is exporting goods to third countries at dumped and injurious price. The Authority notes that Chinese producers are getting benefits due to the subsidies available to them which is making them sell their products at lower prices. The fact that Chinese producers are able to sell steel-based products at a low price is further established by numerous trade remedy actions against Chinese steel products. The domestic industry contended that there are about 480 antidumping or anti subsidy and about 42 safeguard investigations relating to various steel products, where China was one of the countries involved.
104. The domestic industry submitted that India is the third largest consumer of steel wheel and therefore a high focus market for the Chinese manufacturers. The Chinese manufacturers have remained absent in this period only because of the remedy of duty in place. Under these circumstances, should the Chinese producers offer a price lower than that of the domestic industry prices even by 5%, it will lead to the domestic industry selling below direct cost, and yet the Chinese-origin subject goods would still be cheaper by 30% as compared to the domestic subject goods. Further, given the lower price of steel, Chinese manufacturers would still be the able to earn reasonably good profits as compared to the Indian industry. This is without considering any other cost difference between the Indian industry and the Chinese industry. At the same time, as rightly pointed out by the domestic industry, there are other significant government policies in China which resulted in lower cost of production in China. Under these circumstances, it is evident that a price reduction of 5% by the Chinese producers over the Indian price is not only quite feasible, but also would almost be instant.

105. The Authority also noted that the Chinese producers were able to absorb a duty of 40-50% imposed after the original investigation. Even when these duties were imposed, considering the dumping margin and injury margin prevalent during that period, the first sunset review established that the dumping margin increased from 70%-80% to 80%-90% and the injury margin increased from 40-50% to 60%-70%. The volume of imports also increased from 19,843 MT to 35,333 MT.
106. This further establishes that the 15% customs duties can easily be absorbed by the Chinese producers, and they can still become more competitive as compared to Indian industry.
107. The Authority also notes that the profitability of the domestic industry as such is quite low and therefore any further price negotiations by the domestic industry shall force the domestic industry to significant financial losses. In fact, if the domestic industry reduce its prices by 5%, the domestic industry shall be forced to sell the product below their direct cost. Under these circumstances, it appears quite difficult for the domestic industry to match the Chinese prices.
108. The Authority notes that the fixation of selling price in this product is very different from a typical chemical, petrochemical, steel or any other commodity product. Firstly, every consumer (OEMs) has its own specification for the goods, and therefore, goods are produced and sold against orders received from the customers. Secondly, purchase-sale between buyers and sellers is also very unique, unlike commodity products. The orders are placed by the consumers after hectic price negotiations with the producers. These prices negotiations evolve around high volume of potential order size, and therefore focuses on cost of production of the producers. The domestic industry contended that the consumers have quite significant and precise knowledge about prevailing price of steel, manufacturing costs of wheel producers, production efficiencies, wastages, etc. The consumers deploy professional services to get precise information on these factors of production thus leading to very good information with them about the cost of production of wheel manufacturers. In fact, most often consumers demand cost information from wheel producers and the same are evaluated by professionals being employed by consumers. It is, thus, noted that there is very significant transparency between the producers and the consumers with regard to the cost of production and pricing. Under these circumstances, the high volume of individual orders is a major factor for any producer and consumer. Producers obviously tend to adopt a die-hard approach in ensuring that orders are not lost.
109. It is noted in this regard that about ***% of India's consumption is controlled by two major OEMs, i.e., *** and *** ; and they are collectively buying about *** wheels per annum (which includes the present type and other types of wheels). During the present injury period, these consumers bought a cumulative volume of *** wheels from the Indian industry comprising of three producers. The sales to *** and *** on weight basis is provide in the table below. It is, therefore, quite evident that the price negotiations are very hard and focused extremely on the costing of the product. Under these circumstances, potential cost difference between the Indian product and the Chinese product would certainly become a major focus for price negotiations.

Company Name	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
***	MT	***	***	***	***
***	MT	***	***	***	***
Total	MT	***	***	***	***
Demand	MT	***	***	***	***
% of Indian demand	%	80%	73%	76%	77%

110. The fact that Chinese producers shall resume dumping of the product is well established by the following evidence of the price at which the Chinese manufacturers are selling steel wheels in various markets.
- Export price from China to Brazil
 - Ex-factory export price by the subject country to global market
 - Import prices of products having similarity with PUC for the POI
111. The Authority notes that even when these do not relate either to the product under consideration or for exports to India, since the present investigation is a sunset review investigation and the Authority is required to ascertain likelihood of dumping and injury, this evidence constitute sufficient corroborative evidence to ascertain whether Chinese manufacturers are likely to resort to dumping of the product.

I. PUBLIC INTEREST

I.1 Submissions made by other interested parties

112. No submissions were made by other interested parties with regard to public interest.

I.2 Submissions by the domestic industry

113. The following submission were made by the domestic industry during the course of the investigation.

- a. The product under consideration does not form a significant part of the cost of the end product, i.e., truck and the imposition of duties does not have a significant impact on the cost of the user industry.
- b. There has been no evidence whatsoever to suggest that the existing anti-dumping duties have had any adverse impact on the end customers.
- c. The OEMs are the drivers of steel wheel prices and the producer's *de-facto* do not have exclusive control over the prices of steel wheels. The producers do not have any undue advantage on extension of duties.
- d. The PUC goes into the commercial vehicles and forms a meagre part of the total cost of the truck itself. Furthermore, the life of a steel wheel is considered to be same as that of the truck which is between 10 – 15 years which is the reason why there is little to no aftermarket sales.
- e. According to the *** Report, the steel prices between India and China differ by \$300/MT which translates to a cost difference of around \$***/MT. Non-imposition of duties is likely to lead to recurrence of imports at prices which are below the cost of production of the domestic industry.
- f. Existing duties, if not extended, would open the Indian market for dumped imports which would be significantly lower than the cost of production of the domestic industry. These dumped imports would cause significant injury to the domestic industry.
- g. The consumers will have to maintain higher degree of inventory if they have to depend on imported material, while they can avoid the burden of inventory holding if they continue to procure from the domestic industry.
- h. The domestic industry has been continuously improving their technology and improving their efficiency of the product under consideration. Due to the optimization in production and reduction in the scrap generated, the industry was able to reduce the weight of steel wheels resulting in better efficiency on the road. Further, the lower consumption of the steel for the manufacture of steel wheels has also helped save crores of money for the common man.
- i. Encouraging domestic manufacturing activities is essential to make India the manufacturing powerhouse it aims to become, boosting employment and increasing the GDP of the country.
- j. Chinese producers have no stake and interest in long term development of the Indian market. In the event another market offers better prices, the producers in the subject country are bound to switch their sale targets.
- k. The objective of extension of antidumping duty in this case is to establish a level playing field, by removing any trade distortion by the producers in the subject country and allowing the Indian industry an opportunity for fair competition.
- l. Extension of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country/territory in any way or affect the availability of the product to the consumers.
- m. The period for which duty has been in force is no relevant consideration to determine whether anti-dumping duty is required to be extended further. In fact, the only relevant consideration are the conditions specified under Section 9A (5). The Authority has in the past also extended duties beyond 10 years while the US and Canada has extended duties beyond 20 years.

I.3 Examination by the Authority

114. The Authority issued a gazette notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the consumers to provide relevant information with respect to the present investigation, including the possible effects of the anti-dumping duties on their operations. The Authority sought information on, *inter-alia*, the interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the consumers to switch sources, the effect of anti-dumping duties on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by the imposition of the anti-dumping duties. None of the users or importers of the product under consideration has responded to the initiation notification or filed response to the questionnaire. It is noted that there has been no response by any interested party since first sunset review investigation despite duties being in place for long and the users being big organised players.

115. The Authority had prescribed an Economic Interest Questionnaire which was sent to all interested parties to this review investigation. Only the domestic industry provided information sought in the Economic Interest Questionnaire. The applicants have supplied relevant information in its Economic Interest Questionnaire.
116. It is noted that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, the continuation of anti-dumping measures would help the domestic industry to continue their growth without being pressurized by the dumped imports from the subject country. It has been claimed by the domestic industry that the producers of the subject goods do not determine the price of the goods, rather it is the OEM (which constitutes almost entirety of the sales by the producers) which dictates the price. It is seen from the information on record that the selling price of the domestic industry have never been significantly higher than the costs. The industry has earned low level of profits. Thus, duties have not been used to benchmark prices in the domestic market.
117. The Authority also notes that the Indian industry has a healthy internal competition and the Indian industry keeps on striving to enhance their technology and efficiency. One of the domestic producers, has its related parties producing subject goods in Turkey and Brazil. The industry has provided the processing cost comparison of the manufacturing entities in Turkey and Brazil and has compared the same with the Indian plant. It is seen that the processing cost is the least for the Indian company, which shows that the Indian company is efficient.
118. The Authority has also examined the impact of anti-dumping duty provided by the domestic industry. It is seen that imposition of duty did not result in increase in prices of the product in the past nor will the extension of duty result in increase of prices of the product in the future. The Authority notes that the product under consideration is used as a component for the manufacture of trucks and does not form a significant part of the cost of the commercial vehicle. The Authority also notes that the PUC is built to last the lifetime of the truck which is around 10 – 15 years. The cost of the steel wheels compared to the price of the truck at the time of purchase of the truck when distributed for a period of 10 – 15 years is inconsequential as is seen from the below table.

Particulars	UOM	Amount
Net Weight of 1 wheel	Kgs	***
Number of Wheels	No	14*
Total Weight	Kgs	***
ADD amount	US\$/MT	513
Total ADD on Truck	US\$	323
Share of China		***%
Exchange Rate		81
Total ADD incidence for a Truck	INR	***
Cost of Truck	INR	35,00,000
Impact in %	%	***%
Trend	%	0-1%

*Number of wheels in Trucks having 3 axles

119. The Authority also notes that the imposition of anti-dumping duty will not lead to non-availability of the subject goods for the consumers. Moreover, there is no demand supply gap, and the domestic industry has surplus capacity to cater to the current and future demand of the Indian industry as can be seen from the table below.

Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	Jan '22-Dec '22
Capacity Installed	MT	***	***	***	***
Demand	MT	***	***	***	***
Surplus Capacity	MT	***	***	***	***

120. To ensure the continued availability of a competitive domestic product, it is necessary that the domestic industry also remain viable at fair prices failing which the users would become increasingly dependent on the dumped imports.
121. As regards to the claim of the applicants that the Indian industry has improved the efficiency of their production process, the Authority examined the evidence relating advancements made by the Indian industry. It is seen that the Indian industry was able to reduce the weight of steel wheels in the range of 2.5 Kg to 5 Kg by reducing the raw material consumption and wastage. Since, steel alone constitute 60 – 70% of the cost of production, the reduction in steel consumption has resulted in savings to the Indian industry.
122. With regard to the claim that the Indian industry has been reliable with the production of subject goods, the Authority examined the customer satisfaction/reliability reports of all three companies. It is seen from the reports that the customers (OEMs) were satisfied with the products produced by the Indian industry.
123. The domestic industry submits that the only relevant conditions necessary for the extension of duties is specified under Section 9A (5). The Authority notes that duties were extended in the past for more than 10 years and moreover other jurisdictions like the US and Canada have extended the duties for more than 2 decades. In the present investigation, the Authority notes that the domestic industry is not suffering injury currently due to the subject imports, however, based on the evidence on record and the likelihood of dumped imports, past practice by the Chinese producers, the improvements made by the Indian industry makes their production process more efficient. Further, the Chinese government have continued to maintain export tariffs on basic raw materials including steel giving their domestic producers undue advantage of access to cheap raw materials. Such cheap raw materials are sold below the international market prices. This act of Chinese government along with the other parameters for likelihood show that imports are likely to resume if the exiting duties are lifted.

J. POST-DISCLOSURE COMMENTS

J.1. Views of the other interested parties

124. No submission has been made by the exporters/other interested parties post-issuance of the disclosure statement.

J.2. Views of the domestic industry

125. The following submissions were made by the domestic industry post issuance of the disclosure statement:
 - a. Forcing the domestic industry to match the import prices of Chinese producers in the absence of duties would lead to significant financial losses, which may lead to the Chinese imports substituting the Indian industry and catering to the entire demand of subject goods in India.
 - b. The major portion of the cost of production of the subject goods is direct cost which is around 80%, while steel alone constitutes around 70% of the production costs. The export tariffs being maintained by China at 20% for high-purity pig iron and 40% for ferrochrome among other crucial raw materials used for the manufacture of Steel gives significant price advantages to the Chinese producers.
 - c. Indian industry is already selling their products at low profit margin. If there arises a situation where duties cease to exist, even a reduction of the Indian industry's selling price by 5% would push the selling price below the direct costs. Nevertheless, the Chinese subject goods would still be cheaper by 25 – 35% and yet would be earning decent profits compared to the Indian industry.
 - d. The existing duties have had no or insignificant impact on the user industry i.e., the OEM manufacturers and the eventual end-customers i.e., the customers who purchases the commercial vehicles.
 - e. The OEMs have considerable bargaining power in the procurement prices of subject goods depends on the order size, specifications of the product required by the OEMs etc. The selling prices are highly transparent and there is not undue advantage to the Indian industry due to the extension of duties. The order volumes are quite high and since, the Indian industry cannot afford to lose such huge orders, they end up selling at prices desired by the OEMs. The Indian industry also stated that the quantity procured by a two OEMs alone in the POI constitute around 3/4 of the total goods sold, while emphasising on the order size.
 - f. The US Authority in their countervailing duty definitive findings determined that China was getting steel at *less than adequate remuneration* and calculated its subsidy margin alone at 44%. Such huge price advantage can easily overcome the existing basic customs duty of 15% on the subject goods. Further, the steel prices available to the domestic industry in China is lower than the export price for steel in China. However, the export prices are still lower than the international price for steel.
 - g. The state-owned enterprises (SOEs) of China control and dominate the pricing of the subject goods. Based on the information received from the sister concern of an Indian industry in China which is also a manufacturer of the subject goods, the Chinese manufacturers are getting steel at prices lower than the international prices.

- h. The PUC used in tubed-type wheels and the tubeless type wheels share similar raw material, manufacturing process, facilities, costs and prices etc. Some producers in China have dedicated production facilities while others have converted their tubed-type wheels facility into tubeless-type manufacturing facility to produce wheels for tubeless tyres. The similarity between these two products enable the manufacturing facilities of tubeless be used for PUC manufacturing. The only difference is in the manufacture of wheel. Since, the subject goods are produced based on the orders and specification received from the customers, a manufacturer can readily switch between the two products.
- i. The Indian industry have been successful in improving their efficiency in manufacturing through material optimization and wastage reduction. Comparison of the processing cost comparison of the related parties of one of the Indian companies in Turkey and Brazil with that of the Indian plant show that the processing cost is much better for the Indian company against that of Brazil and Turkey.
- j. The reliability reports of the Indian manufacturers among its consumers boast about the Indian industry's flawless relationship with its customers. The Indian industry is well capable to meet the growing demand in India as it already has surplus capacities but resumption of imports from China would not be conducive neither for the OEMs, nor for the Indian industry and the eventual end-customers.

J.3. Examination by the Authority

126. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the domestic industry and notes that the comments are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the disclosure statement.

K. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

127. Having regard to the contentions raised, information provided, submissions made and the facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, the Authority concludes that:
- a. The product under consideration is "flat base steel wheels of size 16" nominal diameter to 20" nominal diameter used in tubed tyre application in commercial vehicles" (the subject goods), originating in or exported from China PR.
 - b. The applicants constitute domestic industry under Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the requirements under the Rules.
 - c. The product supplied by the Indian industry is like article to the product under consideration imported from the subject country.
 - d. After enhancement of duties in the first sunset review investigation, the imports from China declined and the performance of the domestic industry also improved. The domestic industry suffered financial losses during 2019 – 2020 and 2020 - 2021, due to other factors, improved thereafter declined again on account of increase in steel prices.
 - e. Profitability of the domestic industry as such is, however, quite low because of the nature of business the applicants have with its customers which are OEMs and therefore any further price negotiations by the domestic industry in the event of influx of low-priced imports from China shall force the domestic industry to significant financial losses.
 - f. Chinese producers have significant capacities available with them and they have increased their capacities just before the present injury period further adding to the surplus created by them.
 - g. Chinese exporters are highly export oriented.
 - h. The evidence of export price indicates that the Chinese exporters are exporting the goods to third countries at significant dumped and injurious price.
 - i. US and EU have already imposed trade remedial measures on China which were its major markets. Thus, Chinese export market is getting restricted.
 - j. The Indian industry have been successful in improving their efficiency over the past few years by reducing the weight of the PUC by reducing the raw material usage.
 - k. Despite providing all formats for users/ importers to quantify the impact of anti-dumping duty and elaborate on how extension of anti-dumping duty will adversely impact them, the interested parties have not responded and established possible adverse impact of anti-dumping duty on the user industry with verifiable information. The domestic industry has however provided information and evidence to substantiate that there was no adverse impact of the anti-dumping duty imposed in the past.

- l. The Indian industry does not gain any undue advantage on extension of existing duties as the price negotiations between the OEMs and the Indian manufacturers are fairly transparent. Analysis of the customer reliability report also suggest that the OEMs are satisfied with the subject goods produced and supplied by the Indian industry.
- m. There is healthy competition in the Indian market and continuation of the duties would not deprive the user industry of any requirements.
- n. There is no demand supply gap, and the domestic industry has surplus capacity to cater to the current and future demand of the Indian industry.
128. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury.
129. Having concluded that there is likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury if the existing antidumping duties are not continued, the Authority is of the view that continuation of duty is required on the imports of the PUC from the subject country.
130. Under the aforesaid circumstances, the Authority considers it appropriate to recommend continuation of the existing quantum of duties on the imports of the subject goods from China which would address and mitigate the likelihood of injury from the subject country. The Authority, thus, considers it necessary to recommend the continued imposition of existing definitive anti-dumping duty as indicated in column 8 of the duty table below for another period of five (5) years from the date of the notification to be issued by the Central Government, on all imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

Duty Table

SN	Sub heading ***	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount of duty	Unit of measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	8708. 70	Flat Base Steel Wheels of nominal diameter 16” – 20”	China PR	China PR	Any	Any	613.00	MT	US\$
2	-do-	-do-	China PR	Any country other than China PR	Any	Any	613.00	MT	US\$
3	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any	Any	613.00	MT	US\$

***Note – Customs classification is only indicative, and the determination of anti-dumping duty shall be made as per the description of the PUC

131. The landed value of imports for the purpose of this notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under Sections 3, 3A, 8B, 9A of the said Act.

L. FURTHER PROCEDURE

132. An appeal against the determination/review of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Customs, Excise, and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority